खण्ड-345, अंक-1
गुरूवार, 16 श्रावण, शक संवत् 1902
(7 अगस्त, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 345 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1—5
प्रश्नोत्तर	5—24
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	24
कार्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध सत्याग्रह के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	24—25
उत्तर प्रदेश नैपाल सीमा पर विदेशी जासूसों तथा तस्करों की बढ़ती हुई गति-विधियों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	25—26
देवरिया जिले के भाटपार रानी टाउन एरिया में व्याप्त गंदगी तथा बीमारियों के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	25—26
लखनऊ के बंगला बाजार स्थित बिजली पासी की प्रतिमा को कुछ अराजक तत्वों द्वारा तोड़े जाने से पासो जाति में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	26
सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई आदि के सम्बन्ध में सूचनाएं ..	26—27
माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदे श पर कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव... (स्वीकृत)	27
माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश पर कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन के कार्यक्रम की सूचना	27—28
श्री मोतीलाल देहलवी द्वारा औचित्य का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास ..	28
बागपत में सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	28—30
प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा	30—77
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	78
पंडित छोटे लाल निवासी भीकमपुर, थाना बिलसी; जिला बदायूं की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन ..	78
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 (पारित किया गया)	78—82
नत्थियां	83—84

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, दिनांक 7 अगस्त, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—376

अकबर अहमद, श्री .. नैनीताल
अकबर हुसैन, श्री .. मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री .. गोंडा
अजहर इमाम, श्री .. मिर्जापुर
अजीजुर्रहमान, श्री .. बिजनौर
अजीत कुमार सिंह, श्री .. कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री .. मेरठ
अनवार खां, श्री .. अलीगढ़
अबुल कलाम, श्री .. आजमगढ़
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) फतेहपुर
अमर सिंह, श्री .. सहारनपुर
अमीरुद्दीन, श्री .. बिजनौर
अम्बा प्रसाद, श्री .. बरेली
अम्बिका सिंह, श्री .. बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री .. सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी .. बस्ती
अशफाक अहमद, श्री .. बरेली
आजाद कुमार कर्दम, श्री .. आगरा
इन्द्रजीत , श्री .. फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री .. गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री .. इलाहाबाद
उदयबीर सिंह, श्री .. शाहजहांपुर
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री .. गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी एटा
ऊदल, श्री .. वाराणसी
ए0 सी0 ग्राइस, श्री .. नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री .. आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री .. मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री .. लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती कानपुर
कमला देवी, श्रीमती .. हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री .. जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती .. बस्ती
कल्याण सिंह, श्री .. बरेली
कल्लू राम, श्री .. मिर्जापुर
काशीनाथ मिश्र, श्री .. बलिया
किशोरी शुक्ला, श्रीमती .. गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री .. हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री .. चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती .. हरदोई
कुबेर भन्डारी, श्री .. देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री .. रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) फतेहपुर
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री इलाहाबाद
कृष्ण मगन सिंह, श्री .. बाराबंकी
केदार, श्री .. आजमगढ़
केदारनाथ सिंह, श्री .. गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री .. जौनपुर
केशोराम, श्री बदायूं
कैलाश चन्द्र, श्री .. एटा
कैलाश टण्डन, श्री .. वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री .. गोरखपुर
खरपत, श्री .. वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री .. फतेहपुर
खुदादीन अन्सारी, श्री .. देवरिया
खुर्शीद अहमद अंसारी, श्री .. मुरादाबाद
खुर्शेद अहमद, श्री .. बहराइच
खुशहाल सिंह रागड़, श्री .. टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री .. आजमगढ़

H
U.P.L.A.
Vol. 345
1980
135264

ख्वाजा हलीम, श्री	..	अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री	..	कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	..	इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री	..	बाराबंकी
गया सिंह, श्री	..	उन्नाव
गुलाब सिंह, श्री	..	देहरादून
गुलाब सेहरा, श्री	..	आगरा
गुलाम नबी, श्री	..	आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती	..	बस्ती
गोपाल राम दास, श्री	..	अल्मोड़ा
गोपी नाथ दीक्षित, श्री	..	उन्नाव
गोपी नाथ वर्मा, श्री	..	फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री	..	इटावा
गोवरधन, श्री	..	अल्मोड़ा
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	..	इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री	..	बलिया
चंचल सिंह गिल, सरदार	..	रामपुर
चन्दन सिंह, श्री	..	मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री	..	बांदा
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री	..	आजमगढ़
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री	..	पौड़ी गढ़वाल
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	..	लखनऊ
चरनजीत सिंह, श्री	..	पीलीभीत
चारू चन्द्र ओझा, श्री	..	पिथौरागढ़
चेत राम गंगवार, श्री	..	बरेली
छत्तर सिंह, श्री	..	बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री	..	खीरी
छेदी लाल, श्री	..	गोंडा
जंग बहादुर, श्री	..	जौनपुर
जगदीश सिंह यत्दव, श्री	..	मैनपुरी
जगदीश सिंह, श्री	..	शाहजहांपुर
जटाशंकर सिंह, श्री	..	बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	..	गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री	..	खीरी
जयदीप सिंह, श्री	..	बरेली
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री	..	अल्मोड़ा
जावेद अली, श्री	..	मथुरा
जितन्द्रपाल सिंह, श्री	..	मुरादाबद
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री		फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री	..	मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री	..	सुल्तानपुर
झिलमिट राम, श्री	..	गाजीपुर
तपेश्वर, श्री	..	आजमगढ़
जतेनरायन त्रिवेदी, श्री	..	खीरी
तेज बहादुर, श्री	..	जौनपुर
तेज बहादुर गंगवार, श्री	..	पीलीभीत
त्रिवेनी, श्री	..	आजमगढ़
थम्मन सिंह गहलौत, श्री	..	बिजनौर
दयाल कृष्ण, श्री	..	मथुरा
दलगंजन सिंह, श्री	..	जालौन
दल सिंगार, श्री	..	आजमगढ़
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	..	बस्ती
दीना नाथ, श्री	..	बस्ती
दीपक, श्री	..	मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री		गोंडा
दीपू, श्री	..	आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	..	देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री	..	आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री	..	बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	..	सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	..	कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री	..	देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री	..	इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	..	वाराणसी
धरमपाल, श्री	..	बहराइच
धर्मपाल, डाक्टर	..	अलीगढ़
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री	..	मुजफ्फरनगर
ध्रुप राय, श्री	..	देवरिया
नकली सिंह, श्री	..	मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री	..	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	..	देवरिया
नन्द राम, श्री	..	बरेली
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री	..	पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	..	पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र, श्री	..	हरदोई
नाजिर अली, श्री	..	शाहजहांपुर
नियाज हसन खां, श्री	..	प्रतापगढ़
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)	..	बलिया
निर्मल कुमार, श्री	..	फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह, श्री	..	एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी	..	इलाहाबाद
पंचानन, श्री	..	आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री	..	गोरखपुर
परमाई लाल, श्री	..	हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री	..	बस्ती
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री	..	बुलन्दशहर
परागी लाल चौधरी, श्री	..	सीतापुर
पहलवान, श्री	..	जौनपुर

पारवती देवी, श्रीमती .. बाराबंकी
पुरुषोत्तम, श्री .. मिर्जापुर
पूरन चन्द्र, श्री .. अलीगढ़
प्रताप नारायन द्विवेदी, श्री .. हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री .. बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री .. प्रतापगढ़
प्रमोद कुमार, श्री .. प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री .. फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती .. बदायूं
प्रेमवती, तिवारी, श्रीमती .. .. लखनऊ
फखरेआलम, श्री .. बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री .. गोरखपुर
बंशीधर, श्री .. रामपुर
बंशीधर राज, श्री .. खीरी
बच्चा पाठक, श्री .. बलिया
बदन सिंह, श्री .. आगरा
बनवारी राम, श्री .. वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री .. बलिया
बलराम सिंह यादव, श्री .. इटावा
बलवीर सिंह, श्री .. फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री .. रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री .. उत्तर काशी
बाबू राम, श्री .. पीलीभीत
बाबू लाल, श्री .. गोंडा
बाबू लाल, श्री .. हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री .. अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री .. नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री .. फर्रुखाबाद
बुद्धपाल सिंह, श्री .. बुलन्दशहर
बृज किशोर मिश्रा, डाक्टर .. देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती .. झांसी
बैजनाथ कुरील, श्री .. लखनऊ
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री .. इलाहाबाद
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री .. बदायूं
भगवती सिंह विशारद, श्री .. उन्नाव
भागीरथ, श्री .. झांसी
भानु प्रताप सिंह, श्री .. बरेली
भास्कर पाण्डेय, श्री .. देवरिया
भीखा लाल, श्री .. उन्नाव
भूधर नारायण मिश्रा, श्री .. कानपुर
भूपसिंह केन, श्री .. गाजियाबाद
भृगुनाथ, श्री .. गोरखपुर
मंगलदेव, श्री .. गोंडा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री .. बस्ती
मजूर अहमद, श्री .. मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री .. बस्ती
मसरुर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) गोंडा
महाबीर सिंह, श्री .. सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री .. आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती .. इटावा
महेश उपाध्याय, श्री .. आगरा
महेश प्रसाद, श्री .. देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री .. वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री .. बस्ती
माधव प्रसाद, श्री .. फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री एटा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री .. गोरखपुर
मित्रसेन, श्री .. फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री .. बदायूं
मुईद अहमद, श्री .. सुल्तानपुर
मुंशी लाल, श्री .. मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री .. गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री .. रामपुर
मोती लाल देहलवी, श्री .. कानपुर
मोहन लाल, श्री .. हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री .. देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री बदायूं
मोहम्मद उमर, डाक्टर .. गोंडा
सोहम्मद नबी, श्री .. बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री .. लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी .. रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री वाराणसी

यशपाल सिंह, श्री .. बुलन्दशहर
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लनजी) गोरखपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर .. फर्रूखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री .. बाराणसी
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री गोंडा
रघुबीर सिंह यादव, श्री .. मैनपुरी
रणजीत सिंह जूदेव, श्री .. झांसी
रती राम, श्री .. बिजनौर
रमाकान्त मिश्रा, श्री .. इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री .. रायबरेली
राज किशोर राव, श्री .. बहराइच
राज कुमार राय, श्री .. आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती .. सुल्तानपुर
राजपाल सिंह, श्री .. मुरादाबाद
राजमंगल पाण्डेय, श्री .. देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री .. झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री .. सीतापुर

राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री .. इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री .. अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री .. फर्रुखाबाद
राधेश्याम पाल, श्री .. इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री .. फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री .. बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री .. हरदोई
रामऔतार दीक्षित, श्री .. हरदोई
राम करन, श्री .. वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री .. आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री .. सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर जौनपुर
राम कृष्ण महेश्वरी, श्री .. मुरादाबाद
राम गोविन्द, श्री .. बलिया
राम चन्द्र, श्री .. वाराणसी
राम चरण, श्री .. मिर्जापुर
राम जनम, श्री .. वाराणसी
रामजी राम, श्री .. फैजाबाद
राम धनी, श्री .. गाजीपुर
राम नरायन, श्री .. गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री .. प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री .. कानपुर
रामपाल सिंह, श्री .. मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री .. फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री .. जालौन
राम प्रसाद श्री .. मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री .. खीरी
राम यश सिंह, श्री .. सहारनपुर
राम रतन सिंह, श्री .. सीतापुर
राम लाल, श्री .. सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री .. हरदोई
राम शिरोमणि, श्री .. जौनपुर
राम समुझावन, श्री .. जौनपुर
राम सिंह, श्री .. सहारनपुर
राम सिंह, श्री .. सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री .. बरेली
राम सिंह रावल, श्री .. एटा
राम सेवक, श्री .. सुल्तानपुर
राम स्वरूप, श्री .. सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री .. कानपुर
राम हर्ष राय, श्री .. गाजीपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री .. बहराइच
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री .. बरेली
रामे वर प्रसाद, श्री .. बांदा
रिजवानुर्रहमान, श्री .. बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री .. मुरादाबाद

रुद्र प्रताप सिंह, श्री .. देवरिया
रूप राम, श्री .. शाहजहांपुर
रूल्हा सिंह, श्री .. सहारनपुर
लटूरी सिंह, श्री .. एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री .. मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री .. प्रतापगढ़
लालसा, श्री .. आजमगढ़
लोकपति, श्री .. मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री .. मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री .. प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री .. लखनऊ
विजय पाल, श्री .. गाजियाबाद
विजय प्रकाश, श्री .. इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री .. मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री .. आगरा
विद्या भूषण, श्री .. मुजफ्फरनगर
विद्या सागर नौटियाल, श्री .. टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर पीलीभीत
विमला प्रसाद तिवारी, श्री .. फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती .. सहारनपुर
विलायती राम कत्याल, श्री . कानपुर
विशन लाल, श्री .. बिजनौर
विश्राम दास, श्री .. इलाहाबाद
विष्णुदयाल वर्मा, श्री .. मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री .. गोरखपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री .. सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर .. गाजियाबाद
बृद्धि नरायन सिंह, श्री .. वाराणसी
शम्भूनाथ, श्री .. आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री .. मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री .. बांदा
शिव नरेश, श्री .. बांदा
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर . कानपुर
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री .. नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री .. उन्नाव
शिव प्रताप सिंह, श्री .. बांदा
शिव बालक, श्री .. रायबरेली
शिवमंगल सिंह, श्री .. मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री .. अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर .. पौड़ी-गढ़वाल
शेर बहादुर, श्री .. फैजाबाद
शौनाथ सिंह, श्री .. बिजनौर
श्याम नरायन तिवारी, श्री .. गोरखपुर
श्याम लाल बाजपेयी, श्री .. बाराबंकी
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री .. इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री .. बदायूं

श्रीनाथ सिंह, श्री ..	वाराणसी
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री ..	वाराणसी
संजय सिंह, श्री ..	सुल्तानपुर
सईदुल हसन, श्री ..	बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री ..	उन्नाव
सतीश्व अजमानी, श्री ..	खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री ..	शाहजहांपुर
सन्त बक्स रावत, श्री ..	लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती ..	बदायूं
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री ..	प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री ..	मथुरा
साहब सिंह, श्री ..	गाजीपुर
सीताराम निषाद, श्री ..	फैजाबाद
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री ..	देवरिया
सुजान सिंह बुन्देला, श्री ..	ललितपुर
सुनीता चौहान, श्रीमती ..	रायबरेली
सुनील शास्त्री, श्री ..	गोरखपुर
सुन्दर सिंह, श्री ..	बहराइच
सुमन लता दीक्षित, कुमारी	कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री ..	सहारनपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री ..	गाजीपुर
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री ..	जालौन
सुल्तान सिंह, श्री ..	मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री ..	मैनपुरी
सूरज भान, पंडित ..	अलीगढ़
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री ..	जौनपुर
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री ..	मेरठ
सोमांश प्रकाश, श्री ..	मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बक्शी, श्रीमती	लखनऊ
स्वामी नेमपाल, श्री ..	बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री ..	हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री ..	एटा
हरदेव, श्री ..	बलिया
हरनरायन सिंह, श्री ..	रायबरेली
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री ..	बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री ..	गोरखपुर
हरि प्रसाद, श्री ..	उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री ..	देवरिया
हरि सिंह, श्री ..	बुलन्दशहर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
हरीशंकर, श्री ..	हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 7 अगस्त, 1980

तारांकित प्रश्न

परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कल्याण कर्मचारियों का स्थायीकरण

*1—श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कल्याण कर्मचारियों के 33 प्रतिशत कर्मचारियों के स्थायीकरण सम्बन्धी शासनादेश को लागू करने में देरी के क्या कारण है तथा उसे कब तक लागू कर दिया जायगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)—

परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 33 प्रतिशत अस्थायी पदों के स्थायीकरण के आदेश दिनांक 17 मार्च, 1980 को शासन द्वारा जारी किये गये थे । स्थायी घोषित पदों पर संबंधित पदधारकों के स्थायीकरण हेतु नियमानुसार कुछ औपचारिकतायें पूर्ण करनी होती हैं, जिनकी पूर्ति हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है । इसके उपरान्त संबंधित पदधारकों को स्थायी किये जाने के आदेश यथाशीघ्र जारी कर दिये जायेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो यह आदेश निर्गत किये गय कि मार्च, 80 तक जानकारी प्राप्त हो जायेगी, तो क्या उस संबंध में अब शासन को जानकारी मिल गयी है, और उसके अनुपालन में अब-तक किन-किन जिलों के कर्मचारियों का स्थायीकरण हुआ है ? लेकिन हमारी जानकारी में आया है कि एक सूचना तथा श्री राम आसरे वर्मा जी ने लिखकर शिकायत की है कि किन्हीं जिलों में अभी तक कोई अनुपालन नहीं हो रहा है ।

श्री लोकपति—

सारी सूचना अभी एकत्र नहीं हो पाई है कुछ जिलों से अभी आनी बाकी है । इसमें लगभग 5 हजार व्यक्तियों का स्थायीकरण होना है और लगभग 15 हजार कर्मचारी कार्य करते हैं । उनकी अभी वरीयता निर्धारित होनी है और मैं इस सिलसिले में प्रयास कर रहा हूं कि अधिक विलम्ब न हो । 31 दिसम्बर के अन्त के पूर्व ही इस कार्य को पूर्ण करा दिया जावेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कृपया यह भी बताने की कृपा करें कि किन-किन जिलों से अभी तक सूचना नहीं आयी है और जहां से अभी तक नहीं आयी है, क्या उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ शासन कोई कार्यवाही करेगा ?

श्री लोकपति—

लगभग 14 जिलों से सूचना नहीं आई है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कोई बात नहीं है । उनको भी क्रम इकट्ठा करने में विलम्ब हो रहा है और शासन ने इंगित कर दिया है कि इस कार्य को इसी वर्ष पूरा कर देना है 31 दिसम्बर तक स्थायीकरण का काम पूरा कर दिया जायेगा ।

श्री सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव मार्ग, लखनऊ में कार्यालय भवन हेतु भूमि का आरक्षण

*2—श्री भगवती सिंह बिशारद—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ मास्टर प्लान में सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव मार्ग के दोनों ओर का भाग प्रशासकीय कार्यालयों के लिए सुरक्षित है और वहां पर भूमि का आवासीय उपयोग निषिद्ध है ? क्या यह सही है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बिना भू-उपयोग परिवर्तन के आवासीय भवनों के निर्माण की स्वीकृति दे दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

जी हां । दो भवनों की स्वीकृति दी गई है ।

क्योंकि उन भवनों के आस-पास सभी आवासीय भवन बने हुये हैं और कोई कार्यालय नहीं है ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या माननीय स्वायत शासन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन दो भवनों की बात वह स्वीकार करते हैं, वह एक ही भू-खंड में दो खंड बनाये गये हैं और उसको भी स्वीकृति नहीं ली गयी है ? इसके साथ ही साथ वह यह भी बताने की कृपा करेंगे कि आवासीय भवन बनाने के सम्बन्ध में किस अधिकारी ने आदेश दिये थे कि बिना भू-उपयोग परिवर्तन किये आवासीय गृह बना दिये जांय ?

श्री राम सिंह खन्ना--

यह मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्वैश्चन के बाद यह फाइल आई और अनियमित रूप से इसकी स्वीकृति दी है। मैंने उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही के आदेश दे दिये हैं और आगे की छानबीन करा रहा हूं।

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आवासीय भवन जिनकी स्वीकृति दी गई, उनके संबंध में असिस्टेंट आर्किटैक्ट की जो आख्या थी, उसमें भवनों की स्वीकृति नहीं थी, तो क्या उस की रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे? वह आख्या क्या थी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

उसके खिलाफ रिपोर्ट है, उनसे पूछा नहीं गया, बिना आज्ञा लिये ही नक्शा पास कर के इजाजत दे दी। इसीलिए उनके खिलाफ आदेश दे दिये हैं।

श्री खैरुल बशर--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसका निर्माण कार्य रोक दिया गया है या नहीं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

निर्माण कार्य हो चुका है।

श्री खैरुल बशर--

उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी ने बताया कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

अतिरिक्त सचिव, विकास प्राधिकरण, लखनऊ के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

*3--श्री गया सिंह--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मई, 1980 को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गया सिंह--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त सचिव के खिलाफ श्री प्रीतम सिंह चारबाग ने सचिव, आवास से जुलाई में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी और उसमें एक माननीय विधायक की संस्तुति थी और उनके खिलाफ जांच की मांग की गयी थी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, आपने सवाल कर दिया उस वक्त तक यह संस्तुति और शिकायत नहीं पहुंची थी, उसके बाद पहुंची। दूसरा सवाल आपका आया है, जिसका उत्तर समय आने पर दिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि शिकायत उनके पास पहुंच गयी हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं ?

श्री रामसिंह खन्ना—

वह दूसरा सवाल आपने किया है, आज ही जब मैं पहुंचा मैंने देखा और पूछा कि जरूर कोई शिकायत आयी होगी। जब मैं दफतर में बैठा हुआ था तभी शिकायती पत्र मंगवाया जो कि दूसरे सवाल के मातहत है, इस फाइल में नहीं है। इस वक्त कोई आदेश करने का मौका नहीं था।मैं कहना चाहता हूं कि कोई चीज गलत या नामुनासिब होगी, तो उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे चाहे कितनी ही कीमत देनी पड़े।

अस्पतालों में जेनरेटर लगाने की व्यवस्था

*4—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिला चिकित्सालयों में शल्य क्रिया की व्यवस्था है वहां बिजली संकट को दूर करने के लिए जेनरेटरों की व्यवस्था करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो जेनरेटर कब तक लगा दिये जायेंगे ?

श्री लोकपति—

प्रदेश में विद्युत् संकट को देखते हुए अस्पतालों में जेनरेटर लगाने पर विचार किया जा रहा है। इस दौरान अनवरत विद्युत् आपूर्ति हेतु सीधी विद्युत लाइन से जोड़कर विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विद्युत् विभाग से अनुरोध किया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस बात को देखते हुए कि इतना गहन विद्युत संकट है कि अनेक उदाहरण इस प्रकार के आए हैं, शासन के पास कि आपरेशन होते-होते बिजली चली गई, तो क्या वह मात्र विचार कर रहे है या इस वित्तीय वर्ष में सीतापुर सहित कुछ शहरों में जेनरेटर लगवा भी देंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति—

117 जेनरेटरों की पूरे प्रदेश में आवश्यकता है, उन अस्पतालों में जहां शल्य चिकित्सा होती है। हमारा प्रयास यह है कि क्रमबद्ध रूप से हर अस्पताल में जेनरेटर्स स्थापित कर दिए जाएं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो विद्युत अभाव है, उससे शल्य क्रिया न होने के कारण प्रति साल कितने मरीजों की मृत्यु हो जाती है ?

श्री लोकपति—

अब तक इसकी कोई सूचना नहीं है कि कितनों की मृत्यु विद्युत् अभाव के कारण हुई।

श्री फखरे आलम—

मंत्री जी ने बताया कि 167 जेनरेटरों की आवश्यकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे कहीं अधिक की आवश्यकता होगी, क्योंकि हर जिले में जनाना और मर्दाना कम से कम दो अस्पताल होंगे....

श्री अध्यक्ष—

आप अपने विचार मत दीजिए, प्रश्न करिए ?

श्री फखरे आलम—

बदायूं के दोनों अस्पतालों में जेनरेटर्स का कहीं इंतजाम नहीं है, जिससे आपरेशन नहीं होते और होते भी हैं, तो आपरेशन थियेटर में ही वह मर जाते हैं, तो क्या वह वहां जेनरेटर्स देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इनके बदायूं में क्या प्रबन्ध किया जायगा, यह बता दीजिए।

श्री मोहन सिंह—

यह कह देंगे कि विचार किया जाएगा।

श्री लोकपति—

मोहन सिंह जी को अपनी याद है—सदन में कह देंगे और नहीं करेंगे। आपको बता दूं कि इस वर्ष हमारा प्रयास है कि 50 जेनरेटर्स हम लगवायें, क्योंकि यह निश्चित है कि आने वाले कुछ वर्षों में विद्युत की कठिनाई प्रदेश में रहेगी।

श्री यशपाल सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बताएंगे कि जेनरेटरों के अभाव में आपरेशन थियेटर्स में क्या उन्होंने पेट्रोमैक्स की भी व्यवस्था कर रखी है, जिससे आपात स्थिति में उनके आपरेशन की व्यवस्था हो सके?

श्री लोकपति—

आपरेशन थियेटर्स में पेट्रोमेक्स रखने की तो अनुमति नहीं है, फ्लेश लाईट की व्यवस्था है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो उत्तर का उत्तरार्द्ध है—इस दौरान अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु सीधे विद्युत लाईन से जोड़कर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विद्युत विभाग से अनुरोध किया गया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह अनुरोध कब किया गया था, और उसके आधार पर क्या राज्य विद्युत परिषद् ने सीधे लाईन पर दे दिया है, जिससे वहां पर बिजली अनवरत मिलने लगी है ?

श्री लोकपति—

यह हमारी तरफ से विलम्ब है, उनकी तरफ से कोई नहीं है। इस कार्य हेतु उन्हें, हमें धन देना है और इस बजट के पास होने के बाद इसका भुगतान उन्हें कर दिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अभी हो पाया या नहीं ?

श्री लोकपति—

अभी नहीं हो पाया।

सदर अस्पताल, रामपुर के लिये एक्सरे प्लान्ट लगाये जानेकी मांग

*5—श्री मुहम्मद आजम खां (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले के सदर अस्पताल के लिये जो एक्सरे प्लान्ट स्वीकृत किया गया था वह लग गया है? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार शीघ्र ही उसे लगवाने की कृपा करेंगी ?

श्री लोकपति—

रामपुर जिले के सदर अस्पताल के लिए कोई एक्सरे प्लान्ट स्वीकृत नहीं हुआ है अतः इसके लगाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मानकर जो प्रश्न में लिखा हुआ है कि वहां जो अब एक्सरे प्लान्ट लगा हुआ है, वह 40 साल पुराना है और आये दिन खराब पड़ा रहता है तो क्या माननीय मंत्री जो इस सही मांग को स्वीकार करने की कृपा करेंगे और वहां एक नये एक्सरे प्लांट को व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति—

व्यवस्था कर दी जायेगी।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इसका समय भी निर्धारित कर दिया जाए।

श्री लोकपति—

जब भी आप धन की व्यवस्था कर देंगे, तभी समय निर्धारित कर दिया जायगा।

एलोपैथिक चिकित्सालयों के इण्टीग्रेटेड चिकित्साधिकारियों का स्थायीकरण

*6—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा विभाग के एलोपैथिक चिकित्सालयों में कार्यरत इण्टीग्रेटेड चिकित्साधिकारियों के स्थायीकरण, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों के सम्बन्ध में शासन ने क्या निर्णय लिया है ? शासन की सेवा में आने वाले कितने चिकित्साधिकारियों को स्थायी कर दिया गया है?

श्री लोकपति—

चिकित्सा विभाग के एलोपैथिक चिकित्सालयों में कार्यरत इण्टीग्रेटेड चिकित्साधिकारियों के स्थायीकरण तथा सेवा शर्तों के निर्धारण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इन चिकित्साधिकारियों के पदों के स्थायीकरण के उपरान्त ही इनका स्थायीकरण सम्भव होगा।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मन्त्री जी, जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और जैसा कि उनको मालूम है, इस प्रकार के डाक्टरों की समस्या विगत 10–15 वर्षों से लगातार चली आ रही है, तो क्या आवश्यक कार्यवाही है और वे अविलम्ब कब तक इस पर निर्णय ले लेंगे?

श्री लोकपति—

जून माह में 175 चिकित्साधिकारियों, जो कार्यरत हैं, के पदों के स्थायीकरण की बात शासन में आ गयी है और आने वाले 3–4 महीनों में हम यह कार्यवाही पूरी कर देंगे।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया, उसी सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि जून के महीने में विभाग के निदेशक महोदय ने शासन को जो अपनी सिफारिश भेजी है, उनको मानने के लिए क्या सरकार तत्पर है ? यदि हां, तो कब-तक निर्णय हो जायेगा ?

श्री लोकपति—

यही तो मैंने कहा कि हम 3–4 महीनों में निर्णय कर लेंगे।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जहां पर न डाक्टर्स हैं और न कम्पाउन्डर्स हैं, उन अस्पतालों के लिए वे क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, वहां पर स्वीपर्स तक दवा दे देते हैं, तो वहां के लिए आप क्या प्रबन्ध करने जा रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न आप अलग से कर लीजिए इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, वैसे वहां पर डाक्टर्स का प्रबन्ध नहीं होता है और यहां सदन में आप हमें कुछ कहने नहीं देते, तो फिर हम कहां कहें ?

श्री अध्यक्ष—

आप इस शब्द को वापस लीजिये कि "आप सदन में कहने नहीं देते"? जो प्रश्न किया गया है, वह यह है कि चिकित्सा विभाग के एलोपैथिक चिकित्सालयों में कार्यरत इण्टीग्रेटेड चिकित्साधिकारियों के स्थायीकरण, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों के सम्बन्ध में शासन ने क्या निर्णय लिया है? शासन की सेवा में आने वाले कितने चिकित्साधिकारियों को स्थायी कर दिया गया है? ये जो चिकित्साधिकारी कार्य कर रहे हैं, उनकी उन्नति, उनकी नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तों से सम्बन्धित है। अतः आप अलग से प्रश्न कर लें और उनसे पूरा उत्तर ले लें। दूसरे प्रश्न में ये कैसे उत्तर दे सकेंगे ?

(स्वास्थ्य मंत्री के खड़े होने पर)

अगर मंत्री जी उत्तर देना चाहें, तो दे दें।

श्री लोकपति—

यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हमारे 275 चिकित्सालय ऐसे हैं, जहां पर डाक्टर्स नहीं हैं। यह मामला कुछ उलझन में पड़ा था। लोक सेवा आयोग द्वारा अब कुछ डाक्टरों के पदों के बारे में कुछ निर्णय हुआ है। लगभग 800 के ऊपर लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये हैं, जिनको विभाग में लिया जायेगा, समायोजित किया जायेगा, तो शीघ्र ही उस पर कार्यवाही आरम्भ होगी और उन चिकित्सालयों में जहां पर डाक्टर्स नहीं हैं, चिकित्साधिकारी उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

यह तो 800 डाक्टरों की नियुक्ति का प्रश्न है, यह एलोपैथिक चिकित्सालयों के लिए है, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के लिए क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न सिर्फ एलोपैथिक चिकित्सालयों से सम्बन्धित है।

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी—

परिवार कल्याण विभाग में जो कि चिकित्सा विभाग के ही अन्तर्गत है, 187 डाक्टर ऐसे काम कर रहे हैं, जो स्थायी नहीं हैं। इनको स्थायी करने तथा प्रोन्नति आदि के बारे में 27 जून को शासन के एक आदेश भी जारी हुये हैं पर अभी तक इस बारे में कार्यवाही कुछ नहीं हुई है, तो क्या सरकार इस बारे में शीघ्र निर्णय लेगी ?

श्री लोकपति——

इसका उत्तर तो मैंने दे दिया कि 3 माह लग जायेंगे ।

श्री दलगंजन सिंह——

जिन अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं, वहां इलाज की क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

प्रदेश में राजकीय खरीद केन्द्रों से गेहूं की खरीद

*7——श्री मोहन सिंह——

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि अप्रैल, 1980 से जून, 1980 के बीच सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में राजकीय खरीद केन्द्रों से कितने गेहूं की खरीद हुई यह तादाद वर्ष 1979 के मुकाबले कितनी कम है ? इस कमी का क्या कारण है ।

श्री राम सिंह खन्ना——

अप्रैल, 1980 से जून, 1980 के बीच सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में खरीद केन्द्रों से कुल 5,07,920 मी0 टन गेहूं की खरीद हुई है । यह मात्रा वर्ष 1979 के मुकाबले 11,83,076 मी0 टन कम है । इस कमी के प्रमुख कारण हैं——भयंकर सूख के कारण गेहूं का कम उत्पादन होना तथा अधिकांश क्षेत्रों में गेहूं के बाजार भाव भारत सरकार द्वारा घोषित गेहूं के समर्थन मूल्य से ऊंचे होना है ।

श्री मोहन सिंह——

यह मान्यवर, इस सरकार के निकम्मेपन का उदाहरण है, पिछल वर्ष जब हम लोगों की सरकार थी, तो 17 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था और इस वर्ष इनकी सरकार आने पर 5 लाख मैट्रिक टन ही खरीदा जा सका । मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो गेहूं का दाम किसानों को दिया है वह क्या था और वह लोक दल की सरकार ने जो भाव नियत किया था उससे कितना कम है ?

श्री राम सिंह खन्ना——

जो रेट मुकर्रर किया जाता है, वह किसानों के हित क लिये होता है कि उस रेट से कम उनको न मिले । अब बाजार भाव उससे अधिक है और किसानों का गेहूं अधिक भाव में बिक जाता है, तो हम उनका नुकसान क्यों होने कम भाव पर खरीद कर । अब हमने अगर नहीं खरीदा, तो उनका उससे लाभ ही हुआ । इसमें आपत्ति की क्या बात हो सकती है । हम तो रेट इसलिए मुकर्रर करते हैं कि किसानों का शोषण न हो । हमने भाव 117 रुपये का निश्चित किया था ।

श्री मोहन सिंह———

उस वक्त बाजार में क्या भाव था ?

श्री राम सिंह खन्ना——

कहीं पर 123 रुपये, कहीं पर 130 रुपये क्वींटल का भाव था, उस समय बाजार में ।

श्री रियासत हुसैन——

बरेली, रामपुर और मुरादाबाद जिलों में मई के महीने में गेहूं का भाव 110 और 112 रुपये था और उस समय वहां के अधिकारियों ने मुकामी ट्रेडर्स से मिल कर सेन्टर्स खोलने में काफी देर की और इस प्रकार किसानों का गेहूं, ट्रेडर्स की सांठ-गांठ से 110 और 112 रुपये में खरीदा गया । जब किसानों का गेहूं काफी इन लोगों ने खरीद लिया, तब इलेक्शन के बाद सेन्टर्स खोले गये । मुरादाबाद जिल में गोबनपुर खुर्द तथा बुढ़नपुर में, सेन्टर इलेक्शन के बाद खोले गये हैं । क्या मन्त्री जी इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

अवश्य, और मैं चाहूंगा कि आप इसमें हमारी मदद भी करें कि सही काम हो ।

श्री मित्र सैन—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के किस हिस्से में गेहूं की खरीद सबसे ज्यादा हुई है और किस भाग में गेहूं को खरीद बहुत कम हुई है ? उस क्षेत्र में जिसमें सबसे कम खरीद हुई है, उसका क्या कारण है ? जांच करायेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, झांसी और वाराणसी डिवीजनों में बिलकुल खरीद नहीं हो पाई और पश्चिमी इलाकों में काफी मात्रा में उपलब्धि जो हुई है, वही हुई, पंतनगर, मेरठ, बरेली, हापुड़ । जहां तक इस बात का सवाल है कि जांच कराने का इसमें कोई मौका नहीं है । इसलिए कि हमने खुद माना कि कमी थी, सूखे की वजह से कमी थी, बाजार भाव तेज थे, दूसरी जगह माल जा रहा था ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि सरकारी रेट कम थे और जो बाहर खरीद हो रही थी, उसका रेट अधिक था, तो क्या सरकार इस बात को सिद्धांततः स्वीकार करती है ? और यदि हां, तो क्या अन्य चीजों के भी सरकार, जिनके दाम बढ़े हुए हैं, उनको भी कम कर दिये और दूसरी बात उसमें यह कि जो खरीद हुई है बहुत जगहों पर पानी बरस गया है, बहुत सा गेहूं सड़ गया है, बहुत जगह पर कर्मचारी ने अपने पास से क्या पैसा जमा करना शुरू कर दिया है ? क्या ऐसी जानकारी आपको प्रदेश से कहीं पर है ? यदि है, गेहूं खरीदा गया, सेन्टर पर पानी बरसा, गेहूं सड़ गया तो ऐसे गेहूं को सरकार ने नहीं लिया है, तो जिस किसी विभाग से खरीद हुई थी, वहां के विभाग के कर्मचारियों के वेतन से या अन्य किसी तरह से रिकवरी हुई है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जहां कहीं पर ऐसा हुआ है और मेरी नालेज में आयेगा, तो उस पर कार्यवाही करेंगे ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, मन्त्री जी मूल प्रश्न का जवाब देने से कतरा गये । प्रश्न यह था कि लोक दल की सरकार ने क्या दाम निर्धारित किया था, क्या रेट निर्धारित किया था और श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या रेट निर्धारित किया ? यह प्रश्न था ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मोती लाल जी, पहले आप प्रश्न पढ़ें, क्या प्रश्न किया गया था ।

श्री राम सिंह खन्ना—

प्रश्न पढ़ लीजिए तब बताइये ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न देखें मोती लाल जी, क्या है ?

श्री त्रिवेनी—

अध्यक्ष महोदय, श्री मोतीलाल जी हमेशा अनर्गल प्रश्न करते हैं और सदैव सदन का समय नष्ट करते हैं। मोती लाल जी को प्रश्न करना आता ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह अनर्गल शब्द का प्रयोग न करें, संसदीय भाषा का प्रयोग करें।

श्री मोहन सिंह—

यह सरस्वती विहीन शब्द है।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, माननीय त्रिवेनी जी को बोलने की आजादी होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अब प्रश्न 7 पर आपके ही साथी शायद बहस नहीं चाहते।

श्री दलगंजन सिंह—

क्या माननीय खाद्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे जो गल्ला खरीदा गया था, उसमें से कितना गल्ला गोडाउन के अभाव में खराब हो गया?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री दलगंजन सिंह—

मान्यवर, झांसी मण्डल में जो गल्ले की खरीद हुयी, इस बारे में मेरी जानकारी में आया है कि उस गल्ले को सरकारी गोडाउन में न रखकर कहीं दूसरी जगह रक्खा गया और उसे गैर सरकारी तौर पर ज्यादा दामों में बेचा गया? यदि ऐसा हुआ है, तो आप उस पर क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आयी है, माननीय सदस्य अगर इसे लिखकर दे दें, तो जानकारी करा ली जायेगी।

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग का गठन एवं अन्तरिम सहायता

*8—श्री सुनील शास्त्री (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह सरकारी कर्मचारियों के लिए गठित वेतन आयोग की भांति नगर महापालिका व जिला परिषदों के कर्मचारियों के लिए कोई वेतन आयोग गठित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन इन कर्मचारियों को भी अन्तरिम सहायता प्रदान करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

राज्य कर्मचारियों के समान स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए भी वेतन आयोग गठित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

शहरी स्थानीय निकायों के समस्त पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों को 1 जनवरी, 1980 से राज्य कर्मचारियों के समान अन्तरिम सहायता देने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं, आपसे सम्बन्धित विभाग तो नहीं है, वेतन आयोग का जो गठन हुआ है, उसमें जिला परिषद के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं।

श्री राम सिंह खन्ना--

इसमें जो बंशीधर पाण्डेय जी की अध्यक्षता में आयोग गठित है, उसमें जिला परिषद् के कर्मचारियों के बारे में सोच रहे हैं। जो मेरे विभाग से सम्बन्धित था, उसका उत्तर दे दिया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--

उत्तर आ गया। उन्होंने कहा कि मेरे विभाग से जो सम्बन्धित था, उसका उत्तर दे दिया शेष के लिये नहीं बता सकते।

श्री मोहन सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस वेतन आयोग ने कोई अन्तरिम रिपोर्ट दी है? यदि हां, तो शासन उस पर कोई कार्यवाही कर रहा है?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, इसका समय जुलाई, 1980 था इससे पहले इसको संस्तुति दे देनी चाहिये थी, अब यह समय बढ़ा दिया गया है, पिछला आयोग जो सन् 71 में बैठा था उसकी संस्तुति भी 2 साल में आई थी, इसलिये ऐसी आशा करनी चाहिये कि 2 साल के अन्दर पूरा हो जायेगा, दो साल जुलाई तक पूरा होगा।

श्री मोहन सिंह--

मैंने यह सवाल किया कि वेतन आयोग की मूल रिपोर्ट 2 वर्ष में आये, क्या इस आयोग ने अन्तरिम रिपोर्ट दिया है? यदि दिया है, तो शासन उस पर क्या कार्यवाही करने जा रहा है?

श्री राम सिंह खन्ना--

मेरी जानकारी में कोई नहीं है।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ में आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना का निर्णय

**1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मेडिकल कालेज, लखनऊ को आयुविज्ञान संस्थान बनाये जाने के पूर्व निर्णय को (वर्ष 1978 में सरकार द्वारा लिया गया निर्णय) वर्तमान सरकार बदलने के बारे में विचार कर रही है? यदि हां, तो क्यों?

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या 8 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री लोकपति—

लखनऊ में आयुर्विज्ञान संस्थान बनाने का निर्णय 1975–76 तथा 1979–80 में लिया गया था। संस्थान की रूप रेखा अभी निर्धारित नहीं हो पायी है। इस दिशा में विचार हो रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है, तो मेरी जानकारी के अनुसार जब माननीय नारायण दत्त तिवारी मुख्य मंत्री थे उस समय 50–50 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था और 50 लाख रुपया जमीन एक्वायर करने के लिए भी था। उसके बाद कमेटी बनी और बजट में भी प्राविधान किया गया तो आयुर्विज्ञान संस्थान बनाने के लिए कोई रूपरेखा जरूर बनी होगी वरना बजट में प्राविधान न होता, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह रूप रेखा क्या है, और क्या उसको परिवर्तित करने का विचार किया जा रहा है?

श्री लोकपति—

अभी तक कोई रूप रेखा नहीं बनी है। योजना स्वीकृत की गई है। दो एक समितियां भी बनीं जिनकी रिपोर्ट भिन्न भिन्न थी। अब एक उच्च स्तरीय कमेटी का निर्माण किया गया है, उससे कहा गया है कि 30 सितम्बर तक अपना अन्तिम प्रतिवेदन समितियों को दे दे और उनकी 30 सितम्बर तक रिपोर्ट आ जाने के बाद कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। हमारा कार्यक्रम यह है कि 14 दिसम्बर, 1980 को इसका शिलान्यास भारत के राष्ट्रपति द्वारा करा दिया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अभी तक जैसा कि पूर्व की सरकारों ने यह फैसला किया था, लखनऊ में ही यह संस्थान बनेगा, तो क्या लखनऊ में ही बनेगा या इसके परिवर्तन पर भी विचार किया जा रहा है?

श्री लोकपति—

जी नहीं। लखनऊ में ही बन रहा है।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के न्यूरो सर्जरी यूनिट के डाक्टरों की कथित हड़ताल

**2—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ की न्यूरोसर्जरी यूनिट के लगभग सभी डाक्टर इस समय हड़ताल पर हैं? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं? सरकार जनहित में उन्हें शीघ्र ड्युटी पर लाने के लिये क्या कदम उठा रही है?

श्री लोकपति—

न्यूरो सर्जरी यूनिट का कोई भी डाक्टर हड़ताल पर नहीं है। माह जुलाई में डा0 जी0 न्यूटन ग्रीष्मावकाश पर थे। जब डा0 दवे अवकाश पर गये तो डा0 न्यूटन का ग्रीष्मावकाश निरस्त करके उन्हें दिनांक 11–7–80 पूर्वान्ह से ड्युटी पर बुला लिया गया। डा0 दवे ने भी दिनांक 20–7–80 से कार्यभार ग्रहण कर लिया। यूनिट के अन्य सभी डाक्टर बराबर ड्युटी पर ही रहे।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे जैसा कि मेडिकल कालेज में अक्सर हड़ताल होती ही रहती है और मेडिकल कालेज हमारे उत्तर प्रदेश का एक ऐसा कालेज है, जहां अनेक प्रकार की बीमारियों का इलाज होता रहता है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या किसी कमेटी का निर्माण करेंगे, ताकि वहां की तमाम समस्याओं का निराकरण कर दे ?

श्री लोकपति--

मेडिकल कालेज, लखनऊ विश्वविद्यालय का अंग है और जब तक विश्वविद्यालय हमसे, उसमें सहयोग न ले हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस समय वहां कोई हड़ताल नहीं है और न कभी हुई लेकिन जो मांग-पत्र लिखा गया है, जैसा कि मैं समझता हूं तो वह क्या है? मांग-पत्र का जिक्र है, तो क्या कोई मांग-पत्र लेकर सन्दर्भित डाक्टरों की ओर से मिला और उन पर शासन ने कार्यवाही की ?

श्री लोकपति--

जी हां, मांग-पत्र मिला है । उसमें एक तो न्यूरो सर्जरी डिपाटमेन्ट के उच्चीकरण की बात थी, वह शासन के विचाराधीन है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या के ऊपर माननीय सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित किया है । मेडिकल कालेज इसीलिये प्रगति नहीं कर रहा है कि वहां पर ढुवेल शासन चल रहा है । मेडिकल कालेज को पूरी ग्रान्ट नहीं मिल पाती है । विश्वविद्यालय की ग्रान्ट ऐसे ही खर्च हो जाती है ।.....

श्री अध्यक्ष--

आप क्या प्रश्न कर रहे हैं ?

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि क्या वह इस विषय को सरकार के सामने लायेंगे, जिससे कि मेडिकल कालेज की समस्याओं का निराकरण हो सके ?

श्री लोकपति--

किस प्रकार की समस्यायें ?

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

जिससे वहां की व्यवस्था ठीक हो सके । व्यवस्था ही ठीक नहीं है । न तो मेडिकल व्यवस्था ठीक है न ही डाक्टरों की व्यवस्था ठीक है । वहां पर चले जाइये मक्खियां भिन-भिनाती रहती हैं ।

श्री अध्यक्ष--

बड़ा व्यापक प्रश्न है, आपका ।

श्री ए० सी० आइस--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुछ समय पहले मेडिकल कालेज और यूनिवर्सिटी को अलग करने के लिए तय हुआ था । उसके कुछ फायदे रहेंगे । उसमें क्या हो रहा है?

श्री लोकपति—

इस प्रकार का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मांग-पत्र था, उसमें उच्चीकरण की बात थी, इसके अलावा भी और कई मांगें थीं ? यदि एक से अधिक मांगें थीं, तो वह क्या हैं और सरकार उन पर क्या करने जा रही है ?

श्री लोकपति—

उसमें कुछ सर्विस के मामले हैं, जिनको मैंने विश्वविद्यालय को रेफर करने के लिए कह दिया है । हमसे मतलब स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो मामला है, वह यह है कि न्यूरो सर्जरी विभाग का उच्चीकरण किया जाये । उसके लिए आवश्यक कदम इस बजट में उठा रहे हैं ।

श्री मित्र सेन—

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार के कदम उठाने जा रहे हैं, उन पर अंतिम रूप से कब तक फैसला हो जायेगा ?

श्री लोकपति—

कह तो दिया बजट में करने जा रहे हैं, सुनें तो ।

अतारांकित प्रश्न

सीतापुर नगरपालिका के पुराना सीतापुर की पेयजल योजना

1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर नगरपालिका में पुराना सीतापुर के लिए पुनरीक्षित पेयजल योजना स्वीकृत होने में अभी क्या विलम्ब है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

सीतापुर नगर पालिका में पुराना सीतापुर के लिये पुनरीक्षित पेयजल योजना विरचित की जा रही है और आशा है कि सितम्बर, 1980 तक योजना का आकलन तैयार कर लिया जायेगा और उसके उपरान्त योजना की तकनीकी स्वीकृति लगभग एक माह में हो जायगी ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर, सीतापुर के लिये भवन निर्माण की मांग

2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर का भवन बनवाने हेतु सी० एम० ओ०, सीतापुर की ओर से कोई संस्तुति वर्ष 1979-80 में निदेशक, चिकित्सा विभाग को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति—

जी नहीं ।

अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

नोट:—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

न्याय पंचायत, बढ़नी चाफा, जिला बस्ती की राशन की दुकानों को चीनी का आवंटन

3—श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्याय पंचायत बढ़नी, चाफा, तहसील डमरियागंज, जिला बस्ती में कुल कितनी राशन एवं चीनी की दुकानें हैं तथा उनको 1980 में 15 जून तक कब-कब कितनी-कितनी चीनी आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

न्याय पंचायत बढ़नी चाफा, तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती में राशन तथा चीनी की 6 दुकानें हैं । उनको जनवरी से 15 जून, 1980 तक चीनी के आवंटन का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 83 पर)

डुमरियागंज तहसील, जिला बस्ती को चीनी तथा सस्ते गल्ले की दुकानों का विवरण

4—श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज तहसील, जनपद बस्ती में इस समय कुल कितनी लेवी चीनी तथा सस्ते गल्ले की दुकानें कार्यरत हैं और किन-किन ग्रामों में किस-किस नामों से हैं और क्या सरकार इनके नामों की सूची पटल पर रखने की कृपा करेगी ।

श्री राम सिंह खन्ना—

जिला बस्ती की डुमरियागंज तहसील में सम्प्रति 254 लेवी चीनी तथा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं ।

दुकानदारों के नाम तथा ग्रामों की †सूची संलग्न है ।

नगरपालिका, देवरिया की पेयजल योजना एवं टंकी का निर्माण

5—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देवरिया में नगरपालिका देवरिया हेतु जल निगम द्वारा 14 लाख रुपए की लागत से पानी की टंकी बनवाई जा रही है जिसे चालू कर सन् 1978 तक नगरपालिका को सुपुर्द कर देनी थी? यदि हां, तो अब तक उसे चालू न होने का कारण क्या है तथा कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

देवरिया नगरपालिका हेतु जल निगम द्वारा 13.687 लाख रुपये की एक पुनर्गठन पेयजल योजना बनाई गई थी जिसके अन्तर्गत, नलकूप पानी की टंकी तथा पाइप लाइन डलवाने के कार्य सम्मिलित थे । उसमें से टंकी की लागत 0 2.50 लाख थी और उसका निर्माण यद्यपि वर्ष 1977 तक पूर्ण हो गया था, परन्तु विद्युत आपूर्ति की कठिनाई के कारण नलकूप चालू न होने से टंकी को चालू करके उसे नगरपालिका को हस्तगत करने में बिलम्ब हुआ ।

नलकूप चालू कर टंकी को टेस्ट कर लिया गया है जो सही दशा में है तथा मई, 1980 से टंकी को निरन्तर भर कर देवरिया नगर को पानी की आपूर्ति की जा रही है । मई, 1980 में नगरपालिका से टंकी हस्तान्तरण हेतु अनुरोध किया जा चुका है ।

---

†छापी नहीं गयी ।

देवरिया जिले के राघव नगर के निवासियों का अवरुद्ध मार्ग खोलने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

6—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद स्थित राघव नगर के नागरिकों द्वारा सार्वजनिक अवरुद्ध मार्ग को खोलने के सम्बन्ध में दिनांक 30-9-75, 6-2-76, 24-12-79 का प्रार्थना-पत्र एवं किसी जनप्रतिनिधि का पत्र दिनांक 31-12-79 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना—

सार्वजनिक अवरूद्ध मार्ग को खोलने के संबंध में राघव नगर के निवासियों के प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-9-75 तथा 11-2-76 जिला स्तर पर तथा 24-12-1979 तथा जन प्रतिनिधि का दिनांक 31-12-79 का पत्र शासन स्तर पर प्राप्त हुये है। प्रश्नगत मार्ग को श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री जुगुल किशोर दीक्षित ने अवरूद्ध किया है, जिन्हें आर0 वी0 ओ0 ऐक्ट की धारा 10 के अधीन नोटिस दी गयी है और मामला नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, देवरिया के यहां विचाराधीन है। निर्णय होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जल निगम के मान चित्रकों का स्थायीकरण

7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश जल निगम विभाग में 6 मान चित्रकों, जिनका उल्लेख प्रबन्ध निदेशक के पत्र सं0 991 (अ) 2/7 मानचित्रक दिनांक 17 मार्च, 1977 में किया गया है, का स्थायीकरण अभी तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो इस मामले में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं। जल निगम के संदर्भित पत्र दिनांक 17 मार्च, 1977 में उल्लिखित 6 मानचित्रकों का स्थायीकरण 1 अप्रैल, 1976 से किया जा चुका है।

सीतापुर जिले में आवास एवं विकास परिषद् की आवास योजनाएं

8—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर में इस समय आवास एवं विकास परिषद द्वारा जो आवास योजना विचाराधीन है उसकी प्रगति क्या है तथा भू-खंडों का आवंटन कब तक कर दिया जायेगा ? इस संबंध में कुल कितने प्रार्थना-पत्र भूखण्ड प्राप्त करने हेतु अब तक जून, 80 तक प्राप्त हुये हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना—

सीतापुर में आवास एवं विकास परिषद् द्वारा निम्नांकित दो आवास योजनाएं कार्यान्वित की जा रहीं है :—

(1) सीतापुर में रेलवे स्टेशन कैन्ट के समीप भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना।

(2) सीतापुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना।

पहली योजना में लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा 17 की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। आशा है कि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा योजना में समाविष्ट भूमि का कब्जा एक मास के अन्दर आवास एवं विकास परिषद को हस्तांतरित कर दिया

जायेगा। कब्जा प्राप्त होने के लगभग 1 साल के अन्दर विकास कार्य पूर्ण करके विकसित खंडों को आवंटित किया जा सकेगा ।

दूसरी योजना अभी प्रारम्भिक अवस्था में है इसमें अभी कुछ समय लगेगा।

विकसित भूखंडों के लिये जून, 1980 तक कुल 108 व्यक्तियों ने आवास परिषद् में पंजीकरण कराया है ।

जिला चिकित्सालय, हरदोई के अधीक्षक, डाक्टर ए0एन0 सिंह का स्थानान्तरण

9—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि जिला चिकित्सालय, हरदोई के अधीक्षक, श्री ए0 एन0 सिंह की नियुक्ति उसी जनपद में बहुत समय से है ? यदि हां, तो अब तक स्थानान्तरित क्यों नहीं किया गया है ? इनका स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री लोकपति—

जी हां । डा0 ए0एन0 सिंह, जिला चिकित्सालय, हरदोई के अधीक्षक के पद पर माह अक्टूबर, 1974 से कार्यरत थे । इनका स्थानान्तरण उप मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती, के रिक्त पद पर शासनादेश दिनांक 29-7-1980 द्वारा कर दिया गया है।

जिला अस्पताल, हरदोई द्वारा दवाओं की खरीद

10—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला हरदोई के जिला चिकित्सालय में वर्ष 1978 व 1979-80 में कितनी दवायें आईं तथा उसमें से स्टोर द्वारा कितनी दवायें राजकीय कर्मचारियों व सामान्य रोगियों में वितरित की गयी ? क्या सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि उक्त स्टोर की दवायें बाजार में बेची जाती हैं ? यदि हां, तो इसकी जांच की गई और क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री लोक पति—

जिला चिकित्सालय, हरदोई में वर्ष 1978-79 में कुल 3,92,482 रु0 की दवाय आई जिसमें से 3,40,082 रु0 की दवाये सामान्य रोगियों में तथा 52,400 रु0 की दवायें राजकीय सेवा निवृत्त-राजकीय कर्मचारियों में वितरित की गयीं। वर्ष 1979-80 में कुल 3,71,449 रु0 की दवायें आई जिसमें से 3,33,856 रु0 की दवायें सामान्य रोगियों में तथा 37,393 रु0 की दवायें राजकीय/सेवा निवृत राजकीय कर्मचारियों में वितरित की गयीं।

उक्त स्टोर की दवायें बाजार में बेंचे जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला चिकित्सालय, हरदोई में राज्य कर्मचारियों के लिये औषधि-वितरण-काउन्टर

11—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के जिला चिकित्सालय में राज्य कर्मचारियो के लिये पृथक औषधि वितरण-काउन्टर या लोकल परचेज की कोई व्यवस्था है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जिला चिकित्सालय, हरदोई में राज्य कर्मचारियों के लिए पृथक से औषधि वितरण काउन्टर एवं लोकल परचेज की व्यवस्था है।

जिला चिकित्सालय हरदोई के फार्मेसिस्टों का कार्यकाल

12—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, हरदोई के कितने फार्मेसिस्टों के 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उनका स्थानान्तरण दूसरे जिले में न करने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति—

केवल एक फार्मेसिस्ट जिला चिकित्सालय, हरदोई में पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है ।

फार्मसिस्टों का जिला काडर होने के कारण उन्हें जिले में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है । किन्तु यदि किसी फार्मेसिस्ट के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है या उससे निजी प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तो उसे जिले से बाहर भी स्थानान्तरित कर दिया जाता है । चूंकि उक्त फार्मेसिस्ट के विरूद्ध न तो कोई शिकायत प्राप्त हुयी है और न ही उसकी ओर से कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है इस कारण उसके स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर व मेरठ जिलों में मिट्टी के तेल व डीजल का आवंटन

13—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले व गोरखपुर जिले को माह नवम्बर, दिसम्बर, 1979 व माह जनवरी, 1980 में कितना डीजल व मिट्टी का तेल दिया गया ? क्या दोनों जिलों को दिये गये डीजल व मिट्टी के तेल की मात्रा में भारी अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मेरठ व गोरखपुर जनपद को माह नवम्बर, दिसम्बर, 1979 तथा जनवरी, 80 में संलग्न तालिका में अंकित मात्रानुसार डीजल व मिट्टी का तेल आवंटन किया गया । उक्त अवधि में इन दोनों जिलों को आवंटित डीजल मात्रा में तो कोई विशेष अन्तर नहीं है परन्तु मेरठ जनपद की अपेक्षा गोरखपुर जनपद को आवंटित मिट्टी तेल की मात्रा अधिक रही है, जिसका प्रमुख कारण यह है कि वर्ष 1979 के इन्हीं महीनों में मेरठ की अपेक्षा गोरखपुर में मिट्टी तेल के विक्रय की मात्रा अधिक थी । पेट्रोलियम उत्पादों का जिलों को आवंटन करते समय सामान्यतया गत वर्ष के उन्हीं महीनों में बिक्री की गयी इन उत्पादों की मात्रा तथा जिले में उपलब्धि की सम्भावना को आधार बनाया जाता है । यही कारण है कि मिट्टी के तेल के आवंटन में उक्त दोनों जिलों के नवम्बर, दिसम्बर, 79 तथा जनवरी, 80 के आवंटन में भिन्नता है ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 84 पर)

गोरखपुर जिले में मिट्टी के तेल व डीजल का आवंटन

14—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 1979 के माह नवम्बर, दिसम्बर व 1980 के माह जनवरी में गोरखपुर जिले में डीजल व मिट्टी के तेल का वितरण किन-किन पेट्रोल पम्पों के माध्यम से कितनी मात्रा में किन विकास खंडों के लिये किया गया ?

श्री राम सिंह खन्ना—

वर्ष 1979 के माह नवम्बर-दिसम्बर व 1980 के माह जनवरी में गोरखपुर जिले के 31 विकास खंडों को डीजल का वितरण 30 पेट्रोल पम्पों के माध्यम से तथा मिट्टी के तेल का वितरण 19 मिट्टी के तेल के थोक विक्रेताओं तथा 6 पेट्रोल पम्पों के माध्यम से किया गया। उपरोक्त महीनों में माहवार किस विकास खंड को किस डीजल पम्प/थोक बिक्रेता से क्रमशः कितनी मात्रा में डीजल व मिट्टी तेल का वितरण किया गया है, इसका विवरण †संलग्न है।

सर्वेलेन्स निरीक्षकों एवं स्वास्थ्य निरीक्षकों को स्थायीकरण एवं पदोन्नति की सुविधा

15—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश मलेरिया पुनरीक्षित रणनीति संबंधी राजाज्ञानुसार पूर्व के समेकन प्रावस्था एवं अनुरक्षण प्रावस्था में कार्यरत संवर्गीय पदों के कर्मचारियों 13 डी0एम0ओ, ए0यू0 ओ0/ए0 एम0 एम0 ओ0 (ए0एम0ओ0) दोनों प्रावस्था के प्रयोगशाला प्राविधिक, गृह दर्शक (बी0एच0डब्लू0) को एक सम्मिलित वरिष्ठता सूची के अन्तर्गत शासन ने समान रूप से निधारित शैक्षिक योग्यता में छूट, स्थायीकरण, पदोन्नति एवं उच्च वेतनमान का लाभ प्रदान किया है? यदि हां, तो फिर प्रा0 स्वा0 केंद्र स्तर पर कार्यरत मात्र सर्वेक्षण निरीक्षण को ही उनके संवर्गीय स्वास्थ्य निरीक्षकों को मिली हुई उक्त सुविधाओं से क्यों वंचित रक्खा जा रहा है? इस असमानता का निराकरण कब तक हो जायगा?

श्री लोकपति—

जी हां, स्वास्थ्य निरीक्षकों का संवर्ग वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक, मलेरिया निरीक्षक तथा सर्वेलेन्स निरीक्षकों के संवर्ग से भिन्न है। चूंकि पारस्परिक ज्येष्ठता एक ही संवर्ग के कर्मचारियों के बीच लगा करती है अतः सर्वेलेन्स निरीक्षकों को स्वास्थ निरीक्षकों के संवर्ग में मिलाकर स्थाईकरण पदोन्नति आदि की सुविधायें दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

16—श्री राम आसरे वर्मा—

[पुनरावृति के आधार पर निरस्त]

शाहजहांपुर जिले के रामगंज बाजार के खण्डसारी लाइसेन्सधारियों की दुकानों की जांच एवं पकड़े गये लाइसेन्सधारी

17—श्री रूपराम—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि शाहजहांपुर में सितम्बर, 1979 में रामगंज बाजार में कितने खंडसारी उद्योगपतियों तथा लाइसेन्सधारियों के गोदाम जांच किए गये और कितने खंडसारी लाइसेन्सधारियों के गोदाम चौहद्दियों में अनियमिततायें पाई गयीं? इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह खन्ना—

शाहजहांपुर के रामगंज बाजार में 10 सितम्बर, 1979 को 20 खंडसारी चीनी लाइसेन्सधारियों के दुकान, गोदाम एवं रिकार्ड चेक किये गये जिसमें से 14 के यहां कोई अनियमितता नहीं पाई गई, चार के यहां गम्भीर अनियमिततायें पाई गई जिनके विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई तथा दो के यहां मामूली त्रुटियां पाई गई जिसके संबन्ध में विभागीय कार्यवाही की गई।

---

†छापा नहीं गया।

18—श्री रूपराम—

क्या यह भी सही है कि कुछ विशेष खंडसारी उद्योगपतियों तथा लाइसेंसधारियों को जिलाधिकारी ने छोड़ दिया ? क्या यह भी सही है कि किसी राजनैतिक पार्टी के स्थानीय अध्यक्ष के ऊपर जुर्माना भी किया गया ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(समय 11.55 पूर्वान्ह से)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्नोत्तर काल में कोई व्यवस्था नहीं उठानी चाहिये । अब कह रहा हूं, मान्यवर,....

श्री अध्यक्ष—

तो क्यों कह रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

प्रश्नोत्तर काल के बाद कहना चाहिये इसलिए कह रहा हूं । प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया । यह जो चल रहा था वेतन आयोग के बारे में उसका माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया । एक बात माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिला परिषद मुझसे संबंधित नहीं है इसलिये मैं उत्तर नहीं दूंगा । संयुक्त उत्तरदायित्व है मंत्रिमंडल का । क्या माननीय मंत्री जी उत्तर देने के लिये खड़े होंगे और कह देंगे कि उत्तर नहीं दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने यह नहीं कहा कि उत्तर नहीं दूंगा। उन्होंने कहा उत्तर नहीं दे सकते ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह कह देते कि सूचना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

उसका मतलब यही हुआ कि सूचना चाहिये ।

कार्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक ,गोरखपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध सत्याग्रह के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 में 6 सूचनायें प्राप्त हुई थीं उसमें एक सूचना अस्वीकृत हुई । पांच सूचनायें स्वीकृत हुईं।

*श्री पंचानन—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान एक लोक महत्व की घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । गोरखपुर जनपद का जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है । शिक्षकों का उत्पीड़न चरम सीमा पर है । जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा खुलकर हजारों रुपया नियमितीकरण के नाम पर लिया जा रहा है और घूस न देने वाले शिक्षकों के पद सृजन, पदोन्नति, ज्येष्ठता और सेलेक्शन ग्रेड के प्रकरण अधर में लटके हैं । श्याम कृष्ण इंटर कालेज थवईपार, नवभारत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सत्याग्रह के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कृषक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मदनपुरा एवं किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोल्हई, गोरखपुर जैसे भ्रष्ट प्रबन्धाधिकरणों से काफी धनराशि लेकर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है ।

जनपद गोरखपुर के शिक्षक इन समस्याओं को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर शांतिपूर्ण अहिंसात्मक सत्याग्रह कररहे हैं और जिला विद्यालय निरीक्षक फरार हैं । फलतः शिक्षकों में काफी असंतोष है । शिक्षकों ने शिक्षा निदेशक के लखनऊ स्थित कार्यालय पर अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल, धरना और सत्याग्रह की सूचना दी है । प्रश्न लोक महत्व की है क्योंकि गोरखपुर जनपद की सभी शिक्षण संस्थायें इससे प्रभावित है और अविलम्बनीय है क्योंकि तत्काल चल रहे सत्याग्रह से संबंधित है ।

अतः मैं सरकार से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर तत्काल कार्यवाही करने करने की मांग करता हूं ।

उत्तर प्रदेश नैपाल सीमा पर विदेशी जासूसों तथा तस्करों की बढ़ती हुई गतिविधियों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश तथा नेपाल की सीमा पर घट रही रहस्यमयी गतिविधियां आदरणीय सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के नैपाल से लगे हुए चार जिलों गोंडा, बस्ती, बहराइच तथा गोरखपुर के सीमावर्ती क्षेत्र इन दिनों विदेशी जासूसों और तस्करों के प्रमुख अड्डे बन गये हैं । इनकी रहस्यमयी गतिविधियां काफी संदिग्ध तथा प्रदेश विरोधी होती हैं यह भी ज्ञातव्य है कि त्रिपुरा तथा पश्चिमी बंगाल से पलायन कर रहे विदेशी एजेंटों ने अब गोंडा जिले के बस्तिगार में अपना लिया है । वह विभिन्न प्रकार के आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित बताये जाते हैं । जासूसी एवं तस्करी के अलावा यह निर्बल वर्गों का धर्म परिवर्तन कराने में भी लगे हुए ह ।

मान्यवर, क्षेत्र में इन गतिविधियों से आतंक पैदा है । अतएव मैं माननीय गृह मंत्री से तत्काल प्रभावी कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा करता हूं जिससे वहां की शांति व्यवस्था ठीक हो सके ।

देवरिया जिले के भाटपार रानी टाऊन एरिया में व्याप्त गंदगी तथा बीमारियों के प्रकोप के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिवंश सहाय––

देवरिया जिलान्तर्गत भाटपार रानी टाउन एरिया में कीचड़ एवं पानी के अभाव के कारण सैकड़ों आदमी हैजा तथा मलेरिया से पीड़ित हैं और मरणासन्न की हालत में हैं स्टेशन से दुर्गा मंदिर, मालवीय रोड, दुर्गा मंदिर से चिकटोली, कोआपरटिव बैंक से मुदरी बाजार से सोहनपार तथा रामपुर लिटिहा में एक फीट कीचड़ जमा हो गया है, पानी का जमाव हो गया है । टायर रिक्शा, तांगा, जीप आदि का चलना फिरना बाजार में बन्द हो गया है । रेलवे स्टेशन जाते समय मालवीय रोड के चौमुहानी पर पुलिया टूट गयी है जिससे दर्जनों आदमी उसमें गिरे हैं जिसमें लोगों का हाथ पैर टूट गया है ।

बाजार में छात्रों, अध्यापकों एवं नागरिकों का आवागमन बन्द हो गया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरिवंश सहाय]

अतः आज माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से मांग करता हूं कि भाटपार रानी टाउन एरिया की गंदगी को समाप्त करने, ड्रेनेज बनवाने तथा सड़कों को पक्का बनवाने का आदेश देने का कष्ट करें।

लखनऊ के बंगला बाजार स्थित बिजली पासी की प्रतिमा को कुछ अराजक तत्वों द्वारा तोड़े जाने से पासी जाति में व्याप्त असंतोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुहम्मद आजम खां—

महोदय, लखनऊ जनपद के ग्राम किला जो बंगला बाजार के निकट स्थित है जहां राजा पासी के किले के अवशेष विद्यमान हैं, यशस्वी राजा बिजली पासी के किले पर लगी प्रतिमा जिसका अनावरण माननीय दाऊजी गुप्त मेयर, लखनऊ के कर कमलों द्वारा प्रथम पासी राज दिवस के अवसर पर दिनांक 28 जून, 1973 को पासी जागृति मंडल के तत्वाधान में लगायी गयी थी जिसको किन्हीं अराजक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया है जिससे पासी जाति की संस्कृति एवं इतिहास को मिटाने की चेष्टा की गयी है । इस घटना से लखनऊ जिले एवं प्रदेश की सम्पूर्ण पासी जाति का अपमान हुआ है और उनमें क्षोभ एवं रोष का वातावरण पैदा हो गया है ।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं तथा मांग करता हूं कि उसी स्थान पर नयी प्रतिमा लगायी जाय ।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट का नाम पुकारे जाने पर)

(कुछ समय उपरान्त)

श्री अध्यक्ष—

विष्ट जी, आप अपनी नियम 301 की सूचना पढ़ें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मैंने आपको 4–5 कागज दिये थे।

श्री अध्यक्ष—

आप नियम 301 की सूचना पढ़ें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ट्रांसफर पर. . .।

श्री अध्यक्ष—

आप अपनी सूचना को पढ़ें । (सूचना को न पढ़ने पर) आप अपनी सूचना को नहीं पढ़ते हैं, तो बैठ जायं।

सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई आदि के सम्बन्ध में सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

जिला मैजिस्ट्रेट, बांसी ने टेलीप्रिंटर संदेश दिनांक 6–8–80, जो इस सचिवालय में उसी दिनांक को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री दिवाकर विक्रम सिंह, जिन्हें परगना

मैजिस्ट्रेट, बांसी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116 के अन्तर्गत 4 अगस्त, 1980 से जिला कारागार में निरुद्ध किया गया था को आज दिनांक 6-8-80 को उक्त परगना मजिस्ट्रेट द्वारा रिहा कर दिया गया है।

2—जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, प्रथम, बांसी ने अपने वायरलेस संदेश, जो इस सचिवालय में 6 अगस्त, 1980 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री राम आसरे पासवान सदस्य, विधान सभा को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ई) बांसी की भा0द0वि0 की धारा 188 के अधीन शिकायत पर खलीलाबाद पुलिस द्वारा उनके समक्ष 5 अगस्त, 1980 को प्रस्तुत किया गया। उन्हें 18 अगस्त, 1980 तक के लिये बांसी जिला जेल में रखा गया है।

3—अधीक्षक, जिला कारागार, बाराबंकी ने अपने वायरलेस मैसेज दिनांक 5-8-80 जो इस सचिवालय में दिनांक 6-8-80 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री राम-सागर, सदस्य, विधान सभा को जेल में दाखिल किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश पर कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

राज्य शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश पर कार्य करने के लिये इंण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 18 के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश पर कार्य करने के लिये इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 18 के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश पर कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन के कार्यक्रम की सूचना

श्री मेती लाल बेहलवी—

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष—

आप रुक जायं। मैं एक सूचना देना चाहता हूं, माननीय सदन को। माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के लिए विधान सभा के पांच सदस्यों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है:—

1—नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय	गुरुवार, दिनांक 21 अगस्त, 1980 को अपरान्ह 4 बजे तक।
2—नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	शुक्रवार, दिनांक 22 अगस्त, 1980 को अपरान्ह 3 बजे (सचिव, विधान सभा के कक्ष में)।

[श्री अध्यक्ष]

3—नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय	शुक्रवार, दिनांक 5 सितम्बर, 1980 को 5 बजे तक ।
4—निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान	गुरुवार, दिनांक 11 सितम्बर, 1980 को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन लखनऊ में होगा ।

श्री मोतीलाल देहलवी द्वारा औचित्य का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष—

अब कार्य-स्थगन प्रस्ताव लेता हूं।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, एक औचित्य के प्रश्न पर मुझे सुन लें, दो मिनट....

श्री अध्यक्ष—

रुक जाइये, आप बैठ जायं, एक मिनट बैठ जायं। आप बहुत अनुभवी और पुराने सदस्य हैं। जो सूचना मुझे मिली है उसे माननीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं "सचिव, विधान सभा, लखनऊ, महोदय, मैं आवश्यक एवं महत्वपूर्ण औचित्य का प्रश्न उठाने का अभिलाषी हूं। कृपया अनुमति देने का कष्ट करें। कोई विषय है? किस विषय पर विचार कर के मैं आपको अनुमति दूं या न दूं। यह कोई सूचना नहीं है। कोई अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री मोती लाल देहलवी—

मेरा निवेदन है....

श्री अध्यक्ष—

निवेदन इस सूचना में होना चाहिये था। विषय देना चाहिये था। इस तरह से जीरो आवर में नई प्रक्रिया नहीं डालना चाहता हूं.....

श्री मोती लाल देहलवी—

एक परम्परा संबंधी विषय पर मेरा औचित्य का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष—

आप विषय लिख कर दे दीजिए, मैं अवसर दूंगा। अब मैं अगली मद लेता हूं।

बागपत में सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन की एक सूचना प्राप्त हुई है श्री छत्तर सिंह और श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ की बागपत में सत्याग्रहियों पर दिनांक 6-8-80 को लाठी चार्ज किय जाने के सम्बन्ध में। यह प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया है।

श्री छत्तर सिंह—

[× × × × ×]

(विरोधी पक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे।)

नोट:--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया ।

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री चन्दन सिंह—

[× × × ×]

.....(घोर व्यवधान)

श्री छत्तर सिंह—

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं।

श्री चन्दन सिंह—

[× × ×]

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

अध्यक्ष महोदय, आप मान्य सदस्यों को नियमावली की एक-एक पुस्तक बंटवा दें।

.....(व्यवधान)

(लोक दल के सदस्य रिपोर्टरों की मेज के सामने खाली स्थान पर आकर बैठ गये और नारे लगाने लगे। "शासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी"। गुंडा गर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बागपत कांड के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पुलिस की गुण्डा गर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।)

श्री अध्यक्ष—

मैं नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि वे अपने दल के सदस्यों को नियंत्रित करें।

एक सदस्य—

हम सदन को नहीं चलने देंगे।

[लोक दल के सदस्य नारे लगाते रहे और सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया।]

श्री अध्यक्ष—

ऐसी स्थिति में मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय 12 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित हुई। 12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट और स्थगित रहने की सूचना मार्शल द्वारा दी गई।

तदुपरान्त 12 बजकर 35 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के संभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि जो घटना बागपत में कल घटी है और जिस पर अभी मेरे कुछ साथियों ने कार्यस्थगन का प्रस्ताव रखा था। आपने परसों की घटना पर मुख्य मंत्री को वक्तव्य देने को कहा है उसी में इसको भी एड कराकर वक्तव्य दिला दें तो अच्छा होगा। आपकी रूलिंग की मैं इज्जत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

5 तारीख को जो घटना हुई थी जिस पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया था, उस पर मैंने मुख्य मंत्री जो को वक्तव्य देने का निर्देश दिया था 6 तारीख की जो घटना है उसके संबंध में भी कायस्थगन का प्रस्ताव आया था। उस पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सदन में लोग

नोट:—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री अध्यक्ष]—

आकर बैठ गये और सदन स्थगित करना पड़ा अतोगत्वा अभी माननीय नेता विरोधी दल ने उस पर वक्तव्य की मांग की है। 5 तारीख की घटना पर वक्तव्य होने वाला है और 6 तारीख वाली घटना को भी उसमें शामिल करके मुख्य मंत्री जी इस संबंध में वक्तव्य दे दें, मैं इसका उनको निर्देश देता हूं। मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि इस पर वक्तव्य के लिये मुझसे कहा गया होता तो शायद मैं इसको पहले ही स्वीकार कर लेता।

[समय 12.40 अपराह्न से]

प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा

श्री अध्यक्ष—

अब मद संख्या 9 लेता हूं। प्रदेश की प्रमुख नदियों में आई बाढ़ के संबंध में जो दिन भर की चर्चा है। अब वह चर्चा प्रारम्भ होगी और माननीय रियासत हुसैन जी यह चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, आज प्रदेश के 33 जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। जो सरकारी रिपोर्ट्स जिलों से जिलाधिकारी द्वारा भेजी जाती है, शायद इस माननीय सदन के बहुत से सदस्य भी यह समझकर चलते हैं कि वह बहुत मिनिमाइज करके भेजी जाती है। उसके बावजूद भी जो जिलाधिकारियों की इस वक्त तक की रिपोर्ट मिली है, उसमें यह स्थिति है कि पूरे प्रदेश में लखनऊ, शाहजहांपुर, देवरिया, बस्ती, सबको मिलाकर 366 मौतें सैलाब की वजह से पीड़ित होकर हो चुकी हैं और 33 जिले प्रदेश के इस वक्त बुरी तरह से सैलाब से प्रभावित हैं। 11200 गांव, जिसमें लगभग 62 लाख की आबादी है, बुरी तरह से प्रभावित हैं। डेढ़ लाख मकान गिर चुके हैं और लगभग 20 करोड़ की हानि आंकी गई है। श्रीमन्, यह रिपोर्ट जिलाधिकारियों की है, अगर असलियत में जाया जायगा तो शायद चौगुना हिसाब बैठेगा हर चीज के नुकसान पर। लेकिन इस शासन में यह आदत क्यों पड़ गई कि रिपोर्ट को कम करके भेजते हैं? श्रीमन्, 1972 से पहले भी सैलाब आया था, 1972 में भी सैलाब आया, 1978 में आया और इस साल फिर सैलाब आ गया और इस बाढ़ के द्वारा प्रदेश के अन्दर बड़े सीरियस नुकसान हुए हैं लेकिन दुख की बात यह है कि इस प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी, इस प्रदेश का शासन उसको उतना सीरसली नहीं लेता। बाढ़ आती है, उस वक्त तो काफी भाग-दौड़ होती है, असेम्बली एडजर्न हो जाती है, मंत्रियों के दौरे होते हैं, हैलिकाप्टर से मुआयना किया जाता है और जिलों में किश्तों की मांग हो रही है, मिलिटरी बुलाई जा रही है लेकिन बाढ़ खत्म होने पर सारा मामला ठंडा हो जाता है और सारी भाग दौड़ समाप्त हो जाती है और भविष्य में हम बाढ़ को फेस न करें इसका कोई इन्तजाम नही करते। इससे हर आने वाली बाढ़ में काफी नुकसान होता है और बाढ़ के समय ये सारी परेशानियां होती हैं। प्रदेश के अन्दर तीन बड़े कारणों से यह नुकसान हुआ है। दो तीन जिलों बरेली, मुरादाबाद, रामपुर तथा नैनीताल की तराई को छोड़ कर पूरे प्रदेश में भारी वर्षा हुई है जिससे यह नुकसान हुआ। नदियों पर जो ग्रिड बनें जगह-जगह उसकी वजह से वाटर लोगिंग हुआ इतने बड़े पैमाने पर जिससे पानी की निकासी न होने से बड़ा नुकसान हुआ।

तीसरी चीज यह है कि जो बांध बनाये गये हैं प्रदेश की नदियों का पानी रोकने के लिये तथा उनसे नहरें निकालने के लिये ताकि प्रदेश के किसानों को आबपाशी के लिये पानी मिल सके, इन बांधों में कुछ ऐसा मालूम होता है कि उनके बनाने में कुछ न कुछ कमी जरूर रह गयी है। 63–64 की बात है जब छितौनी बांध देवरिया का टूटा था तब सैलाब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से भारी नुकसान हुआ था। मुझे याद पड़ता है तब इंक्वायरी हुई थी और इंक्वायरी रिपोर्ट में यह बात कही गई थी कि डैकिनकली यह जो बांध बना है इसके आरिजिनेशन में ही गलती हुई है। फिर इसको रोकने के लिये रिंग बांध बनाये गये तथा कुछ और इन्तजाम किये गये। आज के अखबार में सनसनीखेज खबर छपी है कि नानक सागर बांध तथा शारदा बांध बर्स्टिंग प्वाइंट पर पहुंच गये हैं। एक बार पहले भी नानक सागर बांध टूट चुका है और उससे काफी नुकसान हो चुका है। फिर कहीं यह बांध टूट गया तो क्या हश्र होगा इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। सोचने की बात यह है कि बांधों का बनाना भी जरूरी है क्योंकि सिंचाई के लिये पानी रोकना है। बांध बन भी रहे हैं जैसे टेहरी बांध, तुमरिया और अफजलगढ़ बांध। यह भी खबर मिली है कि तुरतीपार बांध भी टूटने वाला है।

सेंट्रल फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने यह खबर 31 जुलाई को दी है कि प्रदेश की सब बड़ी नदियों में फ्लड सिचुएशन एलार्मिंग हो गयी है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बांध में ब्रीच हो गया है और बरमाटडला से होकर पानी उत्तर प्रदेश में फैलेगा। 1-8-80 को खबर छपी है कि जौनपुर को बचाने के लिये बैटिल की जा रही है। इन सारी बातों को देखते हुए एक बार यह सोचना पड़ेगा कि प्रदेश के अन्दर जो बांध बनाये गये हैं उनमें आखिर क्या कमी रह गयी है बांधों को आगे कोई नुकसान न पहुंचे इसके लिये उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है और भविष्य में जो बांध बनाये जायं उनके अन्दर फिनकलिटी में पहले जो कमी रह गयी है उसको पूरा किया जाय? तो आवश्यक हो जाता है क्योंकि बहुत से बांध बन गये हैं और आगे और बनने वाले हैं प्लान में आपके हैं उसके लिए एक हाई पावर्ड कमेटी टैकनिकल कम नान-आफिसियल्स की हो जिसमें बड़े बड़े इंजीनियर्स भी हों और माननीय सदन के चार जिम्मेदार आदमी सूझ बूझ के उसमें रहें जो इस बात का निराकरण सोचें कि क्या वजह है कि हमारे बंधों में सीपेज, लीकेज और ब्रीच की बात क्यों आ रही है जिसने आदमियों का रात दिन का सोना हराम कर दिया है।

हाल ही में लखनऊ में एक मकान गिर गया खबर छपी कि पुरानी मस्जिद थी उसके टूटने से 10 आदमी मर गये। तो यह सारी चीजें बाढ़ के अन्दर आती हैं। तो इन सब के लिए जिले-जिले में मीटिंग होती हैं। मेरा कहना है कि जिलाधिकारी इन सारी चीजों को सीरियसली क्यों नहीं देखते हैं। हमारे यहां जो गंगा में ब्रिज घाट में बांध है उससे मुरादाबाद में हसनपुर क्षेत्र की पूरी जमीन डूब गयी है। गंगेश्वरी का पूरा ब्लाक और हसनपुर का आधा ब्लाक पानी से भरा पड़ा है हरिबाबा का बंधा जो हसनपुर से आगे पड़ता है जिसे श्रमदान से 40 साल पहले बनाया था उससे जोड़ दिया गया है। उस हरिबाबा बंधे की मेन्टीनेन्स के लिए आपका नरोरा फ्लड कन्ट्रोल डिवीजन लेता है। जिसकी शायद ही कोई मेंटीनेंस होती है और लाखों रुपया उसकी मेंटीनेंस के लिए दिखा देते हैं। लेकिन उसकी मेंटीनेंस नहीं हुई। नतीजा क्या हुआ कि गंगा जैसी नदी का पानी 40 क्यू० मी० क्षेत्र में एक नहर की तरह से जैसे यहां गोमती का पानी बह रहा है ब्रिज घाट से हरिबाबा के मन्दिर तक बह रहा है। उस हरिबाबा बंधे की मेन्टीनेंस हुई नहीं तो उसके शैलाब से वह बंधा 10, 12 मीटर में हो गया है और आगे फिर ब्रीच होने वाला है और वह अनूपशहर और दयोली ग्राम में ब्रीच होगा तो उससे पूरी हसनपुर तहसील बह जायगी। हजारों लोगों की मौत होगी। अभी जो ब्रीच हुआ है उससे जैसा फखरे आलम साहब ने कहा गम्भीर और सहसराम से पानी टकरा रहा है। (व्यवधान) अब आप दुआ मांगिये कि टूट जाय हम तो बचाने में लगे हैं। यह जो समाचार छपा है इसको सरकार ने कंट्राडिक्ट नहीं किया है। अगर सरकारी एजेंसी ने कंट्राडिक्ट किया होता तो हमें कहने की जरूरत नहीं होती तो जब कंट्राडिक्ट नहीं किया है तो हम कैसे मान लें कि वह नहीं टूटा है।

श्रीमन्, बहुत भारी बरबादी राप्ती, गंडक, घाघरा और जमुना के द्वारा हुई है जिससे 33 जिले पूरी तरह से प्रभावित हैं। इटावा, बदायूं, मुरादाबाद, पूरब का पूरा क्षेत्र आज बह रहा

[श्री रियासत हुसैन]

है। हमें सोचना चाहिये कि इस सैलाब से बचने के लिए क्या करना है। आज पूरें दिन इस पर बहस चलेगी। सभी माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र की बात रखेंगे। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि मंत्री जी से और उनको बताना चाहता हूं कि इस मुसीबत में उनको क्या करना चाहिये। एक बात तो मैंने हाई पावर कमेटी की कही, उसको आप एप्वान्इट कीजिये ताकि सारे बांधों के बारे में सर्वे हो कि किनमें क्या कमी होगी और किसमें क्या जाना है। उसकी बहुत सख्त आवश्यकता है।

दूसरी बात मैं यह खेद के साथ कहना चाहता हूं, रेवेन्यू विभाग के मंत्री यहां नहीं हैं। सन् 78 में प्रदेश में भयंकर सैलाब आया और 79 में सूखा आ गया। लेकिन रिलीफ के नाम पर जो सरकारी देय हैं—मालगुजारी आदि, वे केवल स्टे हैं, उनके रेमिट करने के आर्डर अभी तक नहीं गये। किसान लोग उसके वसूली की आशंका से परेशान हैं और कर्मचारी लोग उसे वसूल करने के मौके का इंतजार कर रहे हैं, तैयार बैठे हैं। तो वसूलयाबी को स्टे करने की प्रथा को आप बन्द कीजिये। यदि तीन साल का लगान एक साथ आप वसूल करने लगे तो क्या वह देने की स्थिति में होगा! वह कभी उसको नही दे पाएगा। तो जैसे बड़े-बड़े सूबे और बाढ़ हैं उनमें आप सीधे रेमिटस घोषित किया करें। उनका सारा लगान माफ होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

आप समय का ध्यान रखिये।

श्री रियासत हुसैन—

आज तो इसे पूरे दिन चलना है और आप 25 मिनट तो मुझे देंगे। एक चीज और मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं हर दैवी मुसीबत के समय यह कह दिया जाता है कि पढ़ने वाले बच्चों से स्कूलों में फीस नहीं ली जायगी। आर्डर पहुंचते हैं, लेकिन पिछली बार तीन-तीन यहां से आदेश गये और जिले के अधिकारियों ने दिखाया वही उसके लफ्ज हैं— जिस बच्चे के बारे में तहसीलदार यह रिपोर्ट देदेगा कि इसकी जमीन की क्षति 50 प्रतिशत से ज्यादा हुई है, केवल उसी की फीस माफ की जायगी, गवर्नमेंट उसकी फीस अदा करेगी। इस तरह से मुसीबतजदा लोगों की कोई सही मदद नहीं हो पाती है। 78 में भारी ऐतिहासिक बाढ़ आयी और 79 में भीषण सूखा पड़ा, फिर भी स्कूली बच्चे तहसीलदार के कार्यालय के चक्कर रोज काटें या पढ़ाई की जाय।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)—

अब यह अधिकार प्रिंसिपलों को दे दिया गया है।

श्री रियासत हुसैन—

यह अधिकार उनको दिया गया है, लेकिन रिलीफ के जो आर्डर जाते हैं—जिन बच्चो के खाते पर 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है, उसको माफ कर दिया जाय, आपने यह नहीं किया है कि जो जिले आपने बाढ़-पीड़ित या सूखा पीड़ित घोषित कर दिये है, वहां के सारे बच्चों की फीस प्रिंसिपल लोग अपने इनेशिएटिव पर माफ कर दें। यह अधिकार आप उनको नहीं देते हैं। तो जो रिलीफ आप देते हैं वह कम्पलीट होना चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, हर बाढ़ के बाद मेडिकल रिलीफ की आवश्यकता होती है, क्योंकि मवेशी मरते हैं बीमारी फैलती है तो आप अपने मेडिकल अफसरों को यह आर्डर भेजें कि वह ग्रुप की शक्ल में लोकल लोगों के सहयोग से हर जगह जाकर बीमारियों के फैलने से रोकने का प्रयत्न करें।

श्रीमन्, ये जो 1 1/2 लाख मकान गिर गये हैं उनके बनाने की समस्या हमारे सामने है। लिस्ट बन जाती है, पटवारी या लेखपाल बनाकर भेज देता कि इतने-इतने मकान गांवों

में गिर गये लेकिन उनको मिलता है क्या किसी को 50 रुपये किसी को 100 रुपये। समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से सरकारी अधिकारी 50–100 रुपये मे मकान बना सकते हैं। क्या वे मकान पक्के होते हैं छप्पर होते हैं मिट्टी के या बांस के होते हैं या वे कागज के बनाये जाते हैं? तो वे कौन सी चीज से बनवाने का एस्टीमेट लगाते हैं। समझ में नहीं आता है कि 2 या 2 1/2 सौ रुपये में कौन सा मकान बन सकता है। मेरा कहना यह है कि जो भी रुपया आप मकान बनने के लिए देना चाहें, वह तो दें लेकिन अगर ज्यादा देना आपकी ताकत के बाहर है तो 4 प्रतिशत की दर पर आप उन्हें नोमिनल इन्टरेस्ट पर लोन दें ताकि वे अपने-अपने मकान बना सकें वरना तो यह होता है कि जो आप 100 या 200 रुपये उन्हें देते हैं वे उसे अपने कमीज और कुर्त्तों के बनवाने या और दूसरे खर्चों में प्रयोग कर लेते हैं। अगर उस धनराशि का सही यूटिलाइजेशन चाहते हैं तो लोन देकर उस की इमदाद करनी चाहिये।

एक बात मुझे यह कहनी है कि जिस तरीके से आपकी अन्त्योदय स्कीम है उसी लाइन्स पर आप गिरे हुए मकानों को बनवाने की स्कीम मे जोड़ दें ताकि वे रहने लायक हो सकें।

जहां तक आवश्यक कमोडिटीज के डिस्ट्रीब्यूशन का प्रश्न है इसमें भी बड़ी लूटमार होती है चाहे वह चना हो, गुड़ हो, माचिस हो, तेल हो या और कोई चीज ही एमर्जेन्सी में जो हाथ लगता है वह मार दिया जाता है। अगर तहसीलदार के हाथ लगता तो वह, कानूनगो के हाथ लगता है तो वह अगर ग्राम प्रधान के हाथ लगता है तो वह मार देता है। यही हाल कपड़ा, कंबल और चावल आदि जो भी चीज बाढ़ में रिलीफ के लिए देते हैं उनका हालत यही है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसको बंटवाने में बहुत होशियारी की आवश्यकता है।

इसके अलावा जो किसान बाढ़ से पीड़ित हैं, उनको उसकी रबी की फसल की बुआई के लिए बीज, फर्टीलाइजर, सब्सिडाइज्ड रेटस पर मिलें और उसको भी अन्त्योदय की स्कीम से ही जोड़ा जाय ताकि वह अपनी आने वाली फसल को समय से बो सकें। उसकी खरीफ की फसल तो गयी ही लेकिन अगर ऐसा न किया गया तो रबी की फसल भी बरबाद हो जायेगी।

जनता सरकार के जमाने में एक स्कीम सरकार ने चलायी थी कि पूरे प्रदेश के अन्दर जो लोग लूले, लंगड़े, अन्धे, बूढ़े या अपाहिज होते थे और जो फूड फार वर्क के तहत 5 किलो अनाज प्रति दिन नहीं ले सकते थे, उनको 15 किलो गेहूं हर महीने सरकार की तरफ से दिया जाता था कि ताकि लोग भूखे न मर सकें। लेकिन आपने उसको भी बन्द कर दिया। अब वे लोग इधर-उधर मारे-मारे फिर रहे हैं। तो कम से कम इस बाढ़ की आपत्ति के समय मे उन डेस्टीट्यूट्स लोगों को जो पहल रिलीफ दिया जाता था उसको रेस्टोर कर दिया जाय।

इन सब चीजों का इलाज केवल क्रोप इन्श्योरेन्स ही है। आप सारे बजट को किसी भी तरह से मैन्युपुलेट करें जितनी जल्दी आप क्रोप इन्श्योरेन्स लागू करेंगे, उतनी ही जल्दी प्रदेश की इकोनामी स्टबिलाइज हो सकेगी और जब तक इस स्कीम को लागू नहीं किया जायगा तो कहीं पर सैलाब, कहीं पर सूखे, कहीं पर ओले आदि से क्षति होती रहेगी और गरीब किसान पिसता रहेगा। हमारे इलाके में ओले पड़े और वहां के डी0 एम0 वहां पर पहुंचे। मगर डी0 एम0 के पास है क्या? डेढ़ करोड़ रुपया आपने सब्सीडी देने के लिए उनको डिस्पोजल पर रखा है, 66 लाख रुपये और मदद देने के लिये। इससे क्या होता है। आज प्रदेश की बड़ी-बड़ी सभी नदियों में भीषण बाढ़ आयी हुई है और जो भी आपके मुख्य-मुख्य बांध हैं जैसे अपर जलपद बांध है, तुमरिया का है, नानकसागर का है, छितौनी है, इन सभी पर भीषण खतरा बना हुआ है और किसी भी समय इनमें दरार पड़ सकती है और यह टूट सकते हैं। इसलिये इस तरफ सीरियसली विचार करने की जरूरत है।

एक चीज और कहना चाहता हूं। फ्लड डिवीजन का काम बड़ा महत्व का है। इसमें आपने जो गाड़ियां रखी हैं वे थर्ड क्लास दे रखी हैं, बहुत खराब हैं। जो और आपके ट्यूबवेल

[श्री रियासत हुसैन]

विभाग है, कैनाल विभाग हैं, उनमें आपने अच्छी-अच्छी गाड़ियां दे रखी हैं। फ्लड डिवीजन में खराब गाड़ियां देने से वे आवश्यकता पड़ने पर खतरों का सामना नहीं कर पाते क्योंकि गाड़ियां अक्सर खराब हो जाती हैं। इस डिवीजन में आप अच्छी गाड़ियां देने की व्यवस्था करें।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं, आज सारा दिन बाढ़ पर बहस सदन विचार करेगा, और मंत्री जी एक व्यापक तस्वीर सदन के सामने रखेंगे। (मंत्री जी को पुकारे जाने पर)

श्री भीखालाल—

श्रीमन्, जब कभी बाढ़ आती है तो एक स्टेटमेन्ट सरकारी तरफ से, बाढ़ पर चर्चा करने से पूर्व, हम लोगों को दिया जाता है। उससे चर्चा मे बड़ी मदद मिलती है। सरकार ने जरूर इसे तैयार करवाया होगा, उसे पहले बटवा दें तब बहस हो।

श्री अध्यक्ष—

इसीलिये मैंने माननीय मंत्री जी को पुकारा है, वे सब बता देंगे।

*सिंचाई मंत्री (श्री बीरबहादुर सिंह)—

मान्यवर, बाढ़ के बारे में जो चर्चा यहां चल रही है, इस संबंध में यहां पर, बल्कि दोनों सदनों में, एक वक्तव्य पहले ही दिया जा चुका है। बाढ़ से जो भी क्षति होती है, जहां जहां कटान होता है, उस पर सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जाती है। प्रदेश में हमने बाढ़ आने के पूर्व ही काफी काम शुरू कर दिये थे। बांधों की मरम्मत या जहां कहीं स्पर कट जाते हैं उनकी मरम्मत तुरन्त की जाती है और उसकी व्यवस्था हर जगह कर रखी है ताकि आपत्ति आने पर आवश्यक कार्यवाही हो सके। अभी जो सूचना हमारे प्रदेश की आयी है, बहुत कम जगहों पर कटान हुए हैं। अमवाखास गांव में बड़ी गंडक पर जो बांध बन रहा था कट गया। बांध कटने से जो इस तरह गांव डूब गये, 13 गांव पर उसका असर पड़ा। इस प्रकार बिहार बांध है, उसके कटान से हमारे प्रदेश के 36 गांव डूबे है और 13 गांवों पर काफी असर पड़ा है। बाकी आंशिक रूप से असर पड़ा। बदायूं में हरीबाबा बंधा अभी कटा नहीं है। यह नदी से 90 मीटर की दूरी पर है। उसके बचाने की कोशिश की जा रही है। उस पर काम हो रहा है, बंध नहीं कटा है और न बांध कटने से नुकसान हुआ है। बलिया में बांध सुरक्षित है। उसका टो कट गया था, उसकी हम मरम्मत कर रहे है। काम ठीक चल रहा है और एक बस्ती जिले में बांसी बांध है उसकी भी मरम्मत की जा रही है।

इस प्रकार से देखें, उत्तर प्रदेश में अभी कोई ऐसी बात नहीं आई है कि कोई सरकार की लापरवाही से या कोई सिंचाई विभाग के कारण से कोई दिक्कत पैदा हुई हो। जो अति-वृष्टि हुई, बहुत जगहों पर, जहां नदियां नहीं है, जहां पर सड़कें बह गयी है, उसके कारण जगह-जगह पर वाटर लागिंग हुई, उससे लोगों को दिक्कत हुई और उससे नुकसान हुआ और भी बहुत सी बातें जो हमारे माननीय सदस्य ने कहा है उन सारी बातों पर गौर करके कोशिश की जा रही है, जिस तरह से हम प्रदेश को बाढ़ से बचा सकें, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इस पंचवर्षीय योजना में 230 करोड़ रुपया रखा गया है 230 करोड़ के द्वारा हम अपने प्रदेश की नदियों में, वहां बांध बना कर जो भी साधन उपलब्ध हो सकते हैं उसके द्वारा हम बचाने का प्रयास करेंगे और यह भी प्रयास कर रहे है जैसा सुझाव है, इसको एक ऐसा सर्वे कराया जाय कि हम किस तरह से बाढ़ से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकें मास्टर-प्लान बनाने जा रहे है, किस तरह से हम बाढ़ से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय, यह भी बात सही है कि 120 करोड़ पये के काम आज तक हुए। 11.6 लाख हेक्टेयर जमीन जो बाढ़ में डूब जाती थी, उसको बचा सके हैं। 24.5 हेक्टेयर हमेशा से डूब जाती थी, 71–72 करोड़ का लाश होता था, इस योजना के अन्तर्गत 7 लाख हेक्टेयर जमीन को बचा लेंगे। केवल कुछ ही जमीन रह जायगी जो डूब जायगी, लेकिन उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको भी बचा लें। उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और जहां तक सहायता की बात है इस बार मुख्यमंत्री जी ने खुद तमाम क्षेत्रों का दौरा किया। हमने खुद दौरा किये। अधिकारीगण और मंत्रीगण ने दौरा किया। आपको शंका नहीं मिलेगी कि कोई लापरवाही बरती जा रही है। अभी आपने देखा गोमती की बाढ़ यहां पर जितनी बाढ़ आई थी, यहां पर जितनी मुस्तैदी से काम हुआ है, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। जो रिपोर्ट आ रही है, मुख्य मंत्री जी ने साफ कह दिया कि जो भी, जितनी भी जरूरत पड़ी, हर तरह से सुविधा दी जाय। हर तरह की रिलीफ दी जाय। जिलाधीशों की मीटिंग में भी यही कहा गया जो भी राहत दी जा सकती है, दीजिये पैसे की चिन्ता आप न करें। तो माननीय, जितना भी दिया जा सकता है दिया जा रहा है, शिकायत का मौका नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ हाउस सब्सीडी भी दी जा रही है। पहले 300 रु0 कच्चे मकानों के लिए था और 500 रु0 पक्के मकानों के लिए था। परन्तु अब कच्चे मकानों के लिए रु0 500 कर दिया गया और पक्के मकानों के लिए रु0 800 किया गया है। जैसा अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि उन्हें 50 0 दिया जाता है, गलत है। हमारी ओर से जितनी भी सहायता दी जा सकती है, वह देने का बराबर प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही जिलाधीशों से भी यह कह दिया गया है कि उन्हें जिस चीज की आवश्यकता हो, उसकी तुरन्त मांग करें और उस पर तुरन्त कार्यवाही करें। इसलिए माननीय, मैं कहना चाहता हूं कि हमें किसी तरफ से नदियों, नहरों और बांधों आदि के बारे में जो भी मालूमात होती है, उस पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है। माननीय सदस्य जिस बांध के बारे में कह रहे हैं, उसकी भी जांच करा ली जायेगी और आगे जब भी मैं उसका उत्तर दूंगा तो और सारी बातों की भी सूचना दे दूंगा।

श्री सभापति—

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बाढ़ के विषय पर लगभग सभी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे और इस चर्चा पर 5 बजे तक बहस होनी है यदि हर माननीय सदस्य को 10–10 मिनट का समय रहेगा तो मैं समझता हूं कि इसमें शायद सभी सदस्य भाग नहीं ले सकेंगे इसलिए उपयुक्त होगा यदि 10 मिनट के स्थान पर 5 या 7 मिनट कर दिया जाय, जिससे अधिकांश सदस्य इसमें भाग ले सकेंगे।

(किसी के आपत्ति न करने पर)

अतएव, 5 मिनट का समय कर दिया जाता है। यदि कोई आवश्यक सूचना हुई तो ऐसी परिस्थिति में उस माननीय सदस्य को अधिक से अधिक 7 मिनट दे दिया जायगा। (व्यवधान)।

*श्री रुद्र प्रताप सिंह—

माननीय, मैं देवरिया जनपद का विधायक हूं और देवरिया जनपद के बारे में एक घटना यह है (व्यवधान)

माननीय, आपने हमें 5 मिनट दिया था, दो मिनट इन्होंने ले लिया, कृपया वह दो मिनट दे दीजिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री रुद्र प्रताप सिंह]

मान्यवर, हमारा जनपद गरीबी की सीमा से बहुत नीचे है। यहां की हालत और जिलों से बिल्कुल भिन्न है। आर्थिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है।

या घर तें न गया कबहूं पिय,
टूट तवा और फूटी कठौती,
शीत व्यतीत भयो सिसयातैं,
हो हठती न तुहैं हठौतीं,
जो जनतीं न हितु विधायक सौं,
तो काहु को ठेल विधायक लखनऊ पठौतीं।

तो मान्यवर, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिन के हाथ में सत्ता है, वहीं सब कुछ हैं। अगर वह गलत बात को हां-हां कर दें तो सही हो जायगी और यदि सही बात को नहीं-नहीं कर दें तो गलत सिद्ध हो जायगी। चाहे आपकी बात में सत्यता कितनी ही हो। हमारे देवरिया जनपद में जिसमें एक धार्मिक स्थान है बैकुंठपुर, जिसमें पौहारी माहर का स्थान है। यहां के 15 मकान बाढ़ के कारण गिर गये और मान्यवर, महुवि में 4 मकान गिर गये। मथुरा घाट पर जो गंडक के किनारे है वहां पर लगभग 50 हजार की एक बिल्डिग है, जिसके दो मीटर के करीब नदी है। अगर उसमें पत्थर लगाने की व्यवस्था शीघ्र नहीं की गयी तो वह 50 हजार की लागत की बिल्डिग गिर जायगी। इसके लिये जब वह अधिकारियों से कहा जाता है तो वह कहते हैं इस समय कुछ नहीं कर सकते हैं।

मिसरौली ब्राह्मणों का गांव है। जब मैं वहां गया तो उन लोगों ने कहा हमारे यहां तो ऐसा है इन्द्र भगवान का प्रकोप है हम इन्द्राजी के लिए लालाइत हैं जब वह आयगी तो सहायता कार्य शुरू होगा। मान्यवर, एक बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं गांव में किसी गरीब के पास 3 एकड़ जमीन है उसके दो बच्चे हैं, बड़े होने पर दोनों बच्चे जमीन का बंटवारा कर देते हैं, एक एकड़ बाप को देते हैं और डेढ़ एकड़ बच्चे ले लेते हैं। मान्यवर, सरकार का यह कहना है कि जिसके पास 1.60 एकड़ से कम ज़मीन है उसी को सहायता दी जायगी तो मान्यवर, इस स्थिति में उस गरीब को सहायता नहीं मिल पाती है। हमारे यहां बलिया में जो गांव आज बाढ़ से पीड़ित है जो चारों तरफ से पानी घिरे हैं मान्यवर, इस सीमा 1.60 को बढ़ाया जाय। मान्यवर, जब मैं बाढ़ के सहायता के संबंध में अपने यहां जिलाधीश और तहसीलदार साहब से मिला तो उन्होंने अंग्रेजी में एक शब्द कहा मैरुन शब्द की परिभाषा उन्होंने की कि जो गांव चारों तरफ से पानी से घिरे है जैसे हरपुर मंझारिया, खांडछापर, मधवापुर आदि गांवों को तो उन्होंने कहा है कि सहायता देंगे, किन्तु जो गांव तीन तरफ से पानी से घिरे हैं और एक तरफ रास्ता है जैसे बरईपुर, कोटवा, शामी पट्टी, भीखमपुर आदि को नहीं देंगे। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि जब गांव का रास्ता अवरुद्ध हो जाय बाढ़ के कारण बाजार से सामान लाने का तो उस गांव को सहायता मिलनी चाहिये और जो एक छटांक सहायता मिलती है वह कम से कम 4 छटांक मिलनी चाहिये। इसी संदर्भ में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां के जड लेखपाल हैं वह कहने के लिये लेखपाल है वैसे वे बड़े पाल है। वे गांव में जाते ही नहीं और उनकी स्थिति से सरकार को अवगत नहीं कराते हैं, जब तक वह सरकार को बतायेंगे नहीं सरकार कोई कार्यवाही नहीं करेंगी। मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम मिसरौली में एक बिल्डिग 50 हजार की उसके किनारे नदी बह रही है किनारा टूट-2 कर गिर रहा है बैकुंठपुर हरि भगवान का धाम है कम से कम उसको बचाने का विचार करें। हम तो मान्यवर, सिर्फ इतना कहते हैं:—

"हम तो प्यासे ही चले जायेंगे साकी, पर इंकलाब आ के रहेगा तेरे मयखाने में"

जय हिन्द ।

श्री त्रिवेनी—

बाढ़ के सिलसिले में आज बहस जारी है । मान्यवर, बाढ़ के जिले तो पूरब के रहे हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से भाईरियासत हुसैन साहब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पश्चिम के रहते हुए भी बाढ़ पर बहस शुरू कर दी । मान्यवर, गोरखपुर, बनारस और इलाहाबाद डिवीजन बाढ़ की चपेट में प्रतिवर्ष आ जाता है और फैजाबाद डिवीजन के कुछ जिले जैसे प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, गोमती और सई से परेशान रहते हैं ।

मान्यवर, सन् 1976 में बाढ़ की रोकथाम की एक योजना बनाई गई थी, 350 करोड़ की जो भारत सरकार के विचाराधीन है यह योजना उत्तर प्रदेश से बनाकर भेज दिया गया कि बाढ़ को रोकने का स्थायी हल निकालना चाहिये अगर वह योजना कार्यान्वित की जाय तो मान्यवर, बाढ़ का जो हमेशा प्रश्न उठता है उससे बहुत-सी समस्याओं का हल हो सकता है । 1976 में भारत सरकार ने आश्वासन दिया था कि बाढ़ के हल के लिये वह योजना स्वीकार की जायेगी और इस योजना से चाहे गंगा हो, जमुना हो, घाघरा हो, गंडक हों, सई हो, गोमती हो टोंस हो । सबको बाढ़ से बचाया जा सकेगा । इन सब के किनारे पर जो कटाव हो जाता है उसका एक हल निकल सकता है ।

मान्यवर, अभी गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, बनारस, गाजीपुर इन जिलों का जिक्र में बाढ़ के सिलसिले में कर रहा हूं और जौनपुर गोमती के पानी से डुबा हुआ है । गोमती में बहुत तेजी से बाढ़ है इस वर्ष इसलिए ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि फसल उगती ही थी कि पानी की चपेट में आ गयी । सभी फसल नष्ट हो गयी । इन जिलों में धान का इलाका है और कुछ इलाके में बाजरा और मक्का भी होता है । घाघरा के किनारे पर कटाव जारी है । हमारे जिले में आजमगढ़ में सिगड़ी घोसी का इलाका ऐसा है जब बाढ़ आ जाती है तो अन्दर से कटाव शुरू हो जाता है । महुला गढ़वल बांध के किनारे कटाव हो रहा है । सूरजपुर गांव और रसूलपुर, आजमगढ़ जनपद से निकल कर घाघरा के पेट में चले गये हैं । यही हालत मिश्रा जी के क्षेत्र मे है, वहां पर यही समस्या रहती है । जो किनारे पर ठोकर लगायी जाती है वह कमजोर किस्म की है । मेरा सुझाव है कि उनको मजबूत किया जाये । यहां अनेक नदियां हैं, गंगा, गोमती और घाघरा कुछ नाले ऐसे हैं जो बांढ़ में बड़ा नदी का रूप ले लेते हैं और उन इलाकों में पानी का भराव हो जाता है । मेरे क्षेत्र में लालगंज में पानी का भराव हो जाता है । उसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है । जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर तक बाढ़ रहती इसलिये खरीफ की फसल तो जाती ही है अगली फसल रबी की भी चली जाती है ।

श्री अध्यक्ष—

4 मिनट हो चुका है ।

श्री त्रिवेनी —

2 मिनट और दिया जाय । मैं बाढ़ के इलाके का हूं । जो पानी का जमाव हो जाता है उसकी निकासी न होने की वजह से वहां अनेक प्रकार से खतरा उत्पन्न हो जाता है । तरह-तरह की बीमारियां फैल जाती हैं आप जानते हैं पूरब का इलाका बाढ़ से हमेशा त्रस्त

[श्री त्रिवेनी]

रहता है और गांव के गांव डूब गये मकान गिर गये। सन् 1976 में भी इसी पर बहस हुई थी बड़ी बहस के बाद एक कमेटी बैठी थी और उसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार को एक योजना हमारे भाई इस समय सदन में नहीं हैं लोकपति जी बड़ी वृहद योजना बनायी। अगर वह योजना कार्यान्वित कर दी जाय तो ऐसी समस्या का हल हो सकता है।

जहां हमारी सड़कों का निर्माण होता है जहां नदियां पड़ती हैं वहां पुलों का निर्माण होता है। उनसे जितनी पानी का निकासी होनी चाहिये उतना नहीं होता है अतः निकासी के जो स्रोत हैं वे बढ़ाये जायें।

जो सरकारी बन्ध हैं उनकी रिपेरिंग होती है। इस वर्ष काफी प्रिकाशन लिया गया है अतः मैं माननीय मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि इस बाढ़ के सिलसिले में पहले से ही तैयारी कर दी गयी। जैसा कि रियासत भाई ने कहा 100 रुपये और 50 रुपये। कच्चे मकानों के लिए, 500 रुपये और पक्के मकानों के लिए 800 रुपये है, इससे कुछ राहत मिलेगी।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री त्रिवेनी—

श्रीमन्, एक बात और कहना है। एक मिनट और दे दें।

श्री अध्यक्ष—

5 मिनट हो गये हैं। और लोगों को भी बोलना है।

श्री त्रिवेनी—

कटाव के बारे में, मान्यवर। मालूम नहीं होता अन्दर ही अन्दर 100 फीट गहराई के नीचे से नदी कटाव करती है। शाम को गांव मौजूद है रात को 12 बजे गांव मौजूद नहीं है। इस कटाव की व्यवस्था होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर इसकी व्यवस्था तुरन्त नहीं होगी तो बाढ़ हटने पर कटाव बड़ी तेजी से शुरू होगा। इसका हल निकालना आवश्यक है।

*श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी—

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में चाहे गोमती हो, घाघरा हो, गंगा हो, सभी नदियों की बाढ़ के कारण प्रदेश के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे लखनऊ में आप जानते हैं गोमती नदी है, अब तो यह अपने पेटे में आ चुकी है उसमें सैकड़ों गांवों बाढ़ की चपेट में ले लिया है। यह समस्या प्रदेश की बहुत पुरानी समस्या है कोई नई समस्या नहीं है। कई बार बहस हुई, प्लान भी बने। शहर के किनारे तो बन्धा बन गया करोड़ों रुपये लगाकर, जो गांव हैं उनके लिये कोई परमानेंट सेल्यूशन मान्यवर, शासन की तरफ से अबतक नहीं हो पाया है। सीतापुर से गोमती नदी शुरू होती है और जब लखनऊ जिले में प्रवेश करती है' तो दुर्भाग्य से हमारा क्षेत्र पहले ही पड़ जाता है और उसके 7–8 गांव तुरन्त बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। हमारे क्षेत्र में बैला गांव है। पिछले 3–4 वर्षों से गोमती नदी उस गांव 25–30 घरों को काट कर अपने पेट में ले चुकी है। अब बांध के बीच से गोमती नदी बह रही है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं कि गांव जो कट रहे हैं उनको कटने से रोकने के लिये बांध बनाने की आवश्यकता है । दूसरा सुझाव यह है कि गोमती नदी की बाढ़ में जो गांव या जाते हैं उन गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए कोई परमानेंट रास्ता मान्यवर, निकालना चाहिये या तो उनके किनारे के बैंक को चौड़ा कर दिया जाये और गांव की ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई तक भर दिया जाये या तो उनके किनारे बन्धा बना दिया जाये और जैसे लखनऊ शहर में बरसात का पानी निकालने के लिये पंप लगा दिये गये हैं वैसे ही लगा दिये जायं तो (इस समय 1 बजकर 29 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्रीकृष्ण गोयल पीठासीन हुए)।

इसका समाधान हो सकता है । कुछ छोटे छोटे नाले हैं उन पर पुल बनना है जो नहीं बना । वह न तो जिला परिषद् की परिधि में आते हैं न ही ब्लाक की परिधि में आते हैं, वह ग्रामसभा की परिधि में आते हैं । ग्राम सभा के पास इतना पैसा नहीं है कि पुल बनाया जाय । (लाल बत्ती जलने पर) दो मिनट और चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

दो मिनट आपके रह गये हैं ।

श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी--

पुल बना दिया जाये सिंचाई विभाग की तरफ से जो गांव कटकर इधर उधर हो जाते हैं उनका बचाव हो सकता है । कुशराजा परसैया गांव है जिसके किनारे छोटे-छोटे नाले हैं । कई बार इनसे पानी निकालने के लिये पुल बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ यह कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाया । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहूंगा कि लखनऊ जिले में गोमती नदी की बाढ़ से बचाने के लिए कोई परमानेंट स्कीम बनायी जाय, जिससे यहां के गांव बचाये जा सकें ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज प्रदेश में जो विषम बाढ आयी हुयी है, आपने उसके बारे में बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, यह बाढ़ की विभीषिका, सूखा आदि प्रति वर्ष हुआ करता है । लेकिन जो फ्लड कंट्रोल बोर्ड केन्द्र का है, और जिसके उत्तर प्रदेश में भी कई जगह आफिस हैं। उनमें से कोई भी सेन्टर प्रभावकारी काम नहीं कर पाया । देखा यह गया है कि जो बाढ़ और राहत कार्य में पैसा आता है जैसे नदियों द्वारा गांव बह जाते हैं उसी तरह से प्रदेश का यह पैसा भी बह जाता है ।

मान्यवर, मैं 5 अगस्त, 1980 के आंकड़े देना चाहता हूं जो गोरखपुर से संबंधित हैं । वे इस प्रकार हैं--प्रभावित गांवों की संख्या 677 जनसंख्या जो प्रभावित हुयी 359177 क्षेत्रफल (हेक्टर में) 43732, कृषिगत भूमि--23485 (हेक्टर में), अतिग्रस्त मकान, 657 इसके अलावा 4 आदमी मरें । पशुओं की क्षति 2 सम्पत्ति का नुकसान 4 15 लाख रुपये, प्रभावित कृषिगत क्षति का मूल्यांकन 47.16 लाख रुपये । पूरे प्रदेश में प्रभावित जिलों की संख्या 32 गांवों की संख्या 11038, जनसंख्या उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हुए प्रभाव के अनुसार थी । जनसंख्या 60,21,291 लाख, क्षेत्रफल हेक्टेयर में 1226036 लाख है। इस तरह से बहुत बड़े आंकड़े हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश की स्थिति बड़ी विकट होती जा रही है ।

मान्यवर, बाढ़ का समय अभी तक बीता नहीं है, लेकिन सरकार अपने कान में तेल डाल पड़ी हुयी है और बड़ी खुशी की बात है हमारे सिंचाई मंत्री, वीर बहादुर सिंह बड़े ही सुलझे हुए और समझदार व्यक्ति हैं जिनके नेतृत्व में अगर प्रदेश बाढ़ की समस्या का हल नहीं

[श्री फिरंगी प्रसाद विसारद]—

हुआ, तो हम लोगों को बड़ी निराशा का अनुभव करना पड़ेगा, कि इतने सुयोग्य आदमी के नेतृत्व में भी बाढ़ को रोक नहीं पाये । मान्यवर, इस प्रदेश को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिये 2/3 योजनायें पहले से यहां चल रही हैं जैसे घाघरा की कर नाली और राप्ती नदी की भालू बांध योजना । इनके बारे में बात चर्चा में आती है, लेकिन कोई प्रभावशाली काम नहीं हुआ । वहां देखने में आया है कि नदी की पेटी में बालू भर गया और वेग पानी के आने पर ही गांव डूब जाते हैं । वहां आंकड़े नहीं आ पाते हैं और कहा जाता है कि अभी गांव नहीं डूबे हैं । लेकिन बहुत से गांव डूब जाते हैं और जो आपका कंट्रोल बोर्ड है, वहां सूचना नहीं देता है । मैं एक शिकायत के रूप में कहना चाहता हूं कि जहां नदी के कटाव से गांव प्रभावित हो रहे हैं वहां आपका विभाग छोटी-छोटी शिला के बोल्डर्स डाल रहे हैं जैसे गोरखपुर में, उधौलिया अनेकों जगहों पर हो रहा है । लेकिन वे पानी के चक्कर से दूर चले जाते हैं । अब चूंकि समय नहीं रहा, इसलिये अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं ।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी कुछ दिन हुए प्रदेश के अनेक जिले बाढ़ की चपेट में आये । मैं उस संदर्भ में आपको बताना चाहती हूं कि जब बाढ़ का प्रकोप होना प्रारम्भ ही हुआ था इत्तिफाक से मैं मुख्य मंत्री जी के निवास स्थान पर थी और मैं आपको बताना चाहती हूं कि वे बहुत अच्छी तरह से यह देख रहे थे कि हम बाढ़ को कैसे रोकें । सारे अधिकारियों को उन्होंने बुला रखा था । मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को बताना चाहती हूं कि इतनी अधिक सतर्कता उन्होंने इसमें बरती कि हम बाढ पर कंट्रोल पा सके । मान्यवर, यह दैवी प्रकोप है और जल बढ़ता है । अभी हमारे वरिष्ठ भाई रियासत हुसैन जी ने कहा कि सरकार की निगाह बड़ी देर में जाती है, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस बार श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और उनके सहयोगियों ने बड़ी ही सतर्कता से इसे देखा जिससे वह बाढ़ पर काबू पा सके । उन्होंने जिलाधिकारियों और सभी संबंधित अधिकारियों को यह आदेश दे रखे हैं कि बाढ़ से संबंधित समस्याओं का निवारण करें । एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वाटर लागिंग होती है ।

मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आती हूं, आलमबाग का एरिया है । यहां जब बाढ़ का प्रकोप शुरू हुआ उसके 10-15 दिन पहले से ही पानी पड़ने पर वाटर लागिंग शुरू होती है । वह बाढ़ से नहीं होती है और इस वाटर लागिंग से लोग बहुत परेशान रहते हैं । वहां पानी खींचने के पंप लगे हैं लेकिन जितने पंप वहां लग सके समस्यायें उनसे इतनी ज्यादा थीं कि आज तक भी हम पूरी तरह से वहां उन समस्याओं का निवारण नहीं कर सके । वहां पर बटेश्वरनगर, भीमनगर, कनौसी गांव, मेंहदीखेड़ा आदि क्षेत्रों में कीचड़ और मच्छरों से इस तरह की परेशानियां हो जाती हैं कि जो इंसान की जिन्दगी को दूभर कर देती हैं ।

मेरा आपके माध्यम से मंत्रि परिषद् के सदस्यों से सुझाव है कि इस समय इस बात को देखने की कोशिश करें कि जहां पानी भरा था, वहां किस तरह से जल्दी से जल्दी सफाई कराई जाये । मैं वर्तमान सरकार को बधाई देती हूं कि उन्होंने जो मकान गिरे हैं उनमें कच्चे मकान के लिये 500 रु0 और पक्के मकान के लिये 800 रु0 देने का प्राविधान किया है । लेकिन एक समस्या यह आती है कि जिनके मकान गिरते हैं वह बड़े ही साधारण श्रेणी के लोग हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनकी छोटी-मोटी गृहस्थी बाढ़ के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रकोप से समाप्त हो जाती है । उनके जो छोटे-छोटे घर हैं, वह घर ज्यादातर किराये पर होते हैं और उनक़ मकान मालिक दूसरे होते हैं । तो मकान मालिक उनको बनाने नहीं देता और कहता है कि आप बनाइये मत इस घर को खाली कर दीजिये । इसलिये मेरा आपके माध्यम से मंत्रि परिषद क़े सदस्यों से सुझाव है कि अगर पानी के बाढ़ में यह गिर जाते हैं तो चाहे किरायेदार ही क्यों न हों उनको मकान बनाने की इजाजत दी जाय और उनको निकाला न जाय । इस तरफ मेरा खास तौर से निवेदन है कि माननीय मंत्री जी ध्यान दें और ध्यान देकर इस समस्या के निवारण की कोशिश करें।

श्री बिहारी लाल--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान नानक सागर बांध की ओर ले जाना चाहता हूं । वहां आज ऐसी हालत पैदा हो गयी है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उस क्षेत्र की और वहां के लोगों की रक्षा करे । मैं इसकी सूचना पहले भी दे चुका हूं लेकिन सरकार ने इसके संबंध में ध्यान नहीं दिया । जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी उस समय भी नानक सागर बांध म बाढ़ आयी थी । नानक सागर, नकुलिया, सालमत्ता का क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है इसमें काफी जबरदस्त खतरा पैदा होता ह । केलास, औदुलिया, एजनिया, घुसरी नदी से भी बाढ़ का खतरा है । मैं प्राथना करूंगा कि इसके लिये ध्यान देकर उचित कार्यवाही की जाय । एक बात और कहना चाहता हूं कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य बाढ़ तक ही अपने को सीमित रखें ।

श्री बिहारी लाल--

मैं कई रोज से प्रार्थना कर रहा हूं कि आज बोलने का मौका मिला है । आज बोलने की इच्छा कर रही है । 1977 में हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री राम नरेश यादव जी जब मुख्य मंत्री बने, तो उन्होंने एक किताब का विमोचन किया था । उसका नाम है कुमायूं का इतिहास। जो कफल्टा कांड हमारे यहां हुआ, यह जो माननीय सदस्य चिल्ला रहे हैं, यह 14 हरिजनों को खाकर बैठे हुए हैं । उस किताब में हरिजनों के लिये लिखा हुआ है कि हरिजन लोग राजपद के योग्य नहीं थे ।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× × × ×]

श्री अधिष्ठाता--

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× × × ×]

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

इन्होंने कैसे कह दिया कि 14 हरिजनों को खा गये हैं ।

नोट[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

एक सदस्य--

इनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें, जब तक मैं इजाजत न दूं, आप न बोलें ।

श्री बिहारी लाल--

मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने जिस किताब का विमोचन किया उसमें लिखा है कि हरिजन लोग राजपद के योग्य नहीं थे ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बाढ़ पर बोलिये । बिहारी लाल जी, आप अपने को बाढ़ तक सीमित रखिये ।

श्री बिहारी लाल--

मैं बाढ़ पर ही बोल रहा हूं । पूर्ण गिरी मेला ठुली गांव में होता है । वहां 12 व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जो पीलीभीत क्षेत्र के रहने वाले हैं, वह बीसलपुर से आये थे । मैंने इसकी सूचना टनकपुर से 18 तारीख को भेजी थी ।

तो मेरा निवेदन है कि हमारे क्षेत्र और पिथौरागढ़ क्षेत्र में इस किस्म की जो बाढ़ से दुर्घटनायें हो रही हैं उस पर आप ध्यान दें ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, बाढ़ की समस्या प्रत्येक वर्ष विकराल रूप धारण करती है और इसका स्थायी हल आज तक नहीं निकल पाया है । मान्यवर, बाढ़ मे कई विभाग संबंधित हैं, तो मैं चाहता हूं कि उन विभागों के भी लोग यहां होते । लेकिन यदि नहीं हैं, तो सिंचाई मंत्री जी उनसे समन्वय स्थापित करें और उनको बुलवायें । मान्यवर, बाढ़ का संबंध सिंचाई विभाग से तो है ही साथ ही इसका संबंध सार्वजनिक निर्माण विभाग और भारत सरकार के रेलवे विभाग से भी है । इसका संबंध राजस्व और वन विभाग से भी है ।

मान्यवर, बाढ़ जो आ रही है यह प्राकृतिक आपदा तो है ही लेकिन इसमें जो अवरोध उत्पन्न होते हैं उनकी जानकारी मैं कराना चाहता हूं । दो साल पहले 1978 में इस प्रदेश में चारों तरफ बाढ़ आई थी । उसमें लखनऊ से गोरखपुर को जो छोटी लाइन जाती है, उसमें जो पुल बने हैं,आप रेकार्ड उठाकर देख सकते हैं,नालों और नदियों के ऊपर से पानी बह रहा था । गोंडा,बहराइच, गोरखपुर और देवरिया में पानी फैल गया था, तो उस समय भी मैंने कहा था कि भारत सरकार से सिफारिश करना चाहिये कि जितने पुराने पुल छोटी और बड़ी लाईनों पर हैं, उनको चौड़ा किया जाय और ऊंचा किया जाय जिससे पानी की निकासी हो सके। यह सरकार की बात है कि वह भारत सरकार से इस संबंध में बात करे । मान्यवर, मैं एक डेढ़ सप्ताह पहले इलाहाबाद गया था तो वहां सई नदी में पुराना पुल है, जिसका नाम बरगूदर है, उस पर सुबह जाते समय एक फीट पानी बह रहा था और जब मैं 5 बजे शाम को लौटा तो 4–5 फीट पानी था जिससे बैरियर लग गया था और सरकारी कर्मचारियों ने मुझ से कहा कि इधर से कार न ले जायं । इस पर मुझे घूम कर काफी दूर का चक्कर लगा कर घर जाना पड़ा । इसी तरह जलालपुर में वाराणसी जौनपुर रोड में सई नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है । इसलिये निवेदन है कि जो नीचे पुल हैं जिनसे पानी नहीं निकल सकता है उनको ऊंचा उठाने की जरूरत है ।

मान्यवर, सिंचाई विभाग नहरें बना रहा है । तो क्या मैं जान सकता हूं कि जहां नालों और नदियों में पानी निकासी के रास्ते हैं, उसको अवरुद्ध नहीं कर दे रहे हैं ? शारदा

नहर में जहां पानी की निकासी की जाती है,वहां यदि गांव वाले पुल की मांग करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी पुल वहां बनाने के लिये तैयार नहीं हैं। इस प्रकार प्राकृतिक आपदा के साथ-साथ मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि सरकारी तंत्र चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, यह सभी लोग बाढ़ को बढ़ाने में, फैलाने में, मददगार हैं। इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। श्रीमन्, छोटे-छोटे नालों और नदियों को गहरा करने की जरूरत है। जितने बांध बने हैं उनका ठीक से सर्वेक्षण नहीं होता है कि इस पर बाढ़ का क्या प्रकोप होगा। मंत्री जी से इस संबंध में मैंने एक सवाल भी पूछा था कि हमारे यहां कभी-कभी बनारस में बाढ़ आ जाती है और इस समय जौनपुर में बाढ़ आयी है, क्योंकि यह क्षेत्र गोमती के किनारे हैं और गोमती ही नहीं गंगा और सई नदी का किनारा भी पड़ता है।

श्रीमन्, बहराइच के आगे बूढ़ी गंडक और जितनी छोटी–छोटी नदियां और जो नेपाल से आती हैं गंडक, मैं ने उस दिन पूछा था माननीय मंत्री जी से कि क्या प्रयास हो रहा है कि नेपाल की गवर्नमेंट से सहय मश्विरा कर के बाढ़ के पानी को, बूढ़ी गंडक के पानी को रोकने के लिए या कोई बांध बना कर के उस को इस्तमाल करने के लिए, पावर हाउस बनाने के लिए। आज पन्द्रह वर्ष से यह योजना विचाराधीन है। कई बार बातचीत भी हो चुकी है। मैं समझता हूं अगर इस प्रकार की योजना बनेगी तो इससे प्रदेश का विकास होगा, बाढ़ को रोका जा सकता है और बिजली की भी उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है।

इसी प्रकार श्रीमन्, वनों की बात है। जंगलों के कटान बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। दो साल पहले मैं उत्तरकाशी गया था। गंगोत्री के लिए जा रहा था। (लाल बत्ती जलन पर) एक मिनट सुन लें। वहां मनेरी बांध बन रहा था और उसके ऊपर तमाम जंगलात काट दिये गये थे, बड़े-बड़े पेड़ काट दिये गये थे। पानी से मनेरी डैम टूट गया जिसमें सुरंग खोदी गयी थी। पांच करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। गंगोत्री नाले से लेकर मनेरी डैम तक पूरी की पूरी सड़क और पहाड़ की पट्टी सब गिर कर के गंगा नदी में मिल गयी। पी0 डब्लू0 डी0 की जो सड़क थी, वह भी नष्ट हो गई। जब तक कटान को रोका नहीं जा सकता, पहाड़ के अन्दर जो भूस्खलन है, जो नालों के कारण होता है, उसे कभी भी नहीं बचाया जा सकता। इस-लिए दूरगामी योजना पर विचार करना चाहिए, फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड को सक्षम बनाया जाना चाहिए और स्थायी हल के लिए भारत सरकार से मिल कर के योजना तैयार करनी चाहिए।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप ने मुझे अवसर दिया कि मैं बाढ़ के बारे में आपके सामने अपने विचार रख सकूं।

मैं प्रतापगढ़ जनपद का निवासी हूं। उसकी स्थिति यह है कि एक तरफ गंगा जी जाती हैं राय बरेली के बगल से और दूसरी तरफ सई नदी। उस जनपद के बीच बकुलाई नदी होकर जाती है। सबसे पहले मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना पसन्द करूंगा। जहां तक बीरापुर क्षेत्र का प्रश्न है, वहां अतिवृष्टि से एक परमानेन्ट समस्या है। एक नाला दमदम से जो इलाहाबाद को चला जाता है, हर वर्ष उसे वहां जनपद इलाहाबाद के लोग बांध देते हैं, कई गांव उससे प्रकोपित होते हैं, कई गांव आज भी पानी से भरे हुये हैं। उसको परमानेन्ट खुलने की व्यवस्था की जाय। अभी 6 जुलाई की अतिवृष्टि में गौरा ब्लाक के धरी ग्राम में कई गांव प्रभावित हुये थे और बहुत से घर भी गिरे थे। मेरे साथी भाई ऊदल जी की बात का मैं समर्थन करता हूं कि केवल एक सिंचई विभाग से इसका ताल्लुक नहीं है। अतिवृष्टि से कई जगह पी0 डब्लू0 डी0 की सड़के टूट गई थीं। प्रतापगढ़ में आने-जाने का रास्ता कई तरफ से रुक गया था और सड़कें काटनी पड़ी थी। जब अतिवृष्टि होती

[श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—]

है तो पी0 डब्लू0 डी0 की सड़कें काटनी पड़ती हैं। पी0 डब्लू0 डी0 के अधिकारियों और जिलाधिकारियों को मालूम है कि कहां-कहां सड़के कटती हैं, तो उन पर पुलियों की व्यवस्था होना अति आवश्यक है। इसी तरह से गोमती नदी है, ढकवा घटवा में कई गांवों को प्रभावित करती है। कई गांव इस क्षेत्र के अन्दर है। मैं इस चीज से इत्तफाक नहीं करता हूं कि वहां पर दीवाल उठाई जाय और वहां पर और चीजें की जांय। जहां ऐसे गांव हैं जो सदैव नदी के चपेट में रहते हैं वहां पर मेरा सिंचाई मंत्री जी से आग्रह है कि परमानेन्ट व्यवस्था की जाय। बकुलाई नदी की स्थिति यह है कि यह हरदोई जिले से एक नाले के रूप में निकलती है और रायबरेली से आगे प्रतापगढ़ में उसकी स्थिति भयंकर हो जाती है जो कि कई स्थानों को प्रभावित करती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रतापगढ़ में 500 घर गिरे हैं लेकिन यह आंकड़े वास्तविक नहीं हैं। जिस तरह से पिछली बार सूखे में सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारे प्रदेश में 30 प्रतिशत फसल कम पैदा हुई है जब कि प्रतापगढ़ जनपद में जहां धान की फसल अधिक होती है उस इलाके में गेहूं और रबी की फसल को 50 प्रतिशत से अधिक वहां नुकसान हुआ है। कितनी अतिशयोक्ति है।

मान्यवर, मैं आपको सूचना देना चाहूंगा कि हमारे यहां धान की बैरन बिलकुल गल गई है और सारी धान की फसल नष्ट हो गई। है इसके अलावा हमारे जनपद में जो नहरें बन रही हैं उनमें पानी के निकास के लिए कलवर्ट नहीं बने हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे नहर में पानी की निकासी के लिये इन्तजाम करायें। इसके न होने से वाटर लागिग होता है और खड़ी फसल को नुकसान होता है। इतना ही मुझे कहना था, धन्यवाद !

श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती—

[समय 2 बजे अपराह्न]

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बाढ़ पर हो रही चर्चा में मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा क्षेत्र ऐसा है जो नदियों से प्रभावित है ही किन्तु वह क्षेत्र एक झील से भी प्रभावित है। इस झील की वजह से वाटरलागिंग होता है। नदियों का पानी तो निकल जाता है लेकिन झील का पानी 4-5 महीने तक बना रहता है। वह धरवल झील जिसके किनार कई गांव आते हैं, उसके भर जाने से वहां आने-जाने का रास्ता नहीं रह जाता है। इसके साथ ही वहां पर एक नाला भी है जिसके एक तरफ आबादी है और 3 तरफ से शारदा सहायक नहर जाती है, जिसकी वजह से उसका पानी नहीं निकल पाता है। वह पानी रुका हुआ रहता है। उसकी निकासी के लिये मैंने सम्बन्धित विभाग को प्रार्थना-पत्र भी दिया है कि सरकार नहर के नीचे एक साइफन बना दें जिससे वाटर लागिंग न हो और पानी निकल जाये। इसलिये मैं पुन: आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि शारदा सहायक नहर पर झील के नीचे एक साइफन बना दिया जाय। इसी प्रकार खिरवा एक नाला है, जो कि घाघरा में आकर मिलता है। जिसकी बाढ़ से रियूली आदि गांवों की फसलें प्रभावित होती हैं। वहां पर मुड़हा विसई नदी से ऐसे गांव हैं जो कि इसकी बाढ़ से घिरे हुये हैं। इस क्षेत्र की 25-30 हजार की आबादी है। इस नदी पर एक भी पुल कहीं पर नहीं है। महीनों तक बाढ़ के पानी से लोग घिरे हुये रहते हैं। छोटी-छोटी नावों से वे निकलते हैं। इसलिये मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे वहां पर एक पुल की व्यवस्था करा दें ताकि गांव के लोग बाजार, स्टेशन, तहसील आ जा सकें। इसी तरह से मिझौड़ा, बसोहरी आदि में भी पुल बनाने की व्यवस्था करें नदी और झील से प्रभावित होने के कारण वहां पर गांवों में वाटर लांगिग हो जाता है जिससे वहां के लोगों को बड़ी क्षति होती है। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसके लिये सरकार तुरन्त व्यवस्था करे और ऐसी व्यवस्था करे जिससे बार-बार इसकी शिकायत न रहे।

*श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, दुख की बात है कि अपने प्रदेश में कभी सूखा और कभी बाढ़ का प्रकोप हर वर्ष होता है। नानक सागर डैम में ब्रीच हो गया है जिससे वहां से पानी बराबर रिलीज किया जा रहा है। बरेली में बेहगुल, पनगेली तथा दो नदियों में बराबर पानी बढ़ रहा है। बरेली में खाई खेड़ा, पंडरी, पंडरा में दलेलनगर तथा नवाबगंज आदि ग्रामों में 500 मकान बाढ़ के कारण गिरे गये। साढ़े 1 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी थी एक दीवार बनाने के लिये लेकिन उस रुपये का क्या हुआ, यह आज तक नहीं पता चला। 10, 12 ट्रक पत्थर डलवा दिये गये लेकिन कोई काम नहीं किया गया। एक मस्जिद का आधा पोर्शन गिर गया। डी0 एस0 बग्गा साहब बरेली के डी0 एम0 हैं उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि नवाबगंज बाढ़ की चपेट में है। जैसे एम0 पी0 ज0 तथा एम0 एल0 ए0 या जिला परिषद् के सदस्य उनकी कोई एक्जिक्यूटव पावर नहीं होती और स्टेटमेंट दे देते हैं लेकिन डी0 एम0 को एक्जिक्यूटिव पावर होती है लेकिन उन्होंने खाली स्टेटमेंट दे दिया। कच्चे घर के लिये 500 रुपये तथा पक्के घर के लिये 800 रु0 दिये जायेंगे लेकिन यह जो रुपया आप देते हैं यह कोई कम्पेनसेशन नहीं होता है। मंशा यह होती है कि किसी तरह वह आदमी जी सके। लेकिन मेरी सूचना यह है कि बेहगुल तथा पनगेली नदी में बाढ़ आने से जितने भी घर गिरे उनको कोई पैसा नहीं दिया गया। सरकार डी0 एम0, बरेली को आदेश दे कि जिनके घर बाढ़ में गिर गये हैं उनको तुरन्त पैसा दिया जाय। आप सूखे या बाढ़ के कारण यह जो रिलीफ देते हैं और लगान तथा आबपाशी को मुल्तवी करते हैं या कोई लोन फायनेन्स कारपोरेशन से गरीब किसान मजदूरों को दिलाया जाता है, उसको आप एक-दम वसूल न करके सरल किस्तों में करने की कृपा करें। वह गरीब जो देहात में रहते हैं उसे एक मुश्त नहीं दे सकते मुनासिब यही होगा कि आप उन ड्यूज की अदायगी तीन किस्तों में करा दें।

पिछले साल आदेश गया कि विद्यार्थियों से फीस न वसूली जाय सूखे के कारण, लेकिन मेरी जानकारी है कि लखनऊ में ताल्लुकेदार कालविन स्कूल है उसमें किसी बच्चे की फीस माफ नहीं की गयी। उसमें तहसीलदार से सर्टिफिकेट मंगवाया जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि उसमें स्ट्रिक्ट आदेश होने चाहिये कि तहसीलदार स्वयं अपनी नालेज के आधार पर सर्टिफिकेट दे। जितनी फीस माफ होती है, मेरा निश्चित मत है, कि उसका 50 परसेंट लेखपाल और कानूनगो को देना पड़ता है तब कहीं सर्टिफिकेट मिलता है, उससे ज्यादा रेल से आने जाने में खर्च हो जाता है।

एक बात कह कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जो आप रिलीफ के नाम पर दियासलाई, साबुन, चीनी, चाय, आटा, चावल, रोटी, डबलरोटी आदि बांटते हैं उसमें मेरी निश्चित राय है कि 25 परसेंट ही बटता है। मैंने स्वयं देखा है कि जब इस काम में ब्लाक प्रमुख, दल के कार्यकर्ता या एम0 एल0 ए0 साहब जाते हैं तो अधिकारियों को खलता है, वह बुरी तरह से देखते हैं कहते हैं, कि खद्दर वाला आ गया। तो मेरा सुझाव है कि जो एड जाती है वह सारी जनप्रतिनिधियों से बंटनी चाहिये चाहे वह ब्लाक प्रमुख हो या एम0 एल0 ए0 हो। इन बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री राम नरेश शुक्ल—

सर्वप्रथम तो मैं आपके द्वारा सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि जो उन्होंने इस संकट-काल में तत्परता से सहायता पहुंचाई है। हमारे सिंचाई मंत्री और मुख्य मंत्री, मैंने नहीं जैसा कि विरोधी दल के सदस्यों ने कहा बड़े सतर्क रहे हैं, हमारे गोरखपुर के वह सदस्य हैं, उन्होंने सिंचाई मंत्री की तारीफ की और कहा कि उनके नेतृत्व में सारी समस्यायें हल होंगी। मैं तो अधिष्ठाता महोदय, एक बात निवेदन करना चाहता हूं सिंचाई मंत्री जी से कि जैसे बड़ी-बड़ी नदियों का आपको ख्याल है, शहरों का ख्याल है लेकिन जो छोटी-छोटी नदियां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम नरेश शुक्ल--]

हैं जो तबाही ढातीं हैं गांवों में, उनके लिए कोई योजना होनी चाहिये। उदाहरण के लिए सई नदी है वह हरदोई, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर और थोड़ा सा हिस्सा बनारस का है, उसके लिए हर वर्ष तबाही लाती है। तो मेरा निवेदन है कि इस सई के लिए कोई योजना बननी चाहिये कि उसे गहरा किया जाय, उसके बंधे बनें जगह-जगह, उसमें बिजली पैदा की जाय, उससे सिचाई भी की जा सकती है। यह नदी इतनी ऊबड़ खाबड़ है कि इससे नहर नहीं बन सकती, ट्यूबवेल भी नहीं चल सकते हैं केवल लिफ्ट योजना चल सकती है। माननीय मंत्री जी को मालूम होगा दूसरे देशों में बड़ी-बड़ी नदियों को टेम किया जाता है। तो आप इन छोटी-छोटी नदियों को टेम कर लेंगे तो गांव वालों का दुख दूर हो सकता है। इसके अलावा अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं, यहां जो नहरें बनाई गयी उनको बनाते समय पता नहीं इंजीनियर क्या करते हैं सड़के बनाते हैं उसमें वाटरलागिंग का जो सवाल है वह उसी वक्त क्यों नहीं हल किये जाते? आज बाढ़ से जितनी तबाही हुई है उससे ज्याद' वाटरलागिंग से हुई है। मेरे जिले में खासकर बाढ़ से ज्यादा वाटरलागिंग से तबाही हुई है। सड़कें और नहरें बनाते वक्त ही इसका प्रबन्ध क्यों नहीं किया जाता?

इसके अतिरिक्त अधिष्ठाता महोदय, गांवों में जो तालाब थे, वह तोड़ दिये गये या फिर वह छिछले पड़े हुए हैं। अगर सरकार गांवों का विकास चाहती है तो उन तालाबों को गहरा कर दिया जाय तो इससे तो गांवों में फिर वाटरलागिंग नहीं होगी और गांव का पानी तालाबों में पहुंच जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रत्येक गांव की चूंकि अलग-अलग समस्याएं हैं, इसलिये जहां आप बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, बनवाते रहें, लेकिन उसके साथ-साथ गांवों की अलग-अलग समस्याओं की ओर भी ध्यान दें और उनके लिए छोटी योजनाओं को कार्यान्वित करें और इस प्रकार की योजना बनाई जायं कि हर साल बाढ़ के नाम पर आपको सहायता न देनी पड़े। अस्पताल खोलने से ज्यादा आवश्यक है कि बीमारी न फैले।

डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय---

मान्यवर, आज बाढ़ का विषय बहुत ही सामयिक विषय है। हम श्री रियासत हुसैन साहब को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस विषय को यहां रखा। आज अपने प्रदेश में कई जिलों में बाढ़ की विभीषिका से करोड़ों का जीवन अस्त-व्यस्त है और करोड़ों रुपये की सम्पत्ति भी नष्ट हो रही है या गलत प्रयोग हो रही है। दैवी विपत्ति में धन भारी मात्रा में अवश्य बर्बाद होता है। मैं कुछ अधिक न कहकर आपको अपने जिले जौनपुर के बारे में बताऊं। हर जिले से ज्यादा जौनपुर जिला आज दुःखी और त्रस्त है। वहां पर शाही पुल है, उस पर पानी की लहरें चल रही हैं और वहां पर पहुंचने के लिए चारों तरफ से रास्ते कटे हुए हैं और कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जिससे हम दूसरे जनपद से सम्पर्क स्थापित कर सकें। हमारे यहां के दुखी और बेघरबार हुए लोग विद्यालयों, कचेहरियों और ईदगाहों आदि में पड़े हुए हैं। इस विपत्ति के समय वहां की सरकारी व्यवस्था बहुत ही सुन्दर और ठीक है। उस व्यवस्था के लिये हम अपने सिचाई मंत्री श्री बीरबहादुर सिंह को जरूर धन्यवाद देगें।

मैं अभी जौनपुर गया था और वहां मैने सारी व्यवस्था को देखा है, वहां पर सारी व्यवस्था समुचित ढंग से हो रही है और सारी आवश्यक चीजों का वितरण उचित ढंग से हो रहा है। अब यहां गोरखपुर की भी बात मुझे याद आती है। जब जनता पार्टी की सरकार थी, वहां पर बाढ़ आई थी और हमारी पार्टी ने वहां के लिए मुझे पर्यवेक्षक नियुक्त कर के भेजा था, मैने वहां के गरीबों का रुदन देखा था और जिलाधिकारी से जब मिला था और उनसे कहा था कि आप इस मुसीबत के दिनों में उनके लिए क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया था कि हम क्या करें, सरकार से पैसा ही नहीं मिल रहा है, मैं कैसे नाव या अन्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खाद्यान्न की चीजों की व्यवस्था करूं। तो हमारा दावा है कि हमारी सरकार की ओर से सारी व्यवस्था समुचित और ढंग से चल रही है। जौनपुर जनपद में विधान सभा क्षेत्र, बरसढो है, वह सबसे ज्यादा नदियों से घिरा क्षेत्र है और सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है। वहां पर बरणा और वसूही आदि जो नदियां है, उन पर कहीं भी कोई पुल नहीं हैं। मैं उसके लिए कई बार कह चुका हूं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज फिर निवेदन करता हूं कि वरुणा नदी पर सुरेरी घाट में नई बाजार व राईपुर तथा कठौतिया में बसुही नदी पर पुल बनाना बहुत जरूरी है, उन्हें तुरन्त बनवा दिया जाय। वहां पुल न होने से आवागमन बिलकुल रुक गया है। साथ ही जौनपुर को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जिला घोषित करके वहां पर अधिक से अधिक मदद पहुंचाई जाए, चारे और दवा-दारू की समुचित व्यवस्था की जाए तथा दूसरे इंतजाम किये जाएं। अब अधिक न कहकर पुनः सरकार को धन्यवाद देता हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, प्रदेश में बाढ़ और सूखे की समस्या कोई नयी समस्या नहीं है और मुझे तो यह कहते हुए शर्म आती है कि गत 30 वर्षों में भी इस मूल समस्या के निदान के लिए शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। यह केवल उत्तर प्रदेश को सरकार का काम नहीं है। अभी यहां पर किसी ने किसी गांव का नाम लिया और किसी ने किसी योजना का जिक्र किया कि यह बने लेकिन मैं तो कहता हूं कि जब तक केन्द्र में एक सेन्ट्रल फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड नहीं बनता है तब तक यहां की बाढ़ को समस्या का निदान नहीं होने वाला है। मुझे स्मरण है कि वर्ष 1978 में यहां पर केन्द्रीय सरकार की एक टीम आयी थी और उसने फ्लड से प्रभावित इलाकों को विजिट भी किया था। उस समय हमने जो सुझाव उन्हें दिए थे तो उन्होंने कहा था कि ये बड़े ही व्यवहारिक सुझाव हैं और हम इन पर अमल करेंगे लेकिन आज तक भी कुछ नहीं हुआ है। जब तक यहां पर सैन्ट्रल फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड नहीं बनेगा तब तक समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पायेगा क्योंकि हमारे यहां की नदियां बिहार में जाती हैं। उत्तर प्रदेश का चीफ इन्जीनियर कुछ कहता है और बिहार का चीफ इन्जीनियर कुछ और उचित समझता है। यहां के मुख्य मंत्री की कुछ योजना है और वहां के मुख्य मंत्री की कुछ योजना है। इसलिए भी मेरा सुझाव है कि यहां पर एक सेन्ट्रल कन्ट्रोल बोर्ड बने।

दूसरे एक बहुत पुरानी बात है। जब यहां पर माननीय चन्द्र भानु गुप्त जी मुख्य मंत्री थे। तब नेपाल की सरकार से मिलकर एक जलकुन्डी योजना बनाने की बात हुयी थी। उस पर काफी पैसा भी खर्च हुआ था लेकिन संयोग से न उस समय की सरकार रही और वे भी चल बसे। फिर बहुगुणा जी के समय में मैं उनसे मिला और इसके बारे में उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि इस समय हमारी सरकार के नेपाल से सम्बन्ध ठीक नहीं है। लेकिन यह सौभाग्य की बात है कि इस समय हमारे देश के नेपाल से सम्बन्ध सुमधुर हैं और सौभाग्य से हमारे मंत्री जी उसी इलाके से सम्बन्धित भी हैं, इसलिए जलकुन्डी को जो योजना है उसको इम्पलीमेंट कराने के लिए नेपाल सरकार से सम्पर्क स्थापित करें।

तीसरा सुझाव मेरा यह है कि जो हमारे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं वे यह मनाते रहते हैं कि कब यहां पर बाढ़ आये, कब नुक्सान हो। मैंने वर्ष 1974 में एक सवाल किया था कि जिस समय हमारे यहां पर वाई0 एन0 गुप्ता, चीफ इन्जीनियर थे उनके समय में 42 लाख रुपये की कीमत की बजरी को कागजों में मंगा कर डम्प कर दिया गया था लेकिन पता नहीं चला कि वह कहां पर बह गयी। इसी प्रकार से देवरिया में एक बांध बना, उसकी मेन्टीनेन्स पर तीन गुना खर्च भी हुआ लेकिन तब भी उसे न बचाया जा सका। मेरी प्रार्थना है कि ऐसे कर्मचारी जो इस प्रकार के कामों के जिम्मेदार हों, उनको कठोरतम सजा दी जाय। इसकी मैं अपनी सरकार से अपेक्षा करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---]

आज भी गोरखपुर में एक मौन नाला है। उसकी खुदाई पर 4-5 लाख रुपया खर्च हुआ लेकिन फिर भी उसके आस पास के 37 गांवों में पानी भर जाता है। वहां पर 3-3 बार पैडी की पौध का ट्रान्सप्लान्टेशन किया जाता है लेकिन उस ठेकेदार के विरुद्ध जिसको वह काम सौंपा गया था कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकी। मैंने पार साल भी इस बारे में लिख कर दिया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

जहां तक बाढ़ में या सूखे में राहत देने का प्रश्न है, नियम यह है कि यदि 50 प्रतिशत नुकसान हुआ है तो दिया जाता है। किसी गांव में अगर 49 लोगों का नुकसान हुआ हो तो कुछ नहीं मिलेगा, वहां पर फलड का असर नहीं माना जायेगा। मैं तो यह कहता हूं कि अगर किसी किसान की 1 प्रतिशत भी फसल बरबाद हुयी हो तो उसके नुकसान का तखमीना होना चाहिये। एक जगह पर, बाहर हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने बयान दे दिया कि सीवान के किसानों को फर्टिलाइजर में छूट दे दी गयी लेकिन मैं तो चैलेन्ज करना चाहता हूं कि गोरखपुर म एक भी किसान को फर्टिलाइजर में छूट नहीं मिलने वाली है। किसी को नहीं मिल रहा है, एकदम फ्राड है। लिख कर गया है कि 50 प्रतिशत का नुकसान हो और अगली फसल न बोयी हो, तो ऐसा कौन सा किसान होगा जिसने अगली फसल न बोयी हो नतीजा इसका यह हो रहा है कि किसी को नहीं मिल पा रहा है और यह सरकार पूरे प्रदेश के किसानों को धोखा दे रही है। सरकार को यह निर्देश देना चाहिये कि अगर एक भी फसल का नुकसान हुआ है, चाहे बाढ़ से चाहे सूखे से, उसको फर्टीलाइजर की सब्सीडी दी जाये। मंत्री जी के पास तो आंकड़े होंगे, पिछली सरकार ने जितनी राहत दी थी और इस मद में जितना रुपया खर्च किया इस सरकार ने उसका 25 प्रतिशत भी खर्च नहीं किया है। गोरखपुर जिले में जिस क्षेत्र से मंत्री जी चुन कर आते हैं, वहां गिरे हुये मकानों को अभी तक, 10 प्रतिशत की भी, सहायता नहीं मिली है, यह मेरी निश्चित जानकारी है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग स्थान ग्रहण करें, इस पर 5 बजे तक बहस चलेगी। सब को मौका मिलेगा।

श्री संकटा प्रसाद शास्त्री--

यह बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और कभी सूखा, कभी बाढ़, यह आपदायें आती ही रहती हैं। इसको रोकथाम के लिये हमें निश्चित रूप से सजग रहना चाहिए। जौनपुर शहर का 3/4 भाग बाढ़ से प्रभावित है। पूरे जौनपुर में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। गोमती के किनारे के सारे गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि वहां पर एक पहले का पुल था और एक रेलवे का पुल था, उसके बीच में एक नया पुल बन गया है जिसके कारण अवरोध उत्पन्न हो गया है। उसके कारण पानी फैलता है। अगर पानी का बहाव हो जाये तो यह पानी फैलने न पाये। मैं चाहूंगा कि इसको देख लिया जाय और इस अवरोध को दूर किया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस बाढ़ के समय में हमारी सरकार ने काफी अच्छा काम किया है,सरकार पूरी तरह सजग है, राहत के कार्य भी चल रहे हैं..... (व्यवधान)

चकिया व नौगढ़ तथा मिर्जापुर के पहाड़ों से जो नदियां निकली हैं उन पर सिंचाई के लिये बधियां बांधी गयी हैं। चकिया और चन्दोली में सिंचाई की व्यवस्था इन्हीं के पानी से की गई है। तो पिछली बार जो बाढ़ आयी थी जिसका ये हल्ला कर रहे हैं, उसमें इन लोगों ने कोई व्यवस्था किया भी नहीं। इस बार तो कुछ व्यवस्था हो भी रही है ...

(व्यवधान)

अरे आप मुझे बोलने तो दीजिए, हमारा समय क्यों काट रहे हैं ?

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य बैठें, मैं जिसका नाम पुकारूंगा, वही खड़े हों।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

पिछली बार जो बाढ़ आई थी पूरा का पूरा चन्दौली डूब गया था। इस सिलसिले में सरकार के विचाराधीन योजना है। बंधों का पानी बढ़ेगा, तो वह या तो टूट जायगा या पानी बहाया जायगा। इसे बचाने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है, गड़ई नदी और कर्मनाशा नदी का सर्वेक्षण हो रहा है। सरकार से हमारा आपके माध्यम से, निवेदन है कि जितनी जल्दी से जल्दी उसका सर्वेक्षण हो सके कराया जाय और दोनों नदियों का गहरा व चौड़ा कराया जाय जिससे कि उस बंधे का पानी निकाल दिया जाय, जिससे कि 10 लाख जनता उस चपेट में न जाय।

*श्री बच्चा पाठक--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, बलिया जनपद की प्राकृतिक दृष्टि ऐसी है कि उत्तर में घाघरा नदी, दक्षिण में गंगा नदी और बीच में लटहर नाला है, जो बराबर जनपद को प्रत्येक वर्ष काटते हैं। दोनों नदी के कटाव की वजह से प्रत्येक साल जनपद का बहुत हिस्सा कटकर नदी में विलीन हो जाता है। आज इस समय श्रीनगर, तुलसीपार बांध कट रहा है। वहां पर बचाव के कार्य हो रहे हैं लेकिन जिस तत्परता के साथ यहां पर बाढ़ के बचाव का काम हो रहा है, अगर वह गर्मी के समय में, वह काम होता तो ज्यादा अच्छा होता और इससे यह जो जनता में बदनामी की बात आती है, वह नहीं आती। आज मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरह से अन्य बाधों को पक्का किया गया है, उसी तरह से श्रीनगर सुरती बांध को पक्का किया जाय। यहां पर जो कार्य हो रहा है, उसके लिए सामान पहुंचाने के लिए कोई साधन नहीं है, जिससे कि बाढ़ से बचाने के लिए सामग्री पहुंचाई जाय। अगर बाढ़ घाघरा नदी काटती है, तो कोई साधन नहीं है। मुख्य मंत्री जी हमारे जनपद में गये थे, सिंचाई मंत्री जी भी गये थे, उन्होंने तुरन्त आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उस सड़क को पक्की बना दिया जाय। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द उसका निर्माण किया जाय।

साथ ही साथ बाढ़ के साथ गंगा नदी गायघाट के पास नदी काट रही है, लेकिन वहां पर इस समय बचाव का कोई कार्य नहीं हो रहा है। उसके बचाव का कार्य होना चाहिये। एक तरफ नदी के कटाव से पूरा जनपद तबाह हो रहा है और दूसरी तरफ पानी का जमाव हो जाता है और सारा जनपद तबाह हो जाता है। जो वहां पर ताल हैं जिनके पानी के निकाल का कार्य जल्द से जल्द होना चाहिये। यह कार्य जिले में एक ड्रेनेज निकाल कर गंगा नदी में ऐसा कार्य होना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बच्चा पाठक---]

चाहिए जिससे कि पूरे जनपद का लाभ हो सके। बाढ़ के समय में कांग्रेसी सरकार के समय में जो क्षेत्र बाढ़ और नदी के बीच में होते थे, उन्हे ऊंचा किया जाता था लेकिन यह जनता पार्टी की सरकार ने उस स्कीम को, उस योजना को, बंद कर दिया। मेरा सिंचाई मंत्री जी से निवेदन है कि जिन इलाकों में बाढ़ आयी हुयी है, उन इलाकों को ऊंचा करने की व्यवस्था की जाय, ताकि वहां के जो लोग अब परेशान हो रहे हैं, भविष्य में ऐसा न होने पाए और हमारे इलाके की नदी घाघरा की कटान से जो क्षेत्र प्रभावित होते हैं, उनके बचाव की व्यवस्था सरकार शीघ्र से शीघ्र करने की कृपा करे ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके।

श्री कुबेर भण्डारी---

मान्यवर, जिस प्रकार से बाढ़ बचाव हेतु जगह-जगह नहरों की खुदाई हो रही है, और उससे सिंचाई में बजाए लाभ होने के और नुकसान हो रहा है। नुकसान यह हो रहा है, जहां सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं है, पानी वहां भी पहुंच कर नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे खेतों और मकानों आदि को नुकसान हो रहा है। और यही हाल रहा तो फसल सारी खराब हो जायगी और गन्ने की भी फसल खराब हो रही है और यदि गन्ने की फसल खराब हो गयी तो उम्मीद है कि यह सरकार भविष्य में चीनी 20 रु0 किलो बिकवायेगी। माननीय मंत्री जी भी इस बात को जानते हैं कि वे उसी क्षेत्र से जीतकर आए हैं जहां पर नहर का इलाका है, भविष्य में जीत कर नहीं आयेंगें। वैसे वे रहने वाले तो कछार इलाके के हैं।

मान्यवर, हमारे इलाके मे नहर के कारण बहुत नुकसान हो रहा है। नहर के आने की वजह से जहां पानी नहीं भी मिलता है, वहां भी पड़ताल हो रहा है, उसे रोक दिया जाए और जो नहर से जिन इलाकों को नुकसान हो रहा है, उसका मुआवजा दिलावाया जाए। हाटा, गौरी, देवरिया का कुछ उत्तरी हिस्सा और रामकोला क्षेत्र में नहर की वजह से बाढ़ आ रही है, उसमें साईफन बनाया जाए, जिससे पानी की निकासी हो सके।

एक बात और बताना चाहूंगा हमारे यहां का छितौनी का पुल जिसमें लाखों रुपया उद्घाटन में लगा है, जिसका सन् 1971 में प्रधान मंत्री द्वारा शिलान्यास हुआ था, अभी भी अधूरा पड़ा है जिस के बगल में नेपाल बार्डर पर अपने पचासों गांव हैं, उस पुल के न बनाने से वहां के सारे गांव पानी से घिरे हुए हैं, और उनसे सम्पर्क भी टूटा हुआ है। यदि यहां पुल बना होता तो उससे संपर्क तो बन ही सकता था। इसलिये अब उस पुल के निर्माण की बहुत आवश्यकता है। उसके तुरन्त बनाये जाने हेतु सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। पडरौना तहसील में पिपरासी बांध है, जिसको बाढ़ के प्रकोप से सारा पडरौना, दुदही क्षेत्र एकदम से डूब जाता है। देवरिया जिले में जहां 14 चीनी की मिलें हैं, अगर यहां बाढ़ पर नियंत्रण न किया गया तो यह 14 ही चीनी मिलें बन्द हो जायेंगीं, तो उनका उत्पादन भी बन्द हो जायेगा, जिससे चीनी के दाम आप फिर बढ़ा देंगे।

एक बात केवल मान्यवर, मुझे और कहनी है कि हमारे जिले में नरैनापुर गांव है, विकास की ओर काफी आगे बढ़ रहा है, जबकि चारों तरफ के इलाके पानी से घिरे हैं। यह सब वहां पर नहर के कारण हुआ है, यदि उस क्षेत्र में साईफन की व्यवस्था न की गयी तो वहां बाढ़ से बचाव नहीं हो सकेगा। हम यह जानते हैं, वहां के अधिकारी इस समय केवल लूट-खसोट में लगे हैं। उन्हें किसी की बात को सुनने का अवसर नहीं है, इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय सदस्यों के एक दल को देवरिया को यात्रा करने का मौका दें, जिससे स्थिति की जानकारी हो सके और कुछ सुधार कार्य वहां भी किया जा सके।

*श्री राज कुमार राय---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बात के सम्बन्ध में बोलने का मौका दिया। (कई सदस्यों के खड़े होने पर।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग बैठ जायं, 5 बजे तक बहस होगी सब को मौका मिलेगा ।

श्री राज कुमार राय—

खुशी की बात है कि हमारे पूर्वांचल के एक विधायक उस क्षेत्र से मंत्री हैं । मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं इस तत्परता के लिये, जो बाढ़ से निपटने के लिये उठाया जा रहा है । लेकिन मान्यवर, हमारा कुछ सुझाव है, मैं निवेदन करूंगा कि उनको पूरा करेंगे । जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उसका एक इलाका बाढ़ के कटाव से पीड़ित है । माननीय बच्चा पाठक जी ने जो सुझाव दिया कि मधुवन और भोजपुर को सतह ऊंची की जाने की स्कीम थी और उसको जनता पार्टी के शासन में बन्द कर दिया गया था हमारे माननीय मोहन सिंह जी सहमत होंगे हमारे क्षेत्र में सरफेरा, रोशनपुर, शिसवां, बसरिया, विशुनपुर, धर्मपुर, नारायणपुर, परसिया, सूरजपुर, रसूलपुर जिसको ऊंचा करने के लिये माननीय मंत्री जी उपाय करेंगे । दुबारी बांध से एक सड़क भैरोपुर-सूरजपुर से सूरजपुर बन्धा है यह एप्रोच रोड है । मैं माननीय सिंचाई मंत्री को धन्यवाद देने से पहले उम्मीद करूंगा कि इस एप्रोच रोड को पक्का कर देंगे ।

मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा बाढ़ की समस्या से निपटना आवश्यक है बाढ़ की समस्या हर साल आती है । इस समस्या के समाधान के लिये हम सब खड़े होते हैं जब बाढ़ आ जाती है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसके लिये सरकार को पहले से ही तत्परता से खड़ा होना चाहिये । माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा हमारा अनुभव है हमारे यहां मजिगापुर, मिसरौली गांव को काफी ऊंचा करने के के लिये 5.30 लाख रुपया था उसका काम जून के अन्त में शुरू किया गया है अगर यह काम नवम्बर या दिसम्बर में शुरू किया होता तो आज यह दिक्कत न आती । मैं निवेदन करूंगा कि सितम्बर के महीने में पटाव के कार्य को शुरू किया जाय । बाढ़ से जब लड़के 10-5 दिन स्कूल छोड़ देते हैं, तो फीस माफी के लिये रिपोर्ट कानूनगों द्वारा लिखकर भेजने की जो व्यवस्था है, वह विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के अधिकार में दिया जाना चाहिये जिससे वे स्वतः रिपोर्ट लिखकर भेज दें और बच्चों को दौड़ाना न पड़े । मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां दो प्रकार की जमीन है एलूवियन और डिलूवियन । मान्यवर, जब जमीन का एलूवियन खत्म हो गया 10–10 साल हो गया नदी ने अपना रास्ता बदल दिया जमीन को छोड़ दिया किन्तु उनके टेन्योर को भूमिधर नहीं बनाया जाता है । उनको असामी के अधिकार से सीरदार नहीं होते हैं । मान्यवर, हमारे यहां से ऐसे लोग हैं जिनके पास 20–20, 30–30, एकड़ जमीन है, किन्तु शासन की इस नीति के कारण चूंकि वह भूमिधर नहीं है, न तो बैंक से कर्ज ले सकते हैं और न ही उन्हें अन्य सहायता मिल सकती है । उनको ट्रान्सफरेबुल राइटस नहीं मिले हैं । वे कचेहरियों में घूमा करते हैं किन्तु उनका काम नहीं होता है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर भी विचार कर व्यवस्था करें तथा जो इलाके हैं उनकी जमीन की श्रेणी बदल दें ।

(श्री राम शिरोमणि का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गोपी नाथ गर्ग—

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

नोट–[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

एक सदस्य—

[× × × × ×]

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग मेरी अनुमति के बिना नहीं खड़े हों जो मेरी अनुमति के बिना बोलें उनका कुछ भी नहीं लिखा जायेगा ।

*श्री राम शिरोमणि—

मेरे जनपद जौनपुर में भीषण बाढ़ आयी, एक तबाही की स्थिति पैदा हो गयी है। हमारे जिले से गोमती और सई, 2 नदियां बहती हैं। दोनों प्रति वर्ष बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती है। उनके किनारे की सारी फसल नष्ट हो जाती है। शहर में जो स्थिति है यह अखबारों में आपके सामने हमेशा आ रही है और उसके लिये जो व्यवस्था होनी चाहिये वह हो रही है। लेकिन सई नदी जो हमारे क्षेत्र जनपद से निकलती है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कटाव की नदी है। उसके किनारे एक तबाही की स्थिति पैदा है और मुझे जो मालूम है उसके अनुसार आज तक वह कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की गई है जिससे नाव वाले वहां जाकर लोगों को राहत पहुंचा सकें। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सई नदी के किनारे जो हमारा क्षेत्र है वहां पर राहत कार्य की व्यवस्था करायी जाये और उसके किनारे के कई गांव जलमग्न हो रहे हैं, उनके निकलने का कोई रास्ता नहीं रह गया है, वहां नावों की व्यवस्था करके उनको हटाने की व्यवस्था करें। खास तौर से यह कहना है कि अतिवृष्टि होने की वजह से पूरे जनपद की फसल नष्ट हो गई है इससे चारे का अभाव हो गया है। आज चारे के बिना जानवर मर रहे हैं। इसकी व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। हर साल बाढ़ आती है इसलिये कोई ऐसी व्यवस्था करें ताकि यह बाढ़ हमेशा-हमेशा के लिये रोकी जा सके। क्योंकि प्रतिवर्ष कभी सूखा कभी बाढ़ तबाही होती रहती है। यह स्थिति अच्छी नहीं है। सई के किनारे ऐसी व्यवस्था करा सकें, मुस्तकिल व्यवस्था योजना बना करके करा सकें तो ज्यादा बेहतर होगा और चना, गेहूं, दाल, चावल बांटने से कुछ नहीं होगा। केवल 25 प्रतिशत गरीबों को मिला और 75 प्रतिशत दूसरी तरफ चला जायेगा। इससे कोई भला होने वाला नहीं है।

प्राइमरी स्कूलों की इमारतें पी० डब्लू डी० ने जहां बनायी हैं, मिडिल स्कूल की इमारतें बनी हुई हैं, वे सब धराशायी हो रही हैं। अभी साल भर भी नहीं हुआ है सब चू रहीं हैं। तो ऐसी व्यवस्था हो, कोई मुस्तकिल व्यवस्था की जाये, यह मेरा कहना है। हमारे क्षेत्र में इन जगहों में व्यवस्था करायें आवागमन की। पड्डी घाट, विसार घाट, विक्रमपुर घाट, सोनरिका घाट, नगर घाट, अचकरी वनदहा, इन गांवों में व्यवस्था की जाये यहां के लोग परेशानी की स्थिति में हैं जिससे आवागमन की सुविधा हो सके। यही कहना था। जयहिन्द।

श्री सत्यपाल सिंह —

मुझे आपके माध्यम से प्रदेश सरकार के लिये दो-तीन सुझाव बाढ़ के विषय में देना है। वैसे तो वर्तमान सरकार के लोग भी कह सकते हैं कि आपका भी शासन उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अन्दर 27 महीने रहा लेकिन बाढ़ की जो समस्या है, उसका निपटारा करन के लिये एक लम्बे समय की जरूरत है जिसके लिये कांग्रेस शासन 47 से आज तक

नोट—[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बराबर है। इसके लिये चाहिये कि कोई ऐसे माकूल साधन जुटाया जायें कि बाढ़ की विभीषका से निपटा जा सके। आज के वैज्ञानिक युग में यह कोई ऐसा कठिन काम नहीं है जिसमें कि बाढ़ की समस्या का समाधान न हो सके। शाहजहांपुर, बदायूं, जिससे कि अधिष्ठाता महोदय आप स्वयं आते हैं, के बीच में रामगंगा है, इसकी बाढ़ से प्रतिवर्ष हजारों गांव बर्बाद हो जाते हैं। डबौरा सरसवां गांव है जिसमें 90 प्रतिशत हरिजन बस्ती है और उनकी दूरी रामगंगा की मुख्य धारा से 50 गज से अधिक नहीं होगी। वहां के जिलाधिकारी, वहां का जिला प्रशासन अभी तक कोई कदम अन्यत्र बसाने का नहीं उठा रहा है। जब बाढ़ आ गयी तो सारे हरिजन घर बह जायेंगे। उसका अन्जाम यह होगा कि मुख्यमंत्री जी, सिचाई मंत्री जी एक वक्तव्य दे देंगे। अनाज के नाम पर ढाई-ढाई किलो आटा बटवाकर छुट्टी पा जायेंगे।

जिला शाहजहांपुर में इस प्रकार के अनेकों गांव है जो नदी के पास बसे हैं इनको दूसरी जगह बसाने की बराबर मांग कर रहा हूं परन्तु अब तक कोई भी सरकार स्थायी प्रबन्ध नहीं कर पाई है। शाहजहांपुर के अन्दर बाढ़ आने के पहले गरई नाले पर पुल नहीं बना था जिसे पी0 डब्लू डी0 के इन्जीनियर ने 4 महीने पहले तुड़वा दिया। अन्जाम यह हुआ कि कोई व्यवस्था नहीं हो पायी। हमारे विधायक, नाजिर अली ने लिखित रूप से सिंचाई मंत्री से कहा है कि इसका बचाव कीजिये परन्तु कोई व्यवस्था नहीं हो पायी। रास्ता वहां का बन्द है। आगरा जाने के लिये 50 मील का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। इन्जीनियर ने पूर्णतया अक्षमता का परिचय दिया है। 4 महीने पहले पुल तुड़वा दिया जो कि अभी तक नहीं बनाया जा सका जबकि हमने कहा कि तुरन्त इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। गंगा-रामगंगा, खन्नौत, आदि नदियां हैं जिनमें बाढ़ आती रहती है। प्रदेश के अन्दर पिछले साल सूखा था इसके पहले भीषण बाढ़ आयी थी। शाहजहांपुर के लिये विशेष योजना बनायें, जिससे बाढ़ को रोका जा सके। जलालाबाद जलमग्न हो जाता है। बाढ़ की विभीषिका के लिये स्थायी विकल्प तैयार करें, ऐसा मेरा सुझाव है।

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बाढ़ की बहस पर बोलने का मौका दिया है।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

[× × × ×]

श्री अधिष्ठाता--

जब आपको मौका बोलने को ूंगा, तब बोलें। आप बैठें।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

[× × × ×]

श्री अधिष्ठाता--

आप इस तरह से बिना अनुमति के बोल रहे हैं, आपका भाषण कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। कृपया आप बैठें।

*श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, इस बाढ़ की चर्चा में जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं। मान्यवर मैं अपने कुछ सुझाव माननीय सिंचाई मंत्री जी को

नोट :— [×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भानु प्रताप सिंह—]

देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि इसकी गम्भीरता को देखते हुये जो इसमें मूल-भूत बातें हैं, उसमें हमारे जो मंत्रीगण संबंधित हैं, उनसे भी विचार विमर्श करने का काम करने का कष्ट करेंगे। मान्यवर, बाढ़ मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों से होती हुई पूर्वी क्षेत्रों में बलिया, गोरखपुर आदि में आती है और जहां यह विनाश लीला होती है, वहां के लोग तबाह और बर्बाद हो जाते हैं।

मान्यवर, इसमें 2/3 मुख्य कारण हैं। एक तो नदियों के किनारे जहां इनका उद्गम स्थल है, चाहे पहाड़ हो या अन्य स्रोतों से बहने वाली नदियां हों, इनके किनारे जबसे झाड़ियां जिनकी जड़ें क्षकड़ा वाली होती हैं, बड़े-बड़े जंगल जबसे साफ हो गये हैं तब से नदियों के किनारे निरन्तर कटाव बढ़ता चला जा रहा है और उसकी वजह से नीचे के हिस्सों से जब पानी बहकर आता है, तो इनके तल उथले हो जाया करते हैं। मैदानी क्षेत्रों से जो छोटे-छोटे नाले नदियों से मिलते हैं, उनका जो स्तर है, वह भी ऊंचा हो जाता है। तो माननीय सिंचाई मंत्री जी और माननीय सामुदायिक विकास मंत्री जी भी यहीं हैं, उनका भी थोड़ा सा इससे सम्बन्ध है, ऐसी नदियों के मैदानी क्षेत्रों में उनके बारे में विस्तृत जानकारी की जाये जहां पर वाटर लागिंग होती है और अकारण पानी भर जाता है। उनको वर्क फार फूड के प्रोग्राम में जो चलते हैं, ऐसी नदियों को गहरा कराया जाना चाहिये और उन नालों को सम्बन्धित नदियों तक जहां वे उनसे मिलते हैं, गहरा कर दिया जाये तो जो बीच में पानी भर जाता है, वह समस्या हल हो जायेगी और जो नयी सड़कें वर्क फार फूड के अन्तर्गत बनी है या जो पी0 डब्लू0 डी0 ने बना ली हैं। उनके लिये आज अच्छा अवसर है कि उनका सर्वे करा लें और देखें कि उनमें कहां-कहां जोड़ हैं और कहां-कहां पुलिया बनने की आवश्यकता है। मेरे पूरे बरेली जनपद में 110 पुलिया के लिये पैसा दिया है। 1981 गांव के लिये जहां कई सौ किलोमीटर सड़कें बनायी गयी हैं, यह पैसा बहुत कम है। उससे नई सड़कों पर पुलिया बनाना सम्भव नहीं है इसलिये उनके लिये आज यह अच्छा अवसर है कि उनका सर्वे करा लें और उन पुलियों के लिये सरकार से और पैसा ले लें। मान्यवर, प्रदेश में बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो शहरों और बड़े-बड़े गांवों को तथा अच्छी सड़कों को काटती हैं। तो इससे ज्यादा उचित अवसर नहीं मिलने वाला है कि वहां बांध बनाये जाने चाहिये ताकि वे पानी की धारा से कटकर उनको तहस-नहस न कर दें।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि फ्लड रिलीफ में जो धन जाता है वह जून के पहले हफ्ते में जाना चाहिये। जब बाढ़ की बिनाश लीला प्रारम्भ होती है और डी0 एम0 मुख्यालय को तार भेजते हैं तो भी पैसा बड़ी मुश्किल से जाता है। यह पैसा जून के पहले हफ्ते में चला जाना चाहिये।

*श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद। मैं सिंचाई मंत्री जी के समक्ष अपने विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर की बाढ़ से सम्बन्धित दो छोटी सी समस्याओं को लाना चाहता हूं। मान्यवर, अनूपशहर नगर गंगा जी के किनारे बसा हुआ है और जहां पर यह नगर बसा है उसके किनारे कुछ घाट हैं और घाटों पर 200–250 साल पुराने ऐतिहासिक मन्दिर हैं। मैं सिंचाई मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जहां प्रदेश भर के अन्दर बाढ़ सम्बन्धी कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं और बहुत सफलतापूर्वक चलाये जा रहे हैं, वहां अनुपशहर के अन्दर जो यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐतिहासिक मन्दिर हैं, इनको बचाने की भी व्यवस्था की जाये । पिछले 2–3 सालों के अन्दर जो व्यवस्था वहां पिछली सरकार ने की थी उसके आंकड़े यह हैं कि वहां जो कंकड़ नदी में डाला गया था इतना गड़बड़ घोटाला अधिकारियों ने किया कि कच्चा कंकड़ नदी के अन्दर डाल दिया गया था और उससे किसी प्रकार की भी हमारे नगर और उन मंदिरों की सुरक्षा नहीं हो सकी थी । हमारे क्षेत्र में एक सिरौरा गांव है, वहां एक छोटा सा पुल है, उसको बनवाने की कृपा करें जिसमें हर वर्ष 2–3 लोगों की जान चली जाती है ग्रामीण लोग जब वहां से पास करते हैं तो मोतियाखार एक स्थान है, वहां पर वे डूब जाते हैं और उनके बच्चे भी डूब जाते हैं । गंगा जी के किनारे लगे हुये कुछ बदायूं जिले के गांव हैं वहां के भी विधायक यहां हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जब वे बाढ़ के बारे में सूचना दें तो वे यह जरूर बतायें कि अनूपशहर के इस पार जो हिस्सा बसा हुआ है और दूसरी ओर आपका जो हिस्सा है, उन गांवों को बड़ा खतरा रहता है । अगर वहां पर बांध की व्यवस्था ठीक करदी जाये तो जान और माल की जो हानि होती है वह बच जायगी ।

*श्री प्रदीप कुमार यादव––

मान्यवर, आज बाढ़ पर बहस चल रही है । अभी कुछ दिन पहले पूरे प्रदेश और देश में सूखे का बहुत ही जबरदस्त वातावरण था लेकिन चन्द दिन पहले प्रदेश और देश में बड़े पैमाने पर बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया । सन् 1924 और 1950 में जो इतनी जबरदस्त बाढ़ आई थी । उसको देखते हुये हम यह कह सकते हैं कि अबकी बार की, जो वर्तमान बाढ़ है, यह सबसे जबरदस्त बाढ़ है और चारों तरफ लोग परेशान हैं । कई लोग बेघरबार हो गये हैं । जानवर सैकड़ों की संख्या में बह गये हैं । साथ ही साथ लोगों के रहने के लिये मकान की कोई खास व्यवस्था नहीं हो पाई है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश में बाढ़ का वातावरण दिन प्रतिदिन अब भी बढ़ता जा रहा है । चन्द ऐसे जिले हैं जैसे जौनपुर है, फैजाबाद है, देवरिया, बलिया और कुछ दूसरे जिले हैं जैसे मथुरा आदि इन जिलों में बाढ़ का जबरदस्त प्रकोप है और साथ ही साथ साथ यह भी कठिनाई है कि यहां जो रहने वाले हैं उनको बढ़िया पानी नहीं मिलता । जो पानी मिलता है वह अच्छा नहीं है इसका परिणाम यह हो रहा है कि लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं । गैस्ट्रो, पीलिया जैसे अनेक बीमारियां काफी तेजी से बढ़ रही हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई दवा दारू का इन्तजाम नहीं है । उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं, अखबारों में भी खबरे छपी हैं । सैकड़ों लोग दवा के अभाव में मर गये हैं फैजाबाद में बीकापुर तहसील में तमाम औरतें जो गर्भवती थी पीलिया रोग से खत्म हो चुकी हैं । मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार तुरन्त इस मामले में कार्यवाही करे वरना हजारों की तादाद में लोग बीमारी से खत्म हो जायेंगे ।

(समय 3 बजे अपराह्न)

आज सबसे बड़ी चीज विचार करने की यह है कि बाढ़ किसलिए आती है, इसके आने का क्या कारण है । जब तक इन कारणों पर गम्भीरता से विचार नहीं किया जायगा तब तक बाढ़ नहीं रुकेगी । मान्यवर, बाढ़ का सबसे जबरदस्त आने का कारण है अतिवृष्टि । दूसरी चीज है नदियों में मिट्टी का पट जाना जिससे नदियां गहरी होने के बजाय उथली होती चली जाती हैं । उसका नतीजा यह होता है कि पानी ऊपर आ जाता है, मैदान में आ जाता है । पानी के नदियों में बहने के बजाय मैदानों में आ जाने से वह बाढ़ का रूप धारण कर लेता है । इसके आलावा पहाड़ो का जो पानी होता है वह भी जमीन पर आ जाता है और बाढ़ का रूप ले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रदीप कुमार यादव--]

लेता है मान्यवर, इन सारी चीजों की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि नदियों के किनारे जो पेड़ वगैरह हैं जिनसे बाढ़ की रोकथाम की जा सकती है वह दिन पर दिन कटते चले जा रहे हैं जिसका नतीजा है बाढ़ कम होने के बजाय बढ़ती चली जाती है। सरकार की तरफ से बाढ़ को रोकने के सिलसिले में जो पैसा खर्च किया जाता है उसके बारे में मैं कुछ आंकड़े आपको बता देना चाहता हूं।

1954-56 तक बाढ़ को रोकने के लिए 13.2 करोड़ रुपया खर्च किया गया। 1957-60 तक 98.5 करोड़ रुपया, 1961-63 तक 82.9 करोड़ रुपया खर्च किया गया 1968-69 तक 95.79 करोड़ रुपया खर्च किया गया 1969-74 तक 162 करोड़ रुपया खर्च किया गया। 1974-79 तक 412 करोड़ रुपया बाढ़ को रोकने के लिए खर्च किया गया। इस तरह से रुपया बराबर खर्च किया जा रहा है पर बाढ़ रूकने के बजाय निरंतर बढ़ती जा रही है। बाढ़ इसलिये नहीं रुक रही है कि जो रुपया सरकार खर्च करती है वह बड़े-बड़े इन्जीनियर्स और उसके अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों की जेब में जाता है और बाढ़ को रोकने का काम उस वक्त शुरू होता है जब जब बाढ़ आने को होती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब तक बाढ़ को रोकने की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया जायगा तब तक बाढ़ रुकने वाली नही है। इतना रुपया खर्च किया जा रहा है और बाढ़ से नुकसान बराबर बढ़ता जा रहा है। मिसाल के तौर पर जो नुकसान हुआ है उसको आप देखें। 1950 में 21 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। 1953-74 तक 168 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। 1974-75 तक 596 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

1976-77 में 751 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मान्यवर, इस तरह से बाढ़ रोकने के लिए सरकार रुपया खर्च करती है लेकिन उसका उतना फायदा नहीं होता है। सरकार की तरफ से योजना में बाढ़ को रोकने के लिए बनती हैं लेकिन योजनाकार बाढ़ को रोक नहीं पाते है तो यह कह कर वह संतोष करते है कि सूखा और बाढ़ दैवी प्रकोप है और कहते हैं कि इस समस्या को कोई इन्सान नहीं समझ सकता है। इसलिए मान्यवर, बाढ़ को रोकने के लिए हमारे कुछ सुझाव है जो कि इस प्रकार है पहला सुझाव यह है कि नदियों को गहरा करना चाहिये। दूसरा सुझाव है कि जलाशयों और बांधों की अच्छी तादाद मे बनाया जाय ताकि बरसात का पानी उसमें टिक जाय। तीसरा सुझाव पेड़ जो है नदियों के किनारे उन के कटान को रोका जाय और साथ ही साथ कोई स्थायी योजना बाढ़ को रोकने के लिए चलाई जाय। मान्यवर, बाढ़ जब आती है तब योजनाये शुरू की जाती हैं यदि यही सिलसिला रहा तो बाढ़ रुकने के बजाय बढ़ती जायेगी।

श्री अधिष्ठाता --

आपका समय समाप्त। आप बैठ जाय। श्री पुरुषोत्तम (कई सदस्य एक साथ बोलने लगे) (व्यवधान)।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, मुझको एक बार भी बोलने का समय नहीं दिया गया है जबकि मैं बार बार खड़ा होता है मुझे बोलन का समय नहीं दिया गया इसलिए मै सदन का त्याग करता हूं।

(श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ सदन का त्याग कर चले गये)

श्री गोपी नाथ वर्मा --

मेरे क्षेत्र मे बाढ़ आ गयी है। मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग शांत रहें। मैंने श्री पुरुषोत्तम को बुला लिया है इसलिए आप बैठें। वर्मा जी, आप बैठ जांय (श्री गोपी नाथ वर्मा के बोलते रहने पर) आप सदन त्याग करें।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

हम सदन का त्याग नहीं करेंगे। हम बोलेगें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप सदन का त्याग करें। आप लगातार चेयर की अवहेलना कर रहें हैं, इसलिये सदन का त्याग करें या खेद प्रकट करके स्थान ग्रहण करें।

(श्री गोपी नाथ वर्मा ने अपना स्थान ग्रहण किया)

*श्री पुरुषोत्तम--

मान्यवर, मैं मिर्जापुर जिले के छानवे क्षेत्र से चुनकर आता हूं। यह छियान्नवे नहीं है बल्कि छानबे है। मान्यवर, यह ऐसा इलाका है कि यहां की जमीन बड़ी उपजाऊ है लेकिन गंगा के किनारे बसने के कारण गंगा में यदि थोड़ी भी बाढ़ आयी तो यह सारा छानबे का इलाका पानी में डूब जाता है। मैंने पिछली बार सरकार से यह निवेदन किया था कि अपने सर्वेयर को सरकार यहां भेजे और वह देखे कि किस तरीके से बाढ़ के आने से यह छानबे क्षेत्र पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। कोई ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे कि इस छानबे की उपजाऊ जमीन का जो बाढ़ से नष्ट हो जाती है हमेशा के लिये कल्याण हो जाय। मैंने कहा था कि सर्वेयर जांय लेकिन जनता पार्टी की रिजीम में लोग गये और कोई व्यवस्था नहीं कर पाये। यहां की स्थिति ऐसी है (व्यवधान) थोड़ा सा सुन लीजिये। देश के उत्थान की, विकास की बात किया कीजिये। सदन की गरिमा को देखा कीजिए और अपनी योग्यता का परिचय मत दीजिए। दीर्घा में जो माननीय लोग बैठे हुये हैं क्या सोचेंगे कि यह सदन है। आप लोग अपनी बात कहें, दूसरे की बात भी सुने। विपक्ष की भूमिका किस तरीके से की जाय इसकी व्यवस्था कीजिये सिर्फ शोर गुल करने से हमारे देश का कल्याण नहीं होगा।

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जब खरीफ की फसल इस छानबे क्षेत्र में बोई जाती है पूरी की पूरी फसल पानी से नष्ट हो जाती है। मैं माननीय सिंचाई मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर कुछ ट्यूबवेल लगा दें ताकि रबी की फसल के लिये वहां के किसान को राहत मिल सके।

यहां जब बाढ़ आती है तो यहां की सड़कें जल मग्न हो जाती हैं। यहां पर चार सड़कें हैं। चारों सड़कें पी0 डब्लू0 डी0 को दी गयी थी कि इनका निर्माण कर दिया जाय। यह हैं अकौड़ी से रामपुरघाट, बिहसड़ा से रामपुरघाट, जिगना से मिसरपुर घाट, गैपुरा से रामपुरघाट, इन सड़कों में आवागमन इस तरीके से रुक जाता है कि वहां के लोग निकल नहीं पाते हैं। करणौती नदी में एक पुल बनाया जाय। वहां पर कोई पुल नहीं है। एक रेलवे का पुल है जिसमें से लोग जाने की कोशिश करते हैं। अक्सर इसके कट जाने से मनुष्यों की हत्या हो जाती है। करणौती नदी में पुल होना आवश्यक है। रामपुरघाट गंगाजी की चपेट में रहने से जल मग्न रहता है। आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पुरुषोत्तम---]

रामपुर घाट में गंगाजी पर एक पुल का निर्माण कराने की कृपा की जाय । नवाबासी से लेकर घुघुरी बब्डस क्षेत्र गंगा नदी के कटाव से कटते चले जा रहे हैं । कोई व्यवस्था नहीं है । वह दिन दूर नहीं है कि कटाव से यह सारा का सारा क्षेत्र खत्म हो जायेगा । किसी न किसी तरह की व्यवस्था इसके लिये करनी पड़ेगी । इसी तरह से हलिया, लालगंज क्षेत्र में, अति वृष्टि से जितनी धान की फसल थी वह सड़ गल कर खत्म हो गई है । कोई ऐसी व्यवस्था की जाय कि वहां के किसान जो सूखे से पीड़ित थे अब अतिवृष्टि से पीड़ित हो गये हैं उनको राहत मिल सके ।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त । आप बैठें ।

*श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

मैं इस माननीय सदन के सम्मानित सदस्यों का ध्यान कुछ समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो भी शासन में हो, इस तरह की समस्याओं का निदान करना उनका धर्म है । मान्यवर, दो साल पहले भी सन् 78 में बाढ़ आयी थी और उसका प्रकोप जब आप लोग इधर थे, तब उसका अनुभव आपको भी हुआ होगा । उस समय हम लोगों ने भी बाढ़ की समस्या को लेकर इलाहाबाद में अनशन किया था और उसमें सिर्फ यह मांग की थी कि मंत्री जी जो मोटर और हैलीकाप्टर में यहां देखने के लिये आये हैं वे कृपा करके उन गरीबों की बात भी सुनें, बाढ़ को राजनीतिक न बनायें बल्कि उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, वह न हो । मुझे लगता है, आपको बाढ़ का अनुभव नहीं है । मुझे वह अनुभव है, इसलिये मैं उसका अहसास करता हूं । मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि बाढ़ जब आती है तो भ्रष्टाचार की भी बाढ़ आ जाती है चाहे वह जो भी शासन हो । शासन तंत्र जो भी रुपया बाढ़ पीड़ित लोगों को देता है वह उन तक नहीं पहुंच पाता है । 78 में ऐसा ही हुआ । उसमें जब रुपया वितरित करने की बात आयी तो अन्य राजनीतिक कार्य करने वालों की भी बाढ़ आ गई । ऐसा इलाहाबाद में हुआ । मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं मान्यवर, मैं मांग करता हूं सन् 78 में जो बाढ़ पीड़ितों को राहत दी गई उसके संबंध में जो शिकायतें हुई हैं, उनकी जांच कर ली जाय ।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ की समस्या का स्थायी निराकरण होना चाहिये । यह बड़ी नाजुक समस्या है और यह आज विकट रूप धारण कर रही है । हमारे माननीय सदस्य प्रदीप जी बोलकर चले गये । उन्होंने सुझाव दिया कि नहरों को गहरा किया जाय । मैं उनकी बात ध्यान से सुन रहा था । नहरों को तो गहरा किया जा सकता है लेकिन नदियों को गहरा करना सम्भव नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं । मेरा क्षेत्र गंगा और जमुना के किनारे पड़ता है---इलाहाबाद मेरा क्षेत्र है । उस क्षेत्र में गंगा के किनारे एक गोड़री स्थान है । उसके लिये एक योजना जनता पार्टी के शासनकाल में बनी थी वह खटाई में डाल दी गई है । इस ओर मंत्री जी ध्यान दें । वहां पर जब बाढ़ आती है तो नदी का कटाव हो जाता है, गांवों में आपस में कछार का झगड़ा हो जाता है और जमीन इधर से उधर चली जाती है । तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस समस्या का निराकरण होना चाहिये । पुराने अनुभव के आधार पर आपको सतर्कता बरतनी चाहिये । हमारे मुख्य मंत्री जी और माननीय सिंचाई मंत्री जी इस ओर सतर्क एवं जागरुक हैं लेकिन बाढ़ अभी सितम्बर में आने वाली है । उस तरफ वे विशेष ध्यान देंगे । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान फैजाबाद जनपद की टांडा तहसील की ओर ले जाना चाहता हूं। उस क्षेत्र की स्थिति दयनीय है। उसके संबंध में उस क्षेत्र के अधिकारियों से कई दौर में मैंने निवेदन किया परन्तु कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई। अधिकारी आये दिन बाढ़ में राहत कार्यो के लिये पेपरों के माध्यम से चर्चा किया करते हैं कि बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों और किसानों को राहत दिलाने के लिये व्यवस्था की जा रही है और उसका उल्टा होता है। ये अधिकारी पिकनिक करने अपने इलाके में जाते हैं। कोई अधिकारी किसी मौके पर ढूंढा जाय तो मुश्किल से मिल पायेगा। स्थिति इतनी भयंकर है जिसके बारे में कई बार समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है लेकिन सरकार का कोई ध्यान उस तरफ नहीं गया। सदन का ध्यान मैं इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि टांडा तहसील में त्रिलोकनाथ महाविद्यालय बिलकुल नदी के किनारे है...

श्रीमोती लाल देहलवी--

व्यवस्था का प्रश्न है। लोग समझ रहे हैं कि मुख्य मंत्री बदल गये हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

उस विद्यालय के लिये सरकार ने साढ़े 12 लाख रुपया दिया। वहां एक जूनियर इंजीनियर से मैंने बातचीत की। उन्होंने यह जानकारी दी कि ढाई लाख रुपया अभी तक खर्च हुआ है और बाकी रुपया वैसा ही पड़ा हुआ है। इस तरह से दो चार दिन बारिश हुई तो कालेज का आधा हिस्सा टूट कर गिर जायगा और कालेज का नामोनिशान मिट जायगा। (इस समय 3 बजकर 22 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बलदेव सिंह आर्य पीठासीन हुए)।

चितौरा ईदगाह भी आधी नदी में चली गयी। 80 हजार रुपया कमिश्नर ने उसके लिये दिया लेकिन उसको वहां न इस्तेमाल करके दूसरी जगह उस रुपया का प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह से उलरहवा, मांझा, ढुहिया तथा भारीडीह आदि ग्राम बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से जो लोग प्रभावित हैं उनके खाने पीने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। दियासलाई, मोमबत्ती, चना तथा आधा किलो आटा दे कर उनको जीवित रखने के लिये दिया जा रहा है और समाचार पत्रों तथा रेडियो में बड़े जोर शोर से प्रचार किया जाता है कि सरकार इस तरीके से इन्तजाम कर रही है। सारा इन्तजाम एक तरह से कागज तक सीमित है, कोई भी उससे वास्तव में फायदा नहीं उठा पर पा रहा है। सारे लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। अधिकारी मिलते नहीं हैं। सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। इतनी विकट समस्या इस क्षेत्र की है कि 60 प्रतिशत फसल नष्ट हो गयी है। सरकार कोई व्यवस्था न करके झूठा प्रचार करती है। अपनी मर्जी अपना राज, कर लो, सब कोई अपना काम, बीच में कोई टांग अड़ावे कोई तो भीषण भाषण खूब कराओ शोर शराबा इतना कर दो असली राज कोई समझ न पाये।

यह कांग्रेस शासन की व्यवस्था है या नी व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। प्रचार के माध्यम से तमाम जनता को गुमराह किया जा रहा है। यह झूठा प्रचार बन्द करके सही तरीके से काम किया जाय। टांडा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। वहां व्यक्तिगत राहत दिलाई जाय। इसी तरह जहांगीरगंज निर्वाचन क्षेत्र में घिकिया का पुल बनाया गया। करोड़ों की लागत आई लेकिन आज स्थिति यह है कि पूरा पुल टूट कर नष्ट हो गया। जो निर्माण हुआ था उस सम्बन्ध में मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक कहावत है--जे करे ते दस पावे, जे करवाय ते 12 जे बऽकर मौज उड़ावे ते पावे अठ्ठारह। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें अधिकारियों ने इतनी बड़ी घपलबाजी की है कि लाखों रुपया कमीशन लिया जिसका

[श्री गोपी नाथ वर्मा-]

नतीजा यह है कि वह पुल जल्दी जल्दी टूट गया । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस पुल की जांच की जाय कि इतने रुपये में बना यह पुल इतनी जल्दी कैसे टूट गया, उसकी क्या वजह थी उसका निर्माण करने वाले कौन थे और उनको सजा दी जाय । इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्रीमती कमला साहनी--

श्रीमन्, मैं ऐसे क्षेत्र से चुनकर आई हूं जो राप्ती नदी से हर साल तबाह हो जाता है । शोहरतगढ़ का पूरा ट्रांस राप्ती इलाका ऐसा है जो राप्ती और बूढ़ी राप्ती से बरबाद हो जाता है । मैं सदन का ध्यान उस क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहती हूं कि लखनापार बांध जो अधूरा बना कर छोड़ दिया गया है उसे ककरही में मिला दिया जाय ताकि वहां की जनता की रक्षा हो सके । दूसरा अतरी बांध जो अतरी तक बना है उसे भी ककरही में मिला दिया जाय ।

यही नहीं गांवों की पटाई भी आवश्यक है । गांवों के नीचा होने के कारण जब बाढ़ का पानी भर जाता है तो गांव के लोगों को छप्परों में बैठना पड़ता है, पेड़ों में बैठना पड़ता है । बाढ़ से उनके खेत ही बरबाद नहीं होते बल्कि उनके घर भी डूब जाते हैं । तो मेरा निवेदन है कि गांवों की पटाई का काम भी होना चाहिये । यही नहीं हर साल बाढ़ से सड़कें कट जाती हैं । बांसी से नौगढ़ के लिए जो सड़क जाती है वह 77 की भीषण बाढ़ में कट गई । दो साल से उसका निर्माण हो रहा है । बालू की भीत उठाई जा रही है लेकिन आज तक वह चालू नहीं हुई । उसमें हर साल लाखों रुपया बरबाद होता है वह कहां जाता है, उसका क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है । इस पर शासन ध्यान दे । यही नहीं जब बाढ़ आती है तो वहां चिलिया और पलटा में संपर्क टूट जाता है । बाढ़ से पल्टादेवी का संपर्क चिलिया से टूट जाता है इसलिए पलटादेवी नेकास जो नाला है उस पर पुल का निर्माण होना चाहिये ताकि वहां की जनता का संपर्क बाकी क्षेत्र से बना रहे ।

यही नहीं बाढ़ के कारण तमाम बीमारियां फैलती हैं उनके लिए दवाइयां बांटने को दी जाती हैं और सहायता सामग्री जाती है लेकिन वह बीच में ही गायब हो जाती है उसका पता नहीं चलता । मैं अपने शासन से निवेदन करता हूं कि कम से कम बाढ़ के समय जो सामग्री वहां भेजी जाय उसका ईमानदारी से वितरण हो ताकि वहां की जनता को सही माने में राहत मिल सकें । आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद ।

*श्री भीखालाल--

अधिष्ठाता महोदय, हमारा उन्नाव जिला भी उन जिलों में से है जो बाढ़ पीड़ित जिले घोषित किये गये । मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा, दुर्भाग्य से राजस्व मंत्री जी नहीं हैं जिनका काम रिलीफ कार्यों से है । मैं सिंचाई मंत्री जी से कहूंगा कि जो लगान मुलतवी है जैसा कि रियासत साहब ने भी कहा कि सन् 78 में बाढ़ आई थी तो उस समय का भी मुलतवी है, 79 में सूखा आया तो उस समय का भी मुलतवी है अब 1980 में फ्लड आ गया है उसके लिए भी कह दिया गया है । तो इस तरह से सिंचाई कर मुलतवी है, सहकारिता का कर्जा मुलतवी है और दूसरे कर मुलतवी हैं जो करीब दो सौ करोड़ से ज्यादा धन होगा । इस सब को काश्तकार को बाद में इकट्ठा देना होगा । तो मेरा कहना यह है कि रिलीफ के मामलों में वह अंग्रेजों के जमाने की बनाई हुई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रिलीफ मैनुवल है। यह सरकार भी उससे गाईड होती है और अंग्रेज का दृष्टिकोण तो सदा भारतीय किसानों से टैक्स अधिक से अधिक वसूल करने का रहा है, माफ करने का कभी नहीं। तो हमारा निवेदन है कि जहां तीनों वर्षों में 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां पर सारे ड्यूज--सिंचाई के, राजस्व के तथा कोआपरेटिव के, की माफी की घोषणा यह सरकार करे। यदि यह एक दम से वसूल होगा तो बड़ी भयंकर स्थिति होगी और उसे किसान दे नहीं सकेगा। जो रिलीफ का बंटवारा होगा, उसको खाली सरकारी मशीनरी पर ही आप न छोड़ें, गैर सरकारी मशीनरी भी बनाकर उसकी निगरानी में आप यह काम करावें, अन्यथा कानूनगो और लेखपाल लोग भी अपनी रिलीफ निकाल लेंगे।

दूसरी बात यह कहना है कि इधर के बैठने वाले सदस्यों के क्षेत्र में बाढ़ आए और उधर क बैठने वालों के क्षेत्र में भी बाढ़ आये, तो आप रिलीफ के कामों में उनमें कोई भेदभाव न करें। मुझे पिछले वर्ष का भी अनुभव है और इस वर्ष का भी अनुभव है, विरोध पक्ष और शासन पक्ष के क्षेत्रों में रिलीफ के कामों में भेदभाव बरता जा रहा है। अब कुछ मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। सई नदी में भयंकर बाढ़ आई है। सई नदी का पानी बनी के पुल के ऊपर एक फिट बहता रहता है, तो उस सड़क को ऊंचा किया जाए। सई नदी का पुल तथा अन्य बहुत से पुल जो पुराने बने हुए हैं, उनसे पूरा पानी पास नहीं होता है, तो आप कम से कम इन पुलों को चौड़ा करावें और यदि यह आप नहीं करा सकते हैं तो कम से कम तो इनके पास में एक समर्थक पुल बनवायें, जिससे पानी आपदा के समय निकल सकें और भयंकर बाढ़ न आए। मोहान से उन्नाव तक जो सड़क जाती है वहां भी सड़क कट गई है, उस सड़क को भी ऊंचा किया जाए और एक नई पुलिया वहां भी बनवाई जाए। गंगा नदी का कटाव उन्नाव की तरफ बड़ा भयंकर है। जो लोग लखनऊ से कानपुर गये होंगें, उन्होंने गंगाघाट के पास देखा होगा कि वहां पर गंगा नदी धनुष की भांति मुड़ गई है। तो उसके कारण से शुक्लागंज की आबादी और उन्नाव स्टेशन आज खतरे में है। इसका काम बहुत दिनों से विचाराधीन है, उस पर कोई वैर बनाकर उस कटाव को रोका जा सके तो बहुत अच्छा है। इससे उन्नाव की बहुत जमीन कटकर कानपुर में चली गई है।

अब मेरा एक कहना सिंचाई मंत्री जी से यह है कि जो जल भराव हो जाता है अतिवृष्टि से, यह इस बार बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरे जुलाई में भारी बारिश हुई है, क्योंकि और सैकड़ों गांव वाटर लागिंग के शिकार हो गये हैं। इसलिए ड्रेनेज की ओर सिंचाई मंत्री काफी ध्यान दें। सरकार का अपना एक स्टैन्डर्ड है कि 3 किलोमीटर से कम होगा तो हम नहीं खोदवाएंगें। मेरा निवेदन है कि इसको आप बदलिये और यदि एक दो किलोमीटर भी खोदना पड़ता है और उससे 1-2 गांवों को लाभ होता है तो उसको भी आप करवाइये। क्योंकि इससे सैकड़ों मकान नष्ट हो जाते हैं और सरकार को सहायता देनी होती है। इससे लोगों की क्षति रुक जाएगी और आपका पैसा बच जाएगा। थोड़े समय में सुझाव के रूप में थोड़ी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं।

*डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

मान्यवर, मैं देवरिया के उत्तरांचल पड़रौना की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पड़रौना की बाढ़ का समाचार मैंने कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्य मंत्री जी को दिया था लेकिन जितनी विलम्ब मुझे सूचना, देने में हुई थी उससे पहले ही हमारे माननीय मुख्य मंत्री भी और सिंचाई मंत्री जी पड़रौना पहुंचे। उनके वहां जाने के बाद समस्त अधिकारी भी आये जिसके कारण वहां पर बाढ़ और राहत का कार्य बड़ी तेजी से चल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर बृजकिशोर मिश्र]

रहा है। हमारे यहां पर चिरुहवा बाढ है जिससे 2 किलोमीटर आगे कटना बड़ी तेजी से जारी है। वहां पर केन्द्रीय फ्लड कन्ट्रोल के लोग आये हुए थे, हमारे इर्रीगेशन के सेक्रेटरी अन्य अधिकारी और मैं भी मौजूद था। वहां पर बिहार के जो इन्जीनियर्स थे उन्होंने हमारे सामने एक बात यह कही कि यू0पी0 सरकार अगर कुछ नहीं करती है तो हम अकेले कहां तक करेंगे? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अगर इस कटान को न रोका गया तो सम्पूर्ण पड़रौना के डूब जाने की आशंका है। मैं यह मानता हूं कि वहां पर काम हो रहा है, बोल्डर्स डम्प हो रहे हैं लेकिन जिस तेजी से काम होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। मेरी सिंचाई मंत्री जी से प्रार्थना है कि वहां पर पक्की ठोकर बनवाने की आज्ञा प्रदान करें ताकि समूचे पड़रौना को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सके।

बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जो कुछ हो सकता है अधिकारीगण कर ही रहे हैं लेकिन वहां की वाटर लांगिंग की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पड़रौना एक ऐसा इलाका है जहां पर 90 प्रतिशत गरीब लोग रहते हैं। उनकी मुख्य फसल गन्ना है जो वाटर लांगिंग के कारण बरबाद हो गयी है उसमें नाना प्रकार के कीटाणु लग रहे हैं, फसलें बरबाद हो रही हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस वाटर लांगिंग को रोकने के लिए वहां पर कोई व्यवस्था होनी चाहिए। वहां पर एक सिंघरिया ड्रेन है जिससे नरचचवा गांव के पास ताल का पानी पुल के पतला हो जाने से ड्रेन में नही जा पाता है जिसमे सारा गांव डूब जाता है। ताल के किनारे पर सिंघरीया ड्रेन है जिस पर सेमरी व मोतीपुर स्थित है। वहां पर पानी के जमाव के कारण धान की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। रोहुआ ताल से एक ड्रेन जो निकाली गयी है वह बहुत ही पतली है। मैं क्रिटिसाइज तो नहीं करता हूं लेकिन जो रेडियो में समाचार दिए जाते हैं, पेपर्स में न्यूज दी जाती है वह मैं अपने माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि उन्हीं के पीरियड में रोहुआ ताल पर एक पुल बनाने के लिए एक ठेकेदार को 7 1/2 लाख रुपये का ठेका दिया गया था जिसमें से वह पुल केवल 30 हजार रुपये में बनाया गया है। जिसके कारण आज उसी से वहां के काश्तकारों का सत्यानाश हो रहा है।

हमारे यहां एक मोहनपट्टी गांव है जहां की आबादी करीब 10 हजार है। वह गांव चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और आन-जान का कोई रास्ता नहीं है। अगर वहां एक ब्रिज बना दिया जाय तो लोगों को आने-जाने की सुविधा हो जायगी। जयहिन्द।

*श्री विजय सिंह राना--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आगरा जिले में सन् 77 में जो बाढ़ आयी थी उसकी स्मृति अभी तक ताजी बनी हुई है। वह इतनी भयानक थी कि दिल दहलाने वाली थी। आगरा में जमुना नदी के किनारे दो ऐतिहासिक महत्व की इमारतें हैं एक ताज और दूसरी एतमादुल्ला का मकबरा। यह पुरानी संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। नयी सभ्यता में दयालबाग का मंदिर है। शिल्पकला की दृष्टि से वह एक अद्भुत मंदिर है जिस पर लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। जब सन् 77 में बाढ़ आयी थी तो जमुना जी ने एक नया मोड़ ले लिया था और उसके कारण स्वामीबाग को बड़ा भारी खतरा उत्पन्न हो गया है। भय है कि उस मंदिर का अस्तित्व ही कहीं खतरे में न पड़ जाय। अगर यह नष्ट हो गया तो आगरा की सुन्दरता भी खत्म हो जायेगी। इसलिये मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस कटाव को रोकने की व्यवस्था करायें। मऊ गांव से, जहां से जमुना मोड़ लेकर मंदिर की तरफ कट रही है, वहां पर एक बांध बनाये जाने की आवश्यकता है जिससे इस कटाव को रोका जा सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जमुना के किनारे जो गांव स्थापित हैं उन्हें फिर से ऊंचे स्थान पर बसाने की आवश्यकता है। 1977 में जब बाढ़ आयी थी तो समस्त अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था। आज आवश्यकता इस बात की है कि बाढ़ से प्रभावित जमुना के किनारे वाले गांवों को अन्यत्र किसी ऊंचे स्थान पर बसाया जाये। और यह बात सन् 1977 में सरकार द्वारा मान भी ली गयी थी, पर उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मऊ गांव को उस समय सरकार ने जमुना के किनारे से हटा कर ऊंचे स्थान पर बसाया था पर उसको बसाने में काफी कठिनाइयां आयी थीं। वह कठिनाइयां जमीन के अधिग्रहण आदि के संबंध में आयी थीं। वन विभाग या अन्य विभाग से जमीन अधिग्रहण करने में बड़ा समय लग जाता है। मेरा निवेदन है कि सरकार कानून में परिवर्तन करके इस अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल करे ताकि समय पड़ने पर इस कार्य में अनावश्यक विलम्ब न हुआ करे। ऐसा करके सरकार नदी किनारे बसे हुए गांवों को ऊंचे स्थान पर बसाने की योजना बनाये, उसी तरह से जिस तरह से सरकार शहरों में नयी कालोनी बनाती है। जो प्रक्रिया शहरों में नयी कालोनी बनाने में सरकार अपनाती है वही गांवों में भी अपनाना चाहिये।

इसलिए मेरा कहना यह है कि इस मामले में जो यह बात रही कि जब जब जो भी मंत्री बनें, चाहे वह किसी भी पार्टी के रहे हों, उनका ध्यान केवल अपने जिले और क्षेत्र तक सीमित रहा है, जिससे उन्होंने कोई ठोस योजना नहीं लागू की। जो जो नदियां जहां-जहां से निकल कर जाती हैं, उनका वैज्ञानिक ढंग से सर्वेक्षण कराया जाय कि कितनी कितनी दूरी पर बांध बनाने की आवश्यकता है और पानी को रोका जाय। अगर ऐसा न किया जायगा तो बाढ़ की समस्या हर वर्ष आती रहेगी अ र हम लोग जो सदस्य हैं इसी प्रकार से हर वष चिल्लाते रहेंगे। हम लोगों को इस समस्या को सुलझाने की दृष्टि से एक स्वस्थ्य ढ़ंग अपनाना चाहिए और बाढ़ को एक स्वस्थ्य ढंग से दूर करना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय हो गया।

श्री विजय सिंह राना—

अगर इस प्रकार से कार्यवाही की जायगी तो मैं समझता हूं कि बाढ़ को रोका जा सकेगा।

श्री जंग बहादुर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जौनपुर जनपद प्रदेश में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है और इस समय यह स्थिति है कि पानी का जो बढ़ाव थम गया है फिर भी 2–3 सेंटीमीटर रोजाना बढ़ रहा है। हमारे जौनपुर जनपद में सई, गोमती आदि कई नदिया हैं, इन नदियों से जो नाला निकला हुआ है वहां पर पानी काफी हिस्से में भरा हुआ है। खुटान और बदलापुर क्षेत्र में ऐसे पचासों गांव पानी से भरे हुए हैं। अगर वहां खड़ा हो जाय, तो पानी के सिवा और पेड़ के सिवा कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती। जौनपुर नगर का तीन चौथाई भाग डूब गया है। वहां पर 11 केन्द्र बाढ़ नियंत्रण के लिए खोले गये हैं। कुछ लोग तो अपनी ऊपरी मंजिल में शहर में पड़े हुए हैं। राहत कार्य का जहां तक सवाल है, हमारे जिले के अधिकारी, जिलाधीश, परगनाधीश बड़ी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी ने राहत कार्य के लिए आदेश बहुत प्रारंभ में ही भेज दिया था और विधान सभा चलने के कारण हमारे कुछ मंत्री वहां पर जाने वाले थे नहीं जा सके, लेकिन हमारे सिंचाई मंत्री जी कल वहां जा रहे हैं। जहां तक व्यवस्था का सवाल है वहां पर पर्याप्त व्यवस्था है। एक चीज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बदलापुर के पास बीरमपुर गोमती के तट पर बांध बनाने की योजना सरकार ने बनाई थी, उस योजना के कार्या-

[श्री जंग बहादुर]

न्वयन के लिए कुछ पत्थर भी वहां पर गिराये गये थे, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं वह बांध बनाया गया? अगर शाहपुर सानी का वह बांध बनाया गया होता, केवल तीन फर्लांग ही बनाया गया होता, तो मैं समझता हूं कि पांच मील के क्षेत्र में जो पानी भरा है निचला हिस्सा है, आज उसकी स्थिति यह देखने को न मिलती। गोमती का सतह शाही पुल के नीचे 20–22 फीट तक पट गया है। उसका निचला हिस्सा खाली कर दिया गया होता तो आज यह स्थिति न आती। आज पानी हट नहीं पा रहा है और पुल के आधा भाग बालू पड़ जाने के कारण बंद हो गया है। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि उस पुल के पटे हुए भाग को, जो ताखे उसके बंद हो गये हैं और जो कुछ लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर लिया है, अगर वह हटा लिया जाता है तो बाढ़ की यह भयंकर स्थिति न होती। यह तो बड़े गर्व की बात है कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने एक नया पुल बनवा दिया है जिससे आवागमन का साधन सुलभ हो गया है। बाढ़ की समस्या को सुलझाने के बाद चारे और मकान की समस्या है। मुझे आशा है कि सरकार इसके लिए पूरा प्रयास करेगी।

श्री बदन सिंह––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं फतेहपुर सीकरी से आता हूं जो कि एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है। वहां अधिकतर ऐसे क्षेत्र हैं, जो प्रायः बाढ के गम्भीर प्रकोप में घिरे रहते हैं। मान्यवर, राजस्थान में इतने नदी, नाले बांध, बांधी और चैनल हैं, उन सब का पानी अजान बांध में एकत्रित होता है। इस अजान बांध की क्षमता 16 हजार क्युसिक पानी जमा करने की है। परन्तु जब उसमें 12 हजार क्युसेक पानी हो जाता है, तो राजस्थान वाले उस पानी को अजान बांध में जो उनके 93 मोरे हैं, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश की तरफ छोड़ देते हैं। और मान्यवर, हमारे क्षेत्र में 34 गांव ऐसे हैं, जो हर साल बाढ़ की समस्या से घिरे रहते हैं, जिससे प्रभावित होकर वहां लगभग एक करोड़ दस लाख रुपे की हानि प्रति वर्ष होती है।

माननीय सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन है कि वे कृपया फतेहपुर सीकरी को भी देखें ताकि उन्हें मालूम हो कि वहां की भी क्या स्थिति है। तभी वहां की कुछ समस्या हल हो सकती है। इसके लिए मान्यवर, वहां रिंग बांध बनाये जाएं जिससे गांव जो प्रत्येक वर्ष पानी की चपेट में आते हैं, बचाव हो सके। और करोड़ों रुपये का जो नुकसान होता है, वह बच सके। एक बात की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह समस्या केवल उत्तर प्रदेश की सरकार से हल होने वाली नहीं है। यह समस्या तब हल होगी जब राजस्थान सरकार के साथ बैठकर मीटिंग की जाए कि वे अपने पानी नियंत्रित करें। राजस्थान के मुकाबले में फतेहपुर सीकरी बहुत नीचा है, जिसके कारण उसके यहां का पानी एक-एक बूंद हमारे सिर पर आकर गिरता है। पूर्वगामी सरकार ने यह व्यवस्था की थी कि उत्तर प्रदेश के अधिकारीगण ने और राजस्थान के अधिकारियों के साथ फतेहपुर सीकरी और भरतपुर में भी मीटिंग की थी जिसमें उनसे कहा गया था कि वे अपने पानी को नियंत्रण में रखें, तभी यहां की समस्या हल हो सकती है। दूसरी बात मान्यवर, यह है सिटीपलड् कंट्रोल ड्रेन 4 हजार क्युसेक पानी लेने की क्षमता रखता है, और वह केवल उसे 3 हजार क्यूसेक ही पानी देते हैं। अगर वे उसे 4 हजार क्युसेक पानी दें तो समस्या हल हो सकती है। इसी प्रकार से चिकसाना कैनाल में भी 7-8 सौ क्यूसेक पानी लेने की क्षमता है, इस चिकसाना नहर को भी पानी कम दिया जाता है, यदि इसे भी उसकी क्षमतानुसार पानी दें तो यह भी समस्या जो प्रति वर्ष उत्पन्न होती रहती है, वह न हो। इस कैनाल की दाहिनी ओर जो पटरी बनी है, वह बहुत कमजोर बनी है, उसे मजबूत बनवाने के लिए राजस्थान सरकार से कहा जाए जो अक्सर टूटती रहती है, जिसकी वजह से हमारी तरफ पानी आता रहता है।

इसके साथ-साथ इस ओर भी ध्यान दिया जाए कि राजस्थान सरकार में बान गंगा नदी है। उस बान गंगा और गम्भीर नदी के बीच में महुआ स्थान है, उस स्थान पर एक बांध बनवाएं, जिससे बान गंगा का पानी गम्भीर नदी में डालें और गम्भीर नदी का पानी खांडवा नदी में डाले और खान्डवा नदी का पानी उटेन्गन नदी में डाले। इसलिये माननीय मंत्री जी को मैं निमन्त्रण देना चाहता हूं कि वे कृपया हमारेयहां आयें, और इन समस्याओं की ओर ध्यान दें। और गोवर्धन नाले का पानी जब हरियाणा से होकर रारह गांव और रसूलपुर गांव में आता है, तो सारा गांव डूब जाता है और हमारा अछनेरा ब्लाक भी उस पानी से बुरी तरह से प्रभावित होता है। जो वैस्टर्ड डिप्रेसन ड्रेन जो बहुत कम चौड़ा है। उसे चौड़ा बनाने के लिये 532 लाख रुपये का प्रोजेक्ट बनाया गया था, उस प्रोजेक्ट को स्वीकार करने के लिये गंगा फ्लड कन्ट्रोल पटना को भेजा गया था। जिसे उन्होंने 5 फैक्टर का बना दिया था और जबकि उसे 10फैक्टर का बनाना चाहिये था, इसलिये उसको रद्द कर दिया गया था। और मान्यवर, जब तक इस वेस्टर्ड डिप्रेसन ड्रेन को चौड़ा नहीं किया जाता तब तक हमारे ब्लाक की सुरक्षा नहीं हो सकती है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन जब तक चौड़ा नहीं होगा तब नक हमारा क्षेत्र सुरक्षित नहीं हो सकता। इसको चौड़ा करवायें मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम इसको प्रतिवर्ष साफ करवा दिया करें। जिससे ग्राम मांगरौल जाठ, अरुआ, अछनेरा कचीरा, जनूथा, आदि को जो हजारों एकड़ जमीन बिना बोये रह जाती है किसान अपनी जमीन को बो सकें और इतना बड़ा नुक्सान होता है किसान उससे बच सके। यह समस्या हमारे क्षेत्र की है यह सरकार के लिये श्रेय का काम होगा। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि यह समस्या इस सरकार से ही पूरा नहीं होगा राजस्थान सरकार पर इसके लिये दबाव डालना होगा क्योंकि यह अन्तराष्ट्रीय मामला है। राजस्थान का पानी हमारे उत्तर प्रदेश में आता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर, यह सरकार राजस्थान सरकार को बाध्य करें कि वह अपने पानी पर नियंत्रण रखें।

श्री राम सेवक--

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बाढ़ पर बोलने का मौका दिया मैं जिस जगह से चुनकर आया हूं उस क्षेत्र से गोमती नदी बहती है। गोमती नदी हमारे क्षेत्र तथा इसौली विधान सभा क्षेत्र से गई है। हम सभी जानते हैं कि इसमें बाढ़ आयी सरकार न 500 रु0 कच्चे व 800 रुपये पक्के मकान बनवाने के लिये अवश्य दिया है। सरकार से हमारी मांग है कि जहां पर बाढ़ है जो 5 सौ रुपया से 8सौ रुपया सहायता देने का निर्णय लिया है यह कम है और ज्यादा दिया जाना चाहिये। वहां के बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी फीस माफ होनी चाहिये और उनको कापी किताब कन्ट्रोल रेट पर उपलब्ध कराई जानी चाहिये। हर प्रकार की वसूली स्थगित की जाये। मान्यवर, खाद्यान्न योजना के अर्न्तगत जो सड़कें बनी थी पानी के कारण सड़कें बह गयी और जिससे यह पता चल जाता है कि कहां पर पुलिया बनाने की जरूरत है। अगर इस समय पुलिया उन स्थानों पर बनायी जायेंगी तो ठीक रहेगा। नहीं तो गलती हो सकती है। हमारे क्षेत्र में एक ग्राम निजामुद्दीनपुर है उसके उत्तर में गोमती बहती है और पश्चिम में एक नाला है जो गांव के किनारे से बहता है बाढ़ के आने पर गांव चारों तरफ से घिर जाता है उसके दक्षिण से एक सड़क मुसाफिर खाना से इसौली घाट को जाती है अगर वह सड़क बावली के पास से लगभग दो या डेढ़ फर्लांग ऊंची हो जाये तो गांव के लोगों को बाढ़ में निकलने के लिये काफी सुविधा हो सकती है और नाव की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे क्षेत्र का काफी हिस्सा ऐसा है जो बाढ़ की चपेट में आ गया है।

[श्री राम सेवक]

कुछ मौजे ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गये हैंजै से, मटियारी, मूलीनगर, गोसाई का पुरवा, पिपरी, जमालपुर, काकरकोला, पिछूती पूरेजवर, बाबू का पुरवा, कोडरीतान का पुरवा हाजीगंज, चक जंगली, अलहान का पुरवा पोली छदारी इसमें विशेष ध्यान दें और पूरे ताज में नाले का पुल बनवाया जाय।

[4 बजे अपराह्न]

श्री पंचानन—

आजमगढ़ जिले में सगड़ी तहसील हैं जो दो नदियों से घिरी हुई है और उसके बीच में एक छोटी सरजू है। शासन ने जो राहत कार्य किये हैं उसके लिए मैं बधाई देता हूं लेकिन सरकार अगर बड़े-बड़े नगरों और सड़कों तक ही सीमित रहेगी तो जो गांव की जनता जो वास्तव में बाढ़ से प्रभावित है उसको वह सहायता नहीं मिल सकेगी। सिगड़ी तहसील में हाजीपुर से हैदराबाद तक 40 गांव हैं जहां मैं गया हूं और वहां आज भी वे घिरे हुए हैं 20 दिनों से। कवल आबादी बची है जमीन एक इंच भी खाली नहीं है। घाघरा महोली के बीच में पड़ती है। 10 मील जाने के बाद शुरू होता है। इसलिए राहत कार्य ठीक से नहीं होता है। जब हम कलेक्टर से मिले तो उन्होंने कहा कि जब 228.8 वाटर लेबिल होगा तो हम राहत कार्य शुरू करेंगे। घाघरा के जो किनारे हैं उसकी तुलना में वह कुछ ऊंचा पड़ता है जिसका बांध बन गया है। तब से पानी नहीं आता है लेकिन पिछले 2–3 सालों से वहां लगातार बाढ़ आ रही है। पिछले साल इस सरकार ने निर्देश जारी किये थे कि वहां बांध बना दिये जायें लेकिन सिचाई विभाग के लोगों ने बांध इसलिए नहीं बनाया कि मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि अगर बाढ़ नहीं आयेगी तो राहत कार्य नहीं होगा और बड़े लोगों को कोठियां खड़ी नहीं होंगी। सगड़ी तहसील का वह हिस्सा जो महुआ गड़बल बांध के बीच में पड़ता है, वहां के लिए मैंने जब पूछा कि नाव चल रही है तो मालूम हुआ कि नहीं। सेन्टर पर गया तो लेखपाल को बड़ी देर खोजने पर जो आये थे कहा कि 3 नाव चल रही हैं। पता लगाया तो नाव कागज पर दर्ज हैं और नावों का पता नहीं है। इसलिए जो वहां के लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, उनका पार्टीसिपेशन होना चाहिए क्योंकि नौकरशाही के भरोसे राहत कार्य होगा तो कोई कार्य नहीं होगा।

(इस समय 4 बजकर 2 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आजमगढ़ शहर में पूरी तरह से बंधा बना हुआ है और टोंस नदी उसके चारों तरफ इस समय भी सितम्बर में हर साल बाढ़ आती है और आजमगढ़ का एक चौथाई हिस्सा उससे प्रभावित होता है लेकिन बाढ़ जब आती है तो सारा का सारा अमला उस बांध को बचाने में लग जाता है और दूसरे गांव डूब जाते ह। उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। गांव प्रधान देश है। अतः उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जहां सड़कें हैं नहीं, आवागमन है नहीं वहां राहत कार्य सहायता पहुंचायी जाय। इसकी कमी है। मैं यह साफ-साफ कहता हूं।

इसके साथ-साथ में यह कहना चाहता हूं कि गांवो की जो पटाई द्वारा ऊंचा करने की योजना थी जो कि 2–3 सालों से बन्द कर दी गयी है यह ठीक नहीं हुआ। गांव जब ऊंचे होते है तो आदमी वहां रह कर जीवन की रक्षा कर सकता है। इसलिए इसको शुरू किया जाय। जो तालाब थे, छाटे-छोटे नाले थे, उनको पाटा गया। पानी जमा हो जाता है जिससे फसलों को नुकसान होता है। ड्रेनों को गहरा किया जाना चाहिए जिससे पानी के जमाव को रोका जा सके। नदो को गहरा नहीं कर सकते उसके लिए बड़ी योजना की आवश्यकता होगी। छोटे-छोटे काम सरकार कर सकती है। इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि राहत कार्य गांवों को पहुंचाये जायं।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, आपने बाढ़ की चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे जिले बलिया में गंगा और घाघरा दो बड़ी नदियों का संगम है। बाढ़ वहां स्थाई रूप से हर साल आती है। बाढ़ से जो प्रभाव पड़ता है वह वाटर लागिंग का है। बांध बन गये लेकिन वह बांध इतने कारगर और सक्षम नहीं रहे जितने होने चाहिये। बलिया में तीन तरफ बिहार है। बिहार वालों ने नदी पर ऊंचा बांध कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप पानी का लेबिल वहां ऊंचा हो गया। इसके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट से आदेश लेना चाहिए था परन्तु बिहार वालों ने ऐसा नहीं किया। हमारे कोई काम होते हैं उसको रुकवा देते हैं। हमारी सरकार जो हमारे हितों की रक्षा उसको करनी चाहिये, वह नहीं कर पाती है, इसका दुःख है।

श्रीमन् घाघरा नदी ज्यादा पानी वाली और बहाव वाली नदी है, बलिया जिला अपने पानी से नहीं डूबता है। गंगा, घाघरा, राप्ती नदी का पानी बलिया में जाता है, हम उससे डूबते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन नदियों के उद्गम स्थान को बड़े-बड़े बांध बना कर नियंत्रित करें। जब तक उद्गम स्थान को नहीं रोक पायेंगे तब तक बाढ़ की विभीषिका नहीं रोक पायेंगे। घाघरा में जितना पानी रहता है उसमें लिफ्ट कैनाल बनी है। इसमें रिजरवायर बनाये जायं। हम इस क्षेत्र के रहने वाले है अगर डेढ़ दो फीट पानी कम हो जाये तो राहत मिले। जो अनाज गहरे पानी में होता है उसका उत्पादन हो सके। घाघरा नदी के किनारे तुर्तीपार बांध है। उसमें बनाने के लिए बहुत अच्छे-अच्छे टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं थे। 52 मील का बांध है। 4 रेगुलेटर हैं सभी एक तरह के हैं। अच्छे रेगुलेटर बनाये जायें पानी का डिस्चार्ज जब कम होता है तो वाटर लाग एरिया बढ़ जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस क्षेत्र का सर्वे कराया जाये और बहादुरा और पर्वतपुर रेगुलेटर की क्षमता दूनी की जाय।

एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारे सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं में असिस्टेंट इन्जीनियर और जूनियर इंजीनियरस में यह स्पर्धा रहती है कि हम चीफ इंजीनियर हो जायं, लेकिन किसी के पास इतनी इनीशियेटिव नहीं है कि एक नये काम को कर सकें। मान्यवर, हमारे यहां दरिया में वाटरलागिंग की प्राबलम है। एक सुझाव दिया था कि बड़े-बड़े पम्प लगाकर पानी को डिवाटर करके बाहर फेंक दिया जाय। लकिन दुर्भाग्य से नये कामों के बारे में हमारे किसी इन्जीनियर में इनीसियेटिव नहीं है। मान्यवर, मैं केवल दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं:—

(1) जितनी बाढ़ की नदियां हैं, उसमें उद्गम स्थान पर नदियों को रोकने की चेष्टा करें।

(2) वाटर पम्प लगाकर वाटरलागिंग की सफाई की जाय।

*श्री बाबू सिंह (अलीगढ़)—

मान्यवर, हमारे जनपद अलीगढ़ में एक ब्लाक अतरौलिया पड़ता है जहां पर 16 गांव बाढ़ की चपट में आ जाते हैं और लम्बे अरसे से उनकी वही स्थिति है। जो ये 16 गांव गंगा की बाढ़ में आते हैं व एल0 ए0 सी0 गंगा कैनाल और गंगा के बीच में पड़ते हैं। मान्यवर, गंगा में जब उफान आता है तो जो नहर की पटरी है, वह उससे टकराता है। उस पानी के आग बढ़न का सिलसिला नहींहै। ये गांव इस बाढ़ के चपेट में आते रहते हैं। ऐसी सूरत में बाढ़ से बचने का कोई दूसरा चारा नहीं है। जब तक सरकार इसके लिये कोई खास तौर से सर्वे नहीं कराती इन 16 गांवों की, जो जनपद अलीगढ़ में गंगा की बाढ़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबू सिंह]

में आ जाते हैं, समस्या हल नहीं होगी। कैसे उनको बाढ़ से बचाया जायेगा, यह गम्भीर समस्या है वहां के निवासियों के सामने।

मान्यवर, आज गंगा में बाढ़ आयी है और ये गांव गंगा से कट रहे हैं। जिले के अधिकारीगण, हाकिम परगना, डी0 वाई0 एस0 पी0, सब इंसपेक्टर वगैरह वहां जाते हैं, देखते हैं कि ये गांव बाढ़ से कट रहे हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या किया, तो कह देते हैं कि गये थे। जब पूछते हैं कि कोई राहत पहुंचाई? तो इसके नाम पर मूक हैं। कोई राहत कार्य नहीं हो रहा है। बाढ़ से बचने के लिये कोई तकनीकी नहीं वहां के लिये हमारे कमिश्नर, आगरा मंडल, ने जिलाधीश से कह दिया कि छोटे-छोटे बांध बनायें। उन्होंने बल्लियां, लकड़ियां और पत्थर आदि को लेकर बांध बनवाये। उससे कुछ राहत मिली लेकिन मुकम्मिल राहत नहीं मिली और वहां के लोग उसी तरह से परेशान हैं। उनके सामने राहत का प्रश्न आज कोई नहीं है सरकार के पास। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि ये जो 16 गांव तहसील अतरौलिया, जनपद अलीगढ़ में बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, उसके लिये कोई योजना बनाये ताकि उनको राहत मिल सके उनकी बड़ी भयावह स्थिति है। एक यह बात थी कि उन गांवों को हटाकर कहीं बसा दिया जाय लेकिन वे गांव इस स्थिति में नहीं हैं, एल0 ए0 सी0 नहर और गंगा के बीच के इलाके में पड़ते हैं जहां 16 फिट पानी नालियों से आ जाता है। मान्यवर, यह जो एल0 ए0 सी0 नहर की नालियां हैं, ये गंगा के उफान से गम्भीर रूप धारण कर लेती हैं और गंगा का पानी इन नालियों से उल्टे बहने लगता है। ऐसी स्थिति में ये गांव पीछे भी नहीं हटाये जा सकते हैं। पीछे भी 15/16 फिट नहर की गर्की भरी रहती है। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि तहसील अतरौली में हारनपुर, मैदोली, गिरदौली, सांगेर पर कटाव हो रहा है। अच्छे वर्ग के नागरिक वहां पर एक अर्से से रहते हैं लेकिन आज उनके सामने बड़ा भीषण संकट है इधर नहर की गरकी का सवाल है। सन् 1962 में नैनीताल में एक मीटिंग हुई थी जिसमें इरीगेशन के चीफ इंजीनियर साहब ने फरमाया कि यह जो गरकी है, यह पानी हमारा चोर है और इस चोर को हम स्वयं रास्ता दिखाते हैं। यह हमारा बड़ा कीमती पानी है जो चुहान के जरिये से गरकी करता है। 1962 से मैं भी हाउस में कहता चला आया हूं लेकिन इस गरकी पर आपका इंतजाम नहीं हुआ। हजारों लाखों आदमी उससे परेशान हैं। 16-16 फीट पानी भरा है। सरकार से हमारी दखास्त है कि गंगा की बाढ़ के साथ अगर इन गांवों से गरकी का पानी निकाल दिया जाए, जो चुहान का पानीनहर का है उसको निकालने की व्यवस्था कर दी जाए तो इससे वहां की जनता को काफी राहत पहुंचेगी।

श्री मोहम्मद नबी—

मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर, बस्ती जिला इस प्रदेश का एक बहुत बड़ा जिला है और बस्ती जिले में कुदरती तौर पर घाघरा, राप्ती, बूढ़ी राप्ती, कुवानों, मनवर और सभी नदियों का जाल बिछा हुआ है। बस्ती जिले की 33 लाख की जनसंख्या है जिसमें से 75 परसेंट हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होती है लाखों आदमी महीनों पानी में डूबा रहता है। सैकड़ों गांव पानी से लबरेज रहते हैं, हजारों मवेशी मर जाते हैं। मैं बस्ती जिले के मेहदावल क्षेत्र की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मंत्री जी का क्षेत्र भी राप्ती नदी के दूसरी ओर है। आप भी वहीं से इलक्शन लड़ते हैं। आपको भली भांति जानकारी है कि मेहदावल कछार एरिया की लाखों जनता हमेशा पानी में डूबी रहती है कई वर्षों से उस क्षेत्र की जनता को बचाने के लिये सरकार की ओर से फरमैनी और खोरापाली बांध का निर्माण किया गया है लेकिन हमेशा या तो उसके ऊपर से होकर पानी बहता है और पूरा इलाका सैलाब कर देता है या कई-कई जगहों से बांध

[श्री मोहम्मद नबी]

कट जाता है। पिछले साल में उस बांध की मरम्मत के लिये करीब 8 लाख रुपये का पत्थर खरीदा गया, उसका पेमेंट भी हो गया लेकिन एक ट्रक भी पत्थर नहीं आया और उसका नामोनिशान भी नहीं पाया जा रहा है। इस संबंध में मैंने 17 जुलाई को एक लिखित दखास्त दी है जिसमें मैंने 15 आरोप लगाये हैं, उसके बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं हो पा रही है। इसमें लाखों रुपये का गोलमाल किया गया है। अगर इस तरह की घटनायें होती रही और 5–6 लाख रुपये का पत्थर खरीदा गया जो केवल कागज पर दिखाया गया और मौके पर 2 ट्रक भी पत्थर नहीं हैं ऐसे तो पूरा प्रदेश हमेशा बाढ़ से घिरा रहेगा और उसको बचाने को कोई भी व्यवस्था नहीं हो पायेगी।

मान्यवर, मैं आपसे चाहूंगा कि इस सिलसिले में मैंने जो आरोप-पत्र दिया है उसकी मंत्री जी जांच करायें और देखें कि वह जो लाखों रुपये का गबन और गोल माल किया गया है यह कहां गया है। मैं मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बिलाली-घूरापाली बांध जिसका निर्माण न होने के कारण सैकड़ों गांव पानी से भरे रहते हैं, बोल्जर आदि खरीद कर उसका निर्माण कराय ताकि यह क्षेत्र बाढ़ से महफूज रह सके। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी का ध्यान फिर से दिलाना चाहूंगा कि इसकी व्यवस्था कराने की कोशिश करें।

श्री राम कुमार भार्गव—

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले रियासत हुसैन जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे जिले सीतापुर का नाम लिया, अपने को मुरादाबाद जिले तक सीमित न होकर वे प्रदेश लेबिल के हो गये इसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। मेरे क्षेत्र बिसवां में किवानी नदी से बाढ़ आयी है। सहायता कार्य चल रहा है, मगर जो दिक्कत है उसकी तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां नदी की बांढ़ से जितना नुकसान होता है उतना ही नुकसान जल भराव से होता है। क्यूटी, बिसेंडी, सरांय, पुरैनी का पुरवा, गुरेरा में पानी जमा हो जाता है क्योंकि पानी के निकलने का कोई साधन नाला आदि नहीं है। वहां पर रेवेन्यू मिनिस्टर यशपाल सिंह जी भी गये थे, मेरी उनसे और जिलाधिकारी से भी बातचीत हुयी थी। जहां पर भराव है वहां पर काफी नुकसान हुआ लेकिन सहायता ठीक से नहीं दी जा रही है। भराव की समस्या पर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। बाढ़ से बहुत लोगों का नुकसान हुआ है,कई व्यक्ति व जानवर मर गये हैं। लोग मुसीबत में हैं। ऐसे वक्त हर सम्भव सहायता करनी चाहिये जहां पर कानूनी बंदिश न आ पाये। उदाहरण स्वरूप मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कुओं की सफाई करवा रहे ह मगर कुओं की जगत टूटी हुई हैं। बिना जगत की मरम्मत किये हुए पानी का इस्तेमाल नहीं हो सकता। जब हमारे यहां रेवेन्यू मिनिस्टर गये थे तो मैंने इस संबंध में निवेदन किया था। मेरा एक सुझाव है कि आप जिलाधिकारी को आदेश दें कि जो ग्राम सभा का पैसा है उससे जगत बनवा दी जाय तब जाकर कुयें का इस्तमाल हो सकेगा। जो चौकियां बनी हुई हैं वहां पर योग्य डाक्टरों और दवाओं की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि बाढ़ के समय और बाढ़ के बाद जो बीमारियां फैलती हैं वह न फैलें। जहांगीराबाद घाट पर नावें कम हैं नावों की और व्यवस्था होनी चाहिये। हमारे यहां एक स्टीमर है। पिछले कई सालों से हरसाल उसकी मरम्मत होती है। पिछले साल 10 हजार रुपये सैंक्शन किये गये थे। पैसा जिनक वक्त में सैंक्शन किया गया था वह आज विरोध पक्षमें बैठे हैं, पता नहीं क्यों स्टीमर की मरम्मत नहीं हो पायी है। स्टीमर का होना बहुत जरूरी है। मैंने अपने क्षेत्र की तरफ जो ध्यान आकर्षित किया है उम्मीद है कि मंत्री जी इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।

धन्यवाद।

श्री सूर्यनाथ उपाध्याय—

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो हमारे साथियों ने थोड़ी सी चर्चा करदी है। जौनपुर जनपद में गोमती, सई, बसुही, वरना, पीलीअर्सी आदि नदियां हैं लेकिन गोमती और सई सबसे बड़ी नदियां हैं।

इसके अलावा इनके नाले इतने बड़े-बड़े हैं कि 4-4 वर्गमील तक फैले हुए हैं जिससे जब नाले और नदी दोनों मिल जाते हैं तो समुद्र की तरह मालूम होते हैं और नदी नालों के किनारे जो गांव हैं वह घिरकर जलमग्न हो जाते हैं ऐसी दशा में सई और गोमती नदी के किनारे बसे हुए गांव जैसे वरगूदर से लेकर धनैजा घाट तक सकुनपुर, उनचरी दोनों तदीपुर, ऊगापुर, रामपुर नद्दी, कटेसर भटौली, जेराग, हेठार, जेठपुरा, बिसुनपुर आदि गांव जलमग्न हैं। नदी का किनारा टूट रहा है। सारे गांव ध्वस्त हो रहे हैं तथा मकान गिर रहे हैं। पशु पानी से घिरे हैं। पशुओं के लिये चारा खाने को नहीं है, आदमियों के लिये खाना नहीं है और पानी से कुयें बन्द हो गये हैं जिससे पीने के लिये पानी का ठिकाना नहीं है। लेकिन सरकार ने इस लंबंध में जो व्यवस्था किया है उससे कुछ राहत मिली है। इसके साथ-साथ मान्यवर, यहां सबसे जरूरी यह है कि वहां नावें उचित संख्या में भेजी जायें, दवाइयो का जो अभाव है उसको दूर किया जाय। वहां अधिकारीगण जैसे कलेक्टर और एस० डी० एम० काम में लगे हुए हैं और डी० एम० वहां की स्थिति के बारे में सतर्क हैं। किन्तु नीच के कर्मचारी जो राशन पहुंचाने में लगे हैं तो इसमें कहनी है कि जो सरकार ने वहां राशन की व्यवस्था किया है वह जलमग्न गांवों में उचित मात्रा में नहीं मिल रहा है। कहीं दियासलाई, कही चना, कहीं मिट्टी का तेल आदि चीजे गांवों में उपलब्ध नहीं हो रही हैं। डी० एम० को हमने लिखकर दिया है जिससे वह सतर्क हैं। इसलिये नीचे के कर्मचारियों को टाइट करने की आवश्यकता है जिससे गांवों में आवश्यकतानुसार चीजों की सप्लाई होती रहे है। हमारे वहां गोमती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पं० ककलापति त्रिपाठी जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने गोमती नदी पर एक पुल बनवाया था जो कि ऊंचा है इसलिये उसी पर से आने जाने का रास्ता केवल रह गया है और बाकी चारों तरफ से शहर पानी से घिर गया है। लगभग 400 गांव पानी से घिरे हैं। खेतों में पानी भर गया है जिससे धान की रोपाई जहां हुई है वह फसल सड़ रही है। खेतों में पानी भरने से मक्का, अरहर, बाजरा बाजरी, उरदी आदि फसले जो बोई गयी थीं वह वाटर लागिंग के कारण सड़ रही है या सड़ गयी हैं। इनसे जौनपुर जनपद का बहुत नुकसान हुआ है। पहले सूखे से हमारा जनपद परेशान था और अब बाढ़ से परेशान है।

मान्यवर, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कोई इंडस्ट्री नहीं है। पूर्वांचल में हमारा जौनपुर जनपद बहुत गरीब है लेकिन पूर्वांचल के बहुत से जिलों में इंडस्ट्री लग गयीं किन्तु जौनपुर जनपद में नहीं। हमने हर मुख्य मंत्री से इस संबंध में कहा, वर्तमान मुख्य मंत्री से भी कहा किन्तु किसी ने उधर नहीं देखा। तो फांसी पर चढ़ने में हम आगे रहें। लेकिन इंडस्ट्री पाने में पीछे हैं। इसलिये मुख्य मंत्री जी जौनपुर जनपद की गरीबी को दूर करने के लिए, बाढ़ रोकने के लिये उधर विशेष ध्यान दें।

श्री सन्त बख्श रावत—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, हमारे लखनऊ जिले में भी बाढ़ से वैसी ही क्षति हुई है जैसे कि प्रदेश के अन्य जिलों में हुई है। दिनांक 25 जुलाई को जो जिला प्रशासन ने एक रिपोर्ट दिया था जिसमें गोमती की बाढ़ से लखनऊ में 25 मोहल्ले और 81 गांव तथा सई नदी से 14 गांव बेता नाले से 22 गांव जल प्लावन से प्रभावित हुए हैं। इस बाढ़ से हमारे जिले में मेड-भाव तरीके से सहायता कार्य किये गये हैं।

हमारे क्षेत्र मसतमऊ, चनौला, सलाइमऊ, गौरया में अनेक गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं लेकिन इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। पूरे जिले के अधिकारियों का ध्यान लखनऊ शहर की ओर था जहां 25 मोहल्ले प्रभावित थे जब कि हमारे क्षेत्र में 390 गांव बुरी तरह प्रभावित थे उनकी तरफ किसी भी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया जिसके परिणाम स्वरूप गांवों की दशा और दयनीय हो गई है। दिनांक 25 को जो रिपोर्ट दी गयी उसमें देहाती क्षेत्र का कोई जिक्र नहीं किया गया। मान्यवर, हमारा क्षेत्र लखनऊ जिले का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। उसकी हमेशा उपेक्षा की गई है। हमारे क्षेत्र में लगभग 50 गांव जल भराव तथा नाले की बाढ़ से पीड़ित हुए हैं। हमारे क्षेत्र में एक गांव जमालपुर ददुरी है जो शारदा सहायक परियोजना की वजह से जल से भरा रहता है और वहां पर लोग अपनी फसल नहीं बो सकते हैं। शारदा सहायक परियोजना के अधिकारियों ने उस स्थान पर साइफन नहीं बनाया जिसके परिणाम स्वरूप जमालपुर ददुरी के 32 घर पानी में डूब गये हैं। वहां के लोगों को कोई राहत नहीं दी गयी है। जिला प्रशासन में एक सूचना स्वतन्त्र भारत अखबार में छपवाई जो 20 तारीख को प्रकाशित हुई कि सरकारीप्रववक्ता के अनुसार जमालपुर ददुरी गांव में पानी निकासी कार्य हो रहा है लेकिन मान्यवर, मेरी सूचना यह ह कि जमालपुरददुरी गांव में कोई राहत कार्य नहीं किया गया है। मान्यवर, इस प्रकार से हमारे जिले में भेदभावपूर्ण तरीके से जिला प्रशासन राहत कार्य कर रहा है। मेरा निवेदन है कि उस क्षेत्र की दयनीय दशा को देखते हुए उस क्षेत्र की अधिक से अधिक सहायता करने की कृपा करें।

पिछले वर्ष मैंने 20-5-79 को जमालपुर ददुरी गांव के संबंधमें नियम 301 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी जिसमें मैंने कहा था कि उस क्षेत्र में यदि वर्षा से पहले साइफैन नहीं बना तो शारदा सहायक परियोजना से निश्चित रूप से वहां गांव डूब जायेंगे जिसका उत्तर तत्कालीन सिंचाई मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 6 जून, 1979 से दिया कि हमने क्रेन की सफाई करदी है अब पानी भरने की संभावना नहीं रह गयी है। इसके बावजूद वहां पर 32 घरों में पानी चला गया। आज तक वहां पर कोई राहत कार्य नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अविलम्ब वहां पर साइफन बनाया जाय और वहां की जनता को राहत देने की कृपा करें।

श्री धरमपाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय' पूर्वांचल का विधाता न जिस समय भाग्य लिखा था उसकी किस्मत में बाढ़ का बहुत बड़ा हिस्सा लिख दिया था। बहराइच पुर्वांचल का एक बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। जब से मानव सभ्यता ने जन्म लिया है तब से बहराइच बाढ़ का शिकार होता चला आ रहा है जो रिकार्ड को देखने से पता चलता है।

मान्यवर, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है इस बात की सारे अधिकारियों और सरकार को जानकारी है। जब बाढ़ आ जाती है उसके बाद हम चर्चा करते हैं राहत कार्यो की, उसके बाद हम चर्चा करते हैं बाढ़ की। मान्यवर, इसी सदन में इसके पूर्व के सेशन में प्रथम सेशन जब शुरू हुआ था बाढ़ के ऊपर चर्चा की बात आई थी माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस समय कहा था कि बाढ़ क चर्चा अगले सत्र में करेंगे तब यहां शायद मैंने टिका की थी कि जब तक पूरा प्रदेश डूब चुका होगा। मान्यवर, बाढ़ आ गई, सरकार ढ़िढोरा पीट रही है, चीख चीख कर गला फाड़ रही है, अखबारों में वक्तव्य दे रही है कि हम बा पीड़ितों को बहुत बड़ी राहत दे रहे हैं तो मान्यवर, मैं रिकार्ड दे रहा हूं कि सरकारी रिसर्च डिपार्टमेंट द्वारा मुझे उपलब्ध कराया गया है उसके अनुसार बहराइच के अन्दर 368 गांवों में बाढ़ आयी यानी जो बाढ़ग्रस्त गांव माने गये। इन गांवों में 75,187

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धरमपाल]
लोग रहते हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित हुये हैं। इसका क्षेत्रफल 15,126 हैक्टयर है जिसमें कृषि-गत भूमि 7,778 हैक्टयर है। इसमें क्षतिग्रस्त मकानोंकी संख्या जो कि पक्के हैं, वे केवल 55 दिखाये गये हैं और कच्चे मकानों की जानकारी, झोपड़ियों में रहने वालों की जानकारी मंत्री जी को नहीं होगी। जो व्यक्तिगत सम्पत्ति आंकी गई है वह मात्र .08 लाख है। मान्यवर, 75 हजार आदमी बाढ़ से पीड़ित हैं और 368 गांव प्रभावित हैं। इनके लिये सरकार न केवल 25 क्विन्टल अनाज की सहायता दी गई है यानी एक व्यक्ति के पीछे केवल आधी छटांक आता है। कल्पना कीजिये, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में मंत्री जी रहते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब किसी भी गांव में बाढ़ आती है तो वह तीन चार दिन तक टिकती है और उसका सम्बन्ध दूसरे गांवों से टूट जाता है। यह आधी छटांक गेहूं वह इंन्सान कितने दिनों तक चला सकता है। आप सोचते होंगे कि गांव के लोग भूखे और नंगे रहने के आदी हैं, क्या आवश्यकता है उनको खाद्यान्न देने की? बाढ़ग्रस्त इलाकों को राहत दिलाने की ढिंढोरा पीटने वाली यह सरकार बताये कि 25 क्विन्टल खाद्यान्न की क्या कीमत होती है? मैं समझता हूं कि एक प्रतिशत भी नहीं आता है। एक समय के भोजन की कीमत तो रही दूर जलपान की कीमत भी उनको नहीं दी जाती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो बाढ़-पीड़ित लोग हैं उनको प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से आधा किलो गेहूं, चावल अथवा चना फूड-ग्रेन के नाम पर देने की व्यवस्था करें। साथ ही मान्यवर, आप जानते हैं कि बाढ़ के बाद सांप छंछुदर, कीड़े मकौड़े आदि का वहां भय हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, सरकार पेट्रोमेक्स का इन्तजाम तो कर नहीं सकती लेकिन लैम्प का प्रबन्ध करे उसकी व्यवस्था की जाय। इसके साथ ही मेरा अनुरोध यह भी है कि सरकार उसी बात का ढिंढोरा पीटे जिसको वह करती भी है। लेकिन जिसको वह करती नहीं है उसका ढिंढोरा पीटने का अधिकार किसी सरकार को नहीं है। एसी सरकार की गर्दन झुक जानी चाहिए जो मानव को खाद्यान्न सहायता देने के नाम पर आधी छटांक अनाज देती है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*डाक्टर विनोद कुमार तिवारी---

अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान नानक सागर बांध की ओर ले जाना चाहता हूं। आज के दैनिक जागरण में भी आपने मुख पृष्ठ पर यह पढ़ा होगा कि नानक सागर बांध किसी भी समय टूट सकता है। मान्यवर, यदि नानक सागर बांध टूट जाता है तो मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि बरेली मंडल पूरे का पूरा प्रलयंकारी हो जायेगा जिसमें पीलीभीत, सहारन-पुर, बरेली जनपद मुख्य रूप से प्रभावित होंगे। इसलिये मेरी मांग है कि वहां पर रक्षा और बचाव कार्य हेतु तुरन्त सेना को सतर्क किया जाय अन्यथा अगर कोई ऐसी घटना हो गयी तो बड़ी भारी जन और धन की हानि हो सकती है।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपनी जनपद में शारदा नदी की ओर दिलाना चाहता हूं। इस समय शारदा नदी में पानी बहुत भरा हुआ है और कई जगह वह कटाव कर रही है सन् 73–74 में शारदा नदी में बाढ़ से साढ़े तीन सौ एकड़ जमीन का कटाव हुआ था और आज उससे प्रभावित कृषक तथा मजदूरों को बसाने की व्यवस्था नहीं हो पाई है, उनको बसाने के लिये यह सरकार व्यवस्था करें। मेरा अनुरोध है कि अशोकनगर, भगवानपुरी तथा आजादनगर में शारदा नदी जो कटाव कर रही है उसकी रक्षा करना की व्यवस्था की जाय। सरकार वहां पर सर्वे कराये और शारदा नदी पर ठोकरें लगाये जिससे कि कटान रोका जा सके। शारदा नदी पर मेरे क्षेत्र में आने जाने के लिये कोई पुल भी नहीं है। धनोरा घाट हो कर नाव या मोटर से पास होना पड़ता है। अगर इस क्षेत्र से सम्पर्क स्थापित करना है तो डेढ़ सौ किलोमीटर का चक्कर लगा कर जाना होगा। इससे आप उनकी कठिनाइयों का अन्दाजा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगा सकते हैं। लिहाजा सरकार शारदा नदी पर धनौरा घाट पर पुल बनाने की व्यवस्था करें। इसके अलावा शाहजहांपुर में पुवायां तहसील में गुलालपुर झावर में पानी भरा हुआ है जिसके कारण 600 एकड़ भूमि पानी से प्रभावित है और वहां की फसल नष्ट हो रही है। अगर वहां पर एक नाला बनवा दिया जाय तो 600 एकड़ भूमि कृषि लायक बनाई जा सकती और इससे देश व प्रदेश की खाद्यान्न समस्या को सहायता मिल सकेगी इसके अलावा खाद्यान्न योजना पर मार्ग बने हैं उन पर पानी निकालने हेतु हय्म पाइप डलवाये जाय या पुलियों का निर्माण कराया जाय। इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

5 बजे तक यह चर्चा होनी है और अभी माननीय रियासत हुसैन को इस पर बोलना है, फिर माननीय मंत्री उत्तर देंगे और समय कम है लिहाजा अब रियासत हुसैन साहब इस पर बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

मैं इस सम्मानित सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने बाढ़ की चर्चा में भाग लिया और माननीय मंत्री को बहुत ही अच्छे सुझाव दिये। मैं भी उनका ध्यान दो तीन बातों पर दिलाऊंगा। लखनऊ की बाढ़ की चर्चा की गयी। मेरे पास 17 दिसम्बर, 71 की कार्यवाही है। 67 में जब संविद सरकार थी तो उस वक्त के वित्तमंत्री श्री राम स्वरूप वर्मा जी ने जो इस सदन में इस समय भी सदस्य हैं ने पी0डब्लू0डी0 मंत्री को लखनऊ की बाढ़ के संबंध में चिट्ठी लिखी थी, उसकी दो चार लाइन मैं पढ़ देना चाहता हूं। वह उन्होंने लखनऊ में जो बाढ़ आने के क्या कारण हैं वह बतायें हैं? उसमें है—"लखनऊ में भैंसाकुंड के पास जो वियरवाल है और जो बरसात के बाद नदी का जलस्तर गिरने से गऊघाट पम्पिंग स्टेशन को पानी न मिलने के कारण बनाई गयी थी उससे नदी का तल बराबर ऊंचा होता जा रहा है। यदि वियरवाल तोड़कर उसके स्थान पर बैराज बना दिया जाय जिसमें बरसात के समय फाटक खोलकर वाल बहाई जाये तो नदी का जलस्तर पुराना रहेगा जिसके कारण गहराई में नदी होने के कारण बाढ़ नहीं आयेगी। उन्होंने यह संकेत तब दिया था उसके बाद 71 में बाढ़ आई उस पर चर्चा के समय चौधरी चरण सिंह ने इस पत्र को पढ़के सुनाया था फिर भी कार्यवाही नहीं की गई। इस पत्र में उन्होंने संकेत दिया था कि आगामी 80–81 में गोमती में फिर बाढ़ आयेगी और वह इससे अधिक विनाशकारी होगी। मैं यह बात इस संदर्भ में इसलिये कह रहा हूं कि जब बाढ़ आती है तो शासन में घबराहट हो जाती है और जब बाढ़ निकल जातीहै तो वह सब बातें भूल जाते हैं। लखनऊ में जो बाढ़ आई है उसके लिए यदि तत्कालीन वित्त मंत्री के नोट पर विचार कर लिया जाता तो जो वियरवाल आज भी है जिसके कारण रुकावट हुई है यह न होती।

इस वहस में जो दो तीन सुझाव रखे गये हैं माननीय मंत्री जी उन पर विशेष ध्यान देंगे।

श्री अध्यक्ष—

कम से कम 10 मिनट का समय मंत्री जी को उत्तर के लिए दीजिये।

श्री रियासत हुसैन—

वह तो आश्वासन दे देंगे ज्यादा समय की उनको जरूरत नहीं होगी। इस बाढ़ में हरियाणा, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश जो हैं उनका आपस में संबंध है। इसमें कोई न कोई ऐसी स्कीम शुरू की जाय सेंटर की मदद से कि ये चार सूबे मिल कर बाढ़ को रोक सकें। उसमें नैपाल से भी परामर्श किया जाय तभी बाढ़ रोकी जा सकती है।

[श्री रियासत हुसैन]

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बाढ़ के साथ-साथ नदियों का जो बहाव है उनकी जो तेज रफतार है उसको रोकने के बारे में भी कोई टेक्निकल राय लें जिससे जो कटाव होता है वह रुक जाय जैसे घाघरा, गंगा राप्ती आदि के तेज कटाव से बहुत नुकसान होता है।

तीसरी बात यह है कि जो आपके फ्लड डिवीजन के प्रोजेक्ट होते हैं वह पूरे नहीं हो पाते हैं। टेंडर के जो शिड्यूल रेट हैं वह लो होने के कारण बाढ़ का जो इमरजेंसी का काम होता है वह नहीं हो पाता है उसके लिए यह अधिकार होना चाहिये कि संबंधित अधिकारी उससे 10, 15 परसेंट अधिक पर काम करवा सके वर्ना एक साल में काम नहीं हो पाता है और वापस हो जाता है और काम पेंडिग में पड़ जाता है तो जो काम जरूरी हो उसके लिए यह आवश्यक हैकि 10, 15 परसेंट अधिक पर काम करा सकें।

चौथा सुझाव यह है कि सड़कें काफी मात्रा में बन रही हैं उससे वाटरलागिंग हो रही है। रूरल इंजीनियरिंग में बम्बों का प्रोवीजन नहीं है उसकी वजह से वाटरलागिंग बहुत हो गई है। इसलिये अपने फ्ल्ड डिविजन मे या आर०इ० में इसका प्रोवीजन कराये ताकि जो सड़क बनी हैं उनमें बम्बे लगा कर पानी निकाला जा सकें।

आखिरी बात कह कर समाप्त करूंगा। मेरे क्षेत्र मुरादाबाद में दो तीन बंधे प्रपोज हुए बाबूपूरा भोजीपुरा मुरादाबाद खास में लालटीकर जो ढ़ेला नदी की बाढ़ रोकन के लिये है। वह सारा प्रपोजल पी० ए० सी० म जा चुका है। वहां का दूसरा बन्धा जो हैं उसके बारे में भी जा चुका है। तीसरा मुरादाबाद शहर के कटान को रोकने के लिए आपने बन्धा बनवाया है, जो मुरादाबाद खास में लालपीकर में रामगंगा पर है, यह पूरा हो जाए। जो आपने बन्धा मुरादाबाद शहर को और सिकन्दरपट्टी को रोकने के लिए बनवाया है उनका मेंटीनन्स ठीक से हो, ताकि बर्बादी न हो। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, मैं आभारी हूं उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने हमारी चर्चा में भाग लिया।

श्री बीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्यगण ने अपने बहुमूल्य सुझाव यहां रखें....

श्री विद्या सागर नौटियाल—

इतने बड़े पहाड़ हैं उनके लिए आपने मुझे मौका नहीं दिया, इसका मुझे अफसोश है.....

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जाएं, जिससे हमको ऐसा कार्य न करना पड़े, जिससे हमको अफसोस हो। बाढ़ नीचे आई है पहाड़ में नहीं आई है।

श्री बीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, स्थिति यह है कि इस वर्ष इतनी वर्षा हुई है, सन् 78 के वर्षा के मुकाबले में 41 जिलों में ज्यादा बरसा हुई है।इससे आप इसकी विभीषिका का अन्दाजा लगा सकते हैं। (व्यवधान) जिससे वाटर लागिंग की बहुत समस्या पैदा हो गई है। माननीय सदस्योंने ड्रेनज के बारे में प्रश्न उठाए। यह ठीक है सड़कें बन जाने के कारण, रेलवे लाइन या दूसरे निर्माण कार्यो के कारण वाटर लागिंग की समस्या खड़ी हुई है और ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। यह बात भी सही है कि प्रदेश में जो नुकसान हुआ है और पहाड़ों में उत्खनन हुआ उत्तरकाशी आदि में और भी जो तरह तरह के नुकसान होते रहे हैं, उससे हमारे प्रदेश को बड़ी क्षति पहुंची है। वाटरलागिंग ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमने प्रयास किया है कि नदियों के किनारे जो तटबन्ध बने हुए

हैं उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए और वास्तव में उनपर बड़ी निगरानी रखी है। अभी तक हमारे कोई बन्धे कटे नहीं हैं, कहीं कहीं केवल इरोजन हुए हैं। केवल तर्तीपार और छितौनी आदि बंधों से थोड़ा कटान हुआ है, जिससे छितौनी से 12/13 गांव डूबे। इसी प्रकार बिहार बंधें से जैसी कि चिन्ता व्यक्त की गई, उसकेबारे में मैंने बिहार गवर्नमेंट से, वहां के सिचाई मंत्री से बात चीत की है और अपने अधिकारियों को भी पटना में भेजकर बातचीत करवाई है। उसके फलस्वरूप हमें आश्वासन मिला था कि जल्दी से जल्दी यह बंधा बनवाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि बिहार गवर्नमेंट से भेटकर, सम्पर्क कर जदी से जल्दी बिहार बांध बनाया जाए, वरना जिला देवरिया की पड़रोना तहसील के ग्रामीण जो हमेशा परेशान होते रहे हैं आगे भी परेशान होते रहेंगे। इस बार भी वहां के 36 गांव उससे डूब गये हैं और अधिक पानी भर गया तो 48 गांव तक डूबने की आशंका है। हम उसके राहत के काम में पूरी तरह से लगे हुए हैं।

आज स्थिति यह है कि जो नदियां हमारे प्रदेश की हैं, बह घट रही हैं। केवल गंगा में नरोरा के पास प्वाइन्ट छः मीटर वह बढ़ गई है। घाघरा एलगिन ब्रिज के पास इतना ही थोड़ा बढ़ी है और गोमती जौनपुर में 3 मीटर बढ़ गई है। यह रिपोर्ट है और बाकी नदियां अपने संकट स्तर सेनीचे हैं।इससे सभी को ज्ञान हो जाएगा कि बाढ़ की स्थिति हमारे प्रदेश में क्या है? आज कोई बड़ा संकट हमारे सामने नहीं है। लखनऊ में जो यहां पानी था वही आज जौनपुर में पहुंचा हुआ है। माम्यवर, जौनपुर में जो बाढ़ आयी है उसके लिए विचार किया जा रहा है कि शाही पुल को तोड़ कर एक अगे पुल बनाया जाय और जो गोमती से वहां पर नुकसान होता रहा है, उससे उस शहर को बचाया जाय। हुआ यह है कि जब यह पुल बना था उसके बाद ही वहां पर शहर बसा है और जब भी गोमती में पानी बढ़ेगा, तो वहां पर नुकसान होना अवश्यम्भावी है। इसके लिए 2–3 योजनायें बनायी गयी लेकिन जो रुकावट रास्ते में आयीं उनमें एक यह थी कि इस शाही पुल को न तोड़ा जाय। सरकार को इस पर फिर से विचार करना पड़गा कि शहर को बचाने के लिए क्या कार्यवाही करे।

आज यहां पर माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव रखे हैं। हमारे गोरखपुर के एक माननीय सदस्य ने कहा कि गोरखपुर, बस्ती, बहराइच और गोंडा जिलों में जो बाढ़ आती है, बाढ़ के एरिया बन गये हैं, उसका मूल कारण यह है कि नेपाल से जो नदियां बह कर आती हैं वे सारे एरिया को डुबा देती हैं। इसके लिये हमारी कुछ योजनायें हैं जैसे करनाली योजना आदि। जब तक ये पूरी नहीं हो जायेंगी, हमारे प्रदेश में बाढ़ की समस्या हमेशा बनी रहेगी। इनके सम्बन्ध में हम उनसे बात चीत कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व नेपाल देश के अधिकारी लोग नई दिल्ली भारत सरकारसे बात चीत करने आये थे लेकिन अभी तक जो भी बात हुयी, उससे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है। अब हमारे नेपाल से अच्छे सम्बन्ध है इसलिए हम आशा करते हैं कि कोई न कोई रास्ता अवश्य निकलेगा।

अभी कुछ देर पूर्व हमारे माननीय सदस्य भीखालाल जी ने बताया कि गंगा के किनारे पर कटाव जारी है जिससे उन्नाव के बहुत से गांव कटते जा रहे हैं। गंगा के पानी से कटाव को रोकने के लिए कुछ कार्य किए गये हैं लेकिन वे सफल नहीं हुये हैं। अब 70 लाख रुपये की एक परियोजना बनायी जा रही है जिसके द्वारा नदी को टेम करने का काम होगा। वह परियोजना भारत सरकार को भेजी गयी है, स्वीकृति के लिए और उनकी स्वीकृति आने पर जो काम होगा उससे उन्नाव के गांवों को हम बचा सके गे।

श्री मोती लाल देहलवी––

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कानपुर में गंगा की जो परियोजना बनायी जा रही है क्या उसमें बिठूर में पुल बनाना भी विचाराधीन हैं?

[श्री बीर बहादुर सिंह]

गंगा पर बैराज बनाकर कई प्रकार के काम करने की योजना है। उससे रिवर को टेम करने, और नदी की रोकथाम करके उन्नाव जिले के कई गांवों को बचाना भी है।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, गढ़वाल में जाने का कोई रास्ता नहीं रह गया है। पिथौरागढ़ और बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि के रास्ते कटे हुये हैं। क्या माननीय मंत्री जी के पास उसका कोई उपचार है? आज जहां पर मेरी आवाज बन्द हो रही है, वहां पर गढ़वाल भी बन्द है। गढ़वाल के लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं रेलवे लाइन के पुल पर चढ़ कर ही यहांपर पहुंच पाया हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मुझे यह जानकारी मिली है कि आज की डिबेटमें पर्वतीय क्षेत्र के किसी भी माननीय सदस्य को बोलने का मौका नहीं मिला है। नियमों का तो मैं उल्लंघन नहीं करता लेकिन मेरा नम्र निवेदन यह है कि आप उनको भी 2 मिनट का बोलने का मौका दे दें ताकि कोई रास्ता वहां के लिए भी निकल आये।

श्री वीर बहादुर सिंह—

सई नदी के बारे में भी माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की कि उस नदी के किनारे के गांव वाले परेशान रहे हैं। गोमती बेसिन में सई नदी आती है और इसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है और इसको देखा जायेगा कि किस तरह से इससे सुरक्षा की जा सकती है। इसके लिये एक मास्टर प्लान बनाया जायेगा और एक विस्तृत योजना बनाकर काम शुरू किया जायेगा।

(व्यवधान)

(समय 5 बजे अपराह्न)

श्री ऊदल—

जलालपुर में पुल बनाने की भी योजना है?

श्री विद्यासागर नौटियाल—

पर्वतीय क्षेत्र के लिये भी कोई योजना है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गोवर्धन डैम के बारे में भी चिन्ता व्यक्त की गयी। उस डैम को 2,040 क्यूसेकस पानी की क्षमता है। उसमें 1,040 क्यूसेकस पानी तो हरियाणा और राजस्थान से आता है और एक हजार क्यूसेकस पानी मथुरा जिले से आता है।और इससे काम नहीं चलता है क्योंकि हरियाणा और राजस्थान का एरिया काफी ऊंचा पड़ता है और मथुरा में पानी काफी बरसता है जो इसी डैम में आता है। और कोई रास्ता पानी निकलने का नहीं है। इसलिये यहां एक डाईवर्जन ड्रन बनाया जा रहा है। यह बहुत बड़ी योजना है जिस पर करीब 15 करोड़ खर्च आयेगा। यह करीब 76 किलोमीटर लम्बा होगा। इस पर काम शुरू हो गया है, 3-4 करोड़ रुपया खर्च भी हो गया है,लेकिन जिन किसानों की जमीन ली गयी है वे अवरोध उत्पन्न कर रहें हैं। जब तक यह ड्रन नहीं बन जाता तब तक वहां पानी की निकासी की समस्या बनी रहेगी।

एक सदस्य--

एक मिनट मुझे दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

अब नहीं, 5 बजे तक ही इस पर चर्चा होना है ।

एक सदस्य--

यह ड्रेन गोवर्धन और छाता क्षेत्र के किसानों को उजाड़ने के लिये बनाया जा रहा है। (व्यवधान) इस ड्रेन की जगह अगर गोबर्धन ड्रेन को चौड़ा और गहरा किया जाये तो उससे काफी लाभ होगा ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

नानक सागर बांध के बारे में काफी भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। अखबारों में भी काफी भ्रामक समाचार छपे हैं। नानक सागर बांध का जलाशय 7-8-80 को 6 बजे तक 699 फीट पर था जो 7 फीट अभी भी नीचा है। यह बात सही नहीं है उसमें ब्रीच हो गया है। उसका जल स्तर अभी भी 7 फींट नीचे है। फिर उसका पानी राम गंगा में जायेगा, गोमती में आने का कोई सवाल नहीं उठता ।

माननीय सदस्यों ने बहुत से उपयोगी सुझाव दिये हैं। जब बाढ़ की योजना हम बनायेंगे तो उनके बहुमूल्य सुझावों पर भी विचार करेंगे और उससे फायदा उठायेंगे और इस बाढ़ की समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। मान्यवर, ऐसा भी किया गया है कि जो हमारे जन-प्रतिनिधि हैं उनको जिला परामर्शदात्री आपातकालीन सहायता समिति में रखा गया है। इसके द्वारा हमारे जन प्रतिनिधि, हमारे विधान सभा के सदस्य, स्वयं सेवी संस्थायें और जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, हर विभाग के अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं। ताकि जिलें की समस्यायें बैठ कर ये लोग देखें। हमने बहुत पहले जिलाधीशों को चिट्ठी लिखी थी कि आपके जिले की क्या-क्या समस्यायें हैं, उसके लिए योजना बना लें। बहुत से जिलों ने किया है, लेकिन बहुत से जिलों ने अभी नहीं किया है। हम सबका सहयोग चाहते हैं। इसमें किसी पार्टी विशेष की कोई बात नहीं है। सारे जन प्रतिनिधियों के सहयोग से हम आपदा को निपटाने के लिए तैयार हैं। राहत कार्य के लए हम पहले से तैयार हैं कि हर तरह से हर सामान जिले-जिले में पहुंचे। खाद मिट्टी का तेल, जानवरों के लिए भूसा, चारा आदि की व्यवस्था हो। साथ ही साथ दवाइयों की व्यवस्था भी हो जाय, जो बीमार हैं, उनके लिए व्यवस्था हो जाय। जहां कहीं पर लापरवाही कोई भी करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने सर्कुलर द्वारा यह सूचित किया है कि जहां कहीं भी किसी प्रकार की शिकायत आयेगी, चाहे वितरण में या किसी प्रकार की शिकायत आयेगी, तो उसको बर्दास्त नहीं किया जायगा। कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर चिन्ता व्यक्त किया कि जो वितरण होता है, हमारे राहत के कार्य में, उसमें धांधली होती है। इस साल बहुत ही सतर्कता से इस कार्य को किया गया है और जहां कहीं पर कोई गड़बड़ी होगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायगी। माननीय सदस्यों के सहयोग और सुझाव से सरकार हर तरह से उसको करने के लिए तैयार है ।

(व्यवधान)

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, फतेहपुर सीकरी में बचाव के बारे में माननीय मंत्री जी कुछ व्यवस्था कर रहे हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 7 सूचनायें आई थीं, जिनमें से एक सूचना श्री काशीनाथ मिश्र, श्री मंजूर अहमद, श्री राजेन्द्र त्रिपाठी की स्वीकृत हुई है। मेरठ जनपद में चांदपुर थाना क़े नलपुर ग्राम निवासी एक हरिजन के मकान में कतिपय व्यक्तियों द्वारा आग लगाने और उसके फल-स्वरूप हुई उसकी पत्नी एवं पुत्री की मृत्यु के सम्बन्ध में है बाकी सूचनाएं अस्वीकृत हुईं

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, इसको तो पूरा पढ़ दिया जाता है। जिसको आपने स्वीकार किया है, उसको पूरा पढ़ दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

पढ़ दिया गया। इसमें वक्तव्य मांगा गया है। आप बैठिये।

पंडित छोटे लाल निवासी भी कमपुर थाना बिलसी जिला बदायूं की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत श्री रियासत हुसैन ने एक सूचना 16 जुलाई, 1980 को पंडित छोटे लाल, निवासी भीकमपुर, थाना बिलसी, जिला बदायूं की हत्या के सम्बन्ध में दी थी। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी को वक्तव्य देना था। इस सिलसिले में माननीय मुख्य मंत्री जी का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी इस सम्बन्ध में सारी सूचनाएं उपलब्ध नहीं हो सकी हैं, इसलिये वह आज वक्तव्य नहीं दे पायेंगे। अतः आज इसे स्थगित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृ एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980

कृषि मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्वर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाए।

मान्यवर, यह संशोधन बहुत ही मामूली संशोधन है। मैं यह समझता हूं कि हमारे जितने माननीय सदस्य हैं, जिन्होंने इसमें संशोधन पेश किया है, जो शायद इसकी मन्सा को समझ नहीं सके हैं। मान्यवर, मन्सा साफ है, मन्शा यह है कि कभी कृषि विश्वविद्यालय का जो ऐक्ट है, उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे कि कभी आकस्मिक रूप में कोई स्थान रिक्त हो जाए, अर्थात् कुलपति का इस्तीफा हो जाए या कुलपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, तो तत्काल ऐसी कोई व्यवस्था एक्ट में नहीं है कि हम या सरकार वहां कुलपति की नियुक्त कर सकें। अभी तक जो होता रहा है वह यह है कि कुलाधिपति या कुलसचिव को कुलपति बना देते हैं। मान्यवर, कुलसचिव जो है, वह बहुत ही जूनियर अधिकारी होता है और उनसे वरिष्ठ अधिकारी डीन या प्रोफेसर होते हैं और यूनिवर्सिटी का विभागाध्यक्ष होता है, जो वह नियमित रूप से उचित नहीं होता है। इसकी मंसा केवल इस समस्या को दूर करने क़े लिए यह संशोधन लाया गया है। और मैं अनुरोध करूंगा उन माननीय सदस्यों से जिन्होंने इस संशोधन को पेश किया है। इसको वापस ले लें और इस को पास कराने में अपना सहयोग दें, ताकि यह पास हो सके।

*श्री राजन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जैसा कि इस (संशोधन) विधेयक को बहुत मामूली कहा है, लेकिन मान्यवर, बहुत ही खतरनाक मामला है। हर तानाशाह जनता की भलाई के नाम पर, उसका शोषण करता है, और कहता है कि हम जो कर रहे हैं, वह जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। मान्यवर, जो सबसे पहले जिस बात ने हमारे मन में शंका पैदा की वह यह कि जब 23 जून को विधान सभा का सत्र आहूत होने वाला था और उस वक्त न जाने किस मन्सा के तहत इन्होंने 19 जून को ही राज्यपाल महोदय द्वारा यह अध्यादेश जारी करवा दिया, जो कि रूल्स के अगेंस्ट है, संविधान के विपरीत है। अगर 23 तारीख को हम यहां बैठते और इसे 27 तारीख को बैठ कर इस विधेयक पर हम सभी विचार करते, तब पास होता या कुछ भी होता। पास तो खैर हो ही जाता। लेकिन मैं समझता हूं कि तभी ठीक होता। इससे मान्यवर, ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि यह सरकार जनतंत्र और संसदीय परम्पराओं में आस्था नहीं रखती। अतः मान्यवर, अब हम इस संशोधन विधेयक की मेरिट में जाते हैं। मान्यवर, पहले यह व्यवस्था नहीं थी, जैसा कि अब किया जा रहा है कि सारे अधिकार कुलाधिपति को दें दिये जायेंगे, जो अपनी मर्जी-का मालिक होगा, इससे मान्यवर, कुलपति का यूनिवर्सिटी पर कोई कंट्रोल नहीं रह पायेगा, इससे कुलाधिपति स्वयं सारे मामलों पर निर्णय लेंगे, इससे कुलपति के अधिकारों का हनन होगा और कुलपति को वह जब चाहें निकाल दें, बिना किसी कारण के निकाल दें, जैसे कि चपरासी को निकाला जाता है। यह उनके अधिकारों का खुलेरूप में हनन करना है।

मान्यवर, आज उनको अधिकार दिया जा रहा है सरकार इन अधिकारों को अपने हाथ में ले रही है। इस अधिकार की बात मैं इसलिये कर रहा हूं कि यह सरकार कान्सटीट्यूशन मान्यताओं को रौंद डाली है। जिसके अन्तर्गत राज्यपाल के दो अधिकार दिये गये हैं। एक कांस्टीट्यूशनल पावर्स तथा दूसरा स्टेटरी पावर्स। जिसके अनुसार राज्यपाल के हर आदेश को मानने के लिए वह बाध्य है। अब उनके अधिकार को सरकार अपने हाथ में ले रही है। मैं इसलिये प्रवर समिति के लिये कह रहा हूं कि आखिर उन बातों पर विचार हो जाय कि उस पद पर किस व्यक्ति को नियुक्त किया जायेगा। उसकी योग्यता क्या होगी उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। मान्यवर, कैसा आदमी होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी इस चीज का जिक्र नहीं है? जो संशोधन आ रहा है। उसकी 2 (ख) के अनुसार सुविधा और शीघ्रता से भरा जा सकता है। किसी भी तरह की क्वालीफिकेशन की बात इसमें नहीं, इसलिये मान्यवर, मैं निवदन करता हूं इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। मेरे जो भी साथी हैं चाहे वह इधर के बैठने वाले हों या उधर के सभी को जिन्हें शिक्षा की स्वायत्त में विश्वास है वह मेरे प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन उनको करना चाहिये। अन्त में मान्यवर, मैं पुनः अपने प्रस्ताव पर जोर देता हूं और मांग करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मेरे मित्र माननीय मंत्री बलराम सिंह जी ने कहा कि संशोधन बहुत छोटा है, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत खतरनाक संशोधन है इसके दुरुपयोग की तमाम संभावनायें सन्निहित है। जब 19 कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम बना तो उसकी धारा 11, 12, 13, 14 में। धारा 11 में कुलपति के चयन की प्रक्रिया दी गई है। उसमें लिखा है शासन के दो नामित व्यक्ति, 1 व्यक्ति निदेशक मण्डल का कुलपति के चयन हेतु तीन व्यक्तियों का पैनल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह]

बनायेगा उसमें से कुलाधिपति एक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त करेगा। धारा 14 में कुलपति सचिव की नियुक्ति का प्राविधान है उसमें निदेशक मण्डल के एप्रूवल से कुल सचिव की नियुक्ति की जायगी। ये रिक्तियां विशेष परिस्थिति में हो सकती है। विश्वविद्यालयों में चयन की जो यद्यपि है अगर वही कृषि विश्वविद्यालय में रखते तो मुझे आपत्ति न होती। वहां एक कुलाधिपति का नामित व्यक्ति, एक उच्च न्यायालय का नामित व्यक्ति और एक कार्यकारी परिषद् द्वारा नामित व्यक्ति होता है और यहां दो व्यक्ति शासन के और एक व्यक्ति निदेशक मण्डल के होंगे। निदेशक के भी शासन के व्यक्ति होंगे, कृषि निदेशक, शिक्षा सचिव, कृषि सचिव, वित्त सचिव होंगे। इस पद्धति में शासन के ही सब लोग होंगे इसलिये जब रिक्त की सम्भावना होगी, कुलाधिपति को कुलसचिव सूचना देगा, कुलाधिपति के बार-बार कहेंगे पर भी चयन मण्डल के व्यक्तियों को नामित नहीं करेंगे और अस्थाई रूप से कुलपति बनाये रहने और स्थायी नियुक्ति के लिये मण्डल की नियुक्ति नहीं करेंगे। मान्यवर, इसमें शासन का कोई खास आदमी जिसे मन्त्रि परिषद् में जगह न दी जा सके विधि मण्डल में जगह नहीं दी जा सकेगी पब्लिक सर्विस कमीशन में जगह नहीं दी जा सकेगी, उनको इसमें रखा जायेगा। उसको बेरोजगारी का भत्ता देने के लिए इस विश्वविद्यालय का कुलपति मनोनीत किया जाय, इसके किये यह दरवाजा खोला जा रहा है, इसलिए मैं इस संशोधन को पुरजोर तरीके से मानता हूं और जो नामांकन की पद्धति है वह इतनी आसान है कि 15 दिन के अन्दर स्थायी नियुक्त हो सकती है। आपने कहा कि कुलसचिव छोटा व्यक्ति है, ठीक है। आप डीन स्टूडेन्ट वेलफेयर नियुक्त करते है डीन इंजीनियर, डीन ऐग्रीकल्चर नियुक्त करते हैं, तो जो वरिष्ठतम होगा उसको कुलपति बना देंगे। इन संकायों के अधिष्ठाता को बना दिया जाय।

श्री बलराम सिंह यादव—

माननीय सदस्यों ने जो प्रवर समिति को भेजने के लिऐ तर्क पेश किये हैं मैं समझता हूं कि वह तर्क उचित नहीं है। मान्यवर, इस संशोधन से न तो कोई सरकार राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है और न ही अपने लोगों को या राजनीतिक लोगों को लाने के लिए इसको लाया जा रहा है। मान्यवर, एसा ही जैसा कि संशोधन इसमें आज लाया जा रहा है, शिक्षा विभाग के अन्य जो विश्वविद्यालय हैं, उनमें पहले से ही यह प्राविधान है। मान्यवर, माननीय सदस्य ने संकेत किया कि असेम्बली होने को थी, उसके पहले ही आर्डिनेन्स कर दिया गया, यह बात उनकी सही है। सरकार का इरादा यह था कि पंत नगर विश्वविद्यालय में तत्काल किसी कुलपति को जो उचित हो और अच्छा आदमी हो, छांटकर नियुक्त किया जायगा हम सब अच्छी तरह से जानते है कि पंत नगर विश्वविद्यालय में गम्भीर समस्या रही है और जब माननीय सदस्यगण जिन्होंने संशोधन पेश किया है, जब उनकी हुकूमत थी उस समय भी पंत नगर विश्वविद्यालय में जो कुछ हुआ है वह कोई बहुत अच्छा काम नहीं था और वहां पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना है जो वहां का प्रशासन ठीक से चला सके। यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है। मैं आश्वासन देता हूं कि बहुत शीघ्र ही जितनी जल्दी होगा कुलपति की नियुक्ति की जायेगी। आप विश्वास रखे वहां पर किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं रखा जायेगा बल्कि किसी उचित व्यक्ति को ही रखा जायेगा जो प्रशासन चला सके और वह यूनिवर्सिटी जिसका नाम दुनिया में है, उसका प्रशासन ठीक से चला सके ताकि कृषि और हमारे देश के पढ़ने वाले नौजवानों का भविष्य उज्ज्वल हो सके। तो मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि इसको पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष—

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त से) क्या आप इसे वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

नहीं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 198 0, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 व 3, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा।

(2) यह दिनांक 19 जून, 1980 को प्रवृत्त समझा जायगा।

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 45 सन् 1958 की धारा 11 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 11 में, उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

"(6) निम्नलिखित किन्हीं परिस्थितियों में (जिनकी विद्यमानता के एकमात्र निर्णायक कुलाधिपति होंगे), कुलाधिपति किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जिसे वह विनिर्दिष्ट करें, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकते हैं:--

(क) जहां कुलपति का पद छुट्टी के कारण या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से रिक्त हो जाय या रिक्त होना सम्भावित हो;

(ख) जहां कुलपति का पद रिक्त हो जाय और उसे उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा और शीघ्रता से भरा न जा सकता हो, और

(ग) किसी अन्य आपात स्थिति में।"

निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1980 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश, संख्या 9 सन् 1980

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित, धारा 2 में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित उस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

श्री बलराम सिह यादव—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं, कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, 18 तारीख को 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 26 मिनट पर सोमवार, 18 अगस्त, 1980, 11 के दिन के बजे तक के लिय स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
7 अगस्त, 1980

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 19 पर)

न्याय पंचायत बढ़नी, चाफा में राशन तथा चीनी की दुकानों को आवंटित चीनी का विवरण

क्रम-सं0	नाम दुकानदार	ग्राम का नाम जहां दूकानें स्थापित हैं	आवंटित चीनी की मात्रा (कुन्टल में) एवं तारीख								योग
			जनवरी 80	20 फरवरी 1980	मार्च 80	2-4-80	3-4-80	8-4-80	17 मई, 1980	13 जून, 1980	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	साधन सहकारी समिति ..	बढ़नी चाफा ..	..	5	..	..	..	10	11	9	35
2	श्री गनई राम ..	संहरी ..	..	6	..	7	..	..	8	7	28
3	श्री शरीफ हसन ..	सिरसिया ..	..	13	..	..	6	..	9	6	34
4	श्री रज्जाक ..	संखुई ..	..	14	..	10	..	..	8	6	38
5	श्री राम चन्दर ..	बढ़नी चाफा (रजिया) ..	..	5	..	8	..	..	10	9	32
6	श्री राम शंकर ..	अहिरौली ..	..	..	..	..	..	..	4	6	10
	योग	..	..	43	..	25	6	10	50	43	177

नोट:—माह जनवरी, 80 एवं मार्च, 80 में चीनी एफ0 सी0 आई0 द्वारा निर्गत नहीं हुई।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 22 पर)

अतारांकित प्रश्न 13 के उत्तर का संलग्नक

जनपद	हाई स्पीड डीजल (आंकड़े किलो मीटर में)			जनपद	मिट्टी का तेल (आंकड़े किलो मीटर में)		
	नवम्बर, 78	दिसम्बर, 79	जनवरी, 1980		नवम्बर, 79	दिसम्बर, 79	जनवरी, 80
1	2	3	4	5	6	7	8
मेरठ	3700	4000	1800	मेरठ ..	1000	1400	795
गोरखपुर	3700	3800	1800	गोरखपुर ..	1600	1900	12,95
अन्तर	..	200	..	अन्तर ..	600	500	500

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 162 वि0 सभा—14-12-80-(2956)-1981-813 (प्रो0)।